मासिक न्यूज़लेटर

माह – जनवरी 2022

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

26 January Republic Day

Jan 26
Republic Day

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

गणतंत्र दिवस समारोह

26.01.2022

झण्डावंदन के साथ पीड़ित प्रतिकर सॉफ्टवेयर मॉड्यूल का शुभारंभ वार्षिक कैलेण्डर 2022, लीफलेट्स एवं जिंगल्स का विमोचन

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय श्री रवि मलिमथ, मुख्य संरक्षक, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री शील नागू, प्रशासनिक न्यायाधिपति, म.प्र. उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर, माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रितिन्कर दिवाकर, कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तरप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की खण्डपीठ के समस्त माननीय न्यायमूर्तिगण, म.प्र. उच्च न्यायालय, म.प्र. शासन, अध्यक्ष, म.प्र. स्टेट बार काउंसिल, तथा अन्य सम्माननीय अतिथिगण की गणमान्य उपस्थिति में कार्यालय म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में दिनांक 26.01.2022 को झण्डावंदन किया गया तथा इसी अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया।

कार्यक्रम का संचालन श्री राजीव कर्महे, सदस्य सचिव द्वारा किया गया। उक्त कार्यक्रम में माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत आवेदनों के त्वरित एवं पारदर्शी निराकरण को सुनिश्चित करने हेतु म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये सॉफ्टवेयर मॉडयूल का शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात् संपूर्ण प्रदेश के जिला प्राधिकरणों द्वारा इस माड्यूल के अंतर्गत कार्य प्रारंभ किया जावेगा। साथ ही म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला प्राधिकरणों की विभिन्न गतिविधियों को उल्लेखित करने वाले वार्षिक कैलेण्डर 2022 का भी विमोचन किया गया।

उक्त अवसर पर ट्रांसजेंडर्स व्यक्तियों के कल्याण के लिए बनाए गए कानून ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण)

अधिनियम, 2019 के महत्वपूर्ण प्रावधानों एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों को सम्मिलित कर सरल शब्दो में तैयार किये गये **ट्रांसजेंडर एवं उनके अधिकार** तथा दिव्यांग बच्चों के लिए कानूनी प्रावधानों तथा योजनाओं को सम्मिलित कर सरल शब्दो में तैयार किये गये **दिव्यांग बच्चे एवं उनके अधिकार** लीफलेट्स का विमोचन भी किया गया। रेडियों, एफ.एम. रेडियों एवं अन्य उचित माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु **मध्यस्थता, विधिक सहायता योजना संबंधी जिंगल्स** का विमोचन भी किया गया।

गरिमामय कार्यक्रम में धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जबलपुर के कुलपति, रजिस्ट्रार जनरल सहित म.प्र. उच्च न्यायालय रजिस्ट्री के अधिकारीगण, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री राजीव कर्महे, अतिरिक्त सचिव श्री मनोज कुमार सिंह, उपसचिव श्री अरविन्द श्रीवास्तव व श्रीमती स्वप्नश्री सिंह एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जीशान खान, श्री जीतेन्द्र मोहन धुर्वे एवं सुश्री अंकिता शांडिल्य, अधिवक्तागण, अन्य अधिकारीगण तथा कर्मचारीगण, अन्य विभागों के अधिकारीगण, उपस्थित रहे। कार्यक्रम के उपरांत आभार प्रदर्शन श्री मनोज कुमार सिंह, अतिरिक्त सचिव द्वारा किया गया।

TheHitavada

Jabalpur City Line | 2022-01-28 | Page- 1
ehitavada.com

Crucial events mark R-Day for legal fraternity

Legal Correspondent

THE 73rd Republic Day was a memorable day for Madhya Pradesh State Legal Services Authority (MPSLSA) as several events marked with occasion.

Launch of 'Victim Compensation Software Module', release of annual calendar-2022 and leaflets on Transgender and Their Rights, Differently Abled Children and Their Rights and release of jingles on mediation, legal aid schemes and flag hoisting by Chief Justice Ravi Malimath, Patron-in-Chief, MP State Legal Services Authority, in presence of Justice Sheel Nagu, Administrative Judge of MP High Court and Executive Chairman, MP State Legal Services Authority, Justice Pritinkar Diwakar, Executive Chairman, Uttar Pradesh State Legal Services Authority and companion judges of Principal Seat High Court, Prashant Singh Advocate General, MP Government, President of MP State Bar Council and other dignitaries at MP State Legal Services Authority.

Chief Justice Ravi Malimath hoisting the national flag on 73rd Republic Day on Wednesday.

The programme was conducted by Rajiv Karmahe, Member Secretary MP State Legal Services Authority. A software module developed by MP State Legal Services Authority was launched by the Chief Justice to ensure speedy and transparent disposal of applications for victim compensation under Madhya Pradesh Crime Victim Compensation Scheme.

After the launch the work will be started under this module by District Legal Services Authorities across the State. Along with this, annual calendar 2022 mentioning various activities of State Legal Services Authority and district authorities was also released.

On the pious occasion, leaflets

(Contd on page 2)

EVENTS

- Launch of 'Victim Compensation Software Module'
- Release of annual calendar-2022
- Leaflets on Transgender and Their Rights, Differently Abled Children and Their Rights
- Release of jingles on mediation, legal aid schemes
- Flag hoisting by Chief Justice Ravi Malimath

प्रकाशित सामग्री

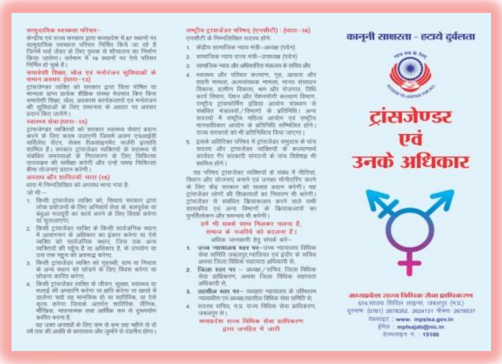

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा गणतंत्र दिवस दिनांक 26.01.2022 के अवसर पर ग्राम उड़ना में जिला प्रशासन एवं सामाजिक संस्था एवं पैरालीगल वालेंटियर्स के सहयोग से रक्तदान एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर के माध्यम से 25 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया।

लोक अदालत

नेशनल लोक अदालत दिनांक 12.03.2022 की तैयारियां

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा वर्ष 2022 में दिनांक 12.03.2022 को आयोजित होने वाली प्रथम नेशनल लोक अदालत की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रीलिटिगेशन एवं न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों के अधिक से अधिक संख्या में निराकरण हेतु नगर निगम, विद्युत विभाग, बीमा कंपनियों के अधिकारीगण, बैंक अधिकारीगण एवं अधिवक्ताओं के साथ ऑनलाईन एवं ऑफलाईन माध्यम से बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।

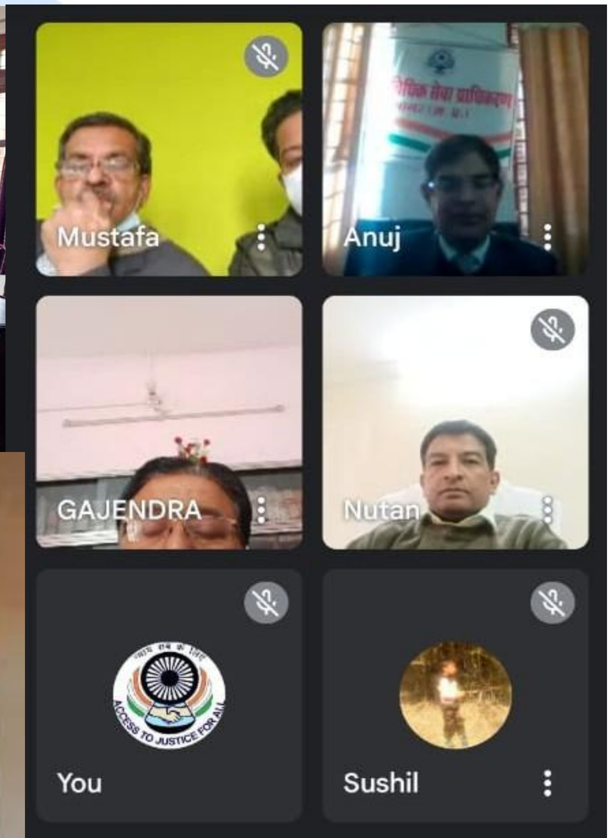

लोक उपयोगी सेवाओं के लिये स्थायी लोक अदालत

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इंदौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर द्वारा आयोजित लोक उपयोगी सेवाओं के लिये स्थायी लोक अदालत में आवेदक श्री सुनील गोयल द्वारा दिनांक 30.06.2005 को नगर पालिका निगम में नल कनेक्शन हेतु 3,343/–रूपये जमा करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया था किंतु बार–बार सम्पर्क करने के बाद भी उसके मकान में नल कनेक्शन स्थापित नहीं हो पाया, जिस कारणवश आवेदक द्वारा अपने रहवास स्थान में बोरिंग का पानी उपयोग में लिया जाने लगा। किंतु नगर निगम द्वारा आवेदक को जल कर जमा करने हेतु बिल भेजे जाते रहे। दिनांक 24.02.2014 को आवेदक द्वारा उक्त संबंध में नगर निगम तथा सी.एम. हेल्प लाईन में भी शिकायत दर्ज करवायी गई, किंतु समस्या का समाधान नहीं हुआ एवं दिनांक 25.11.2021 को राशि रूपये 39,982/– का बिल प्रेषित किया गया।

उक्त समस्या से व्यथित होकर आवेदक द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर लोक उपयोगी लोक अदालत ने अनावेदक नगर निगम को नोटिस जारी कर तलब किया और स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु निर्देश दिये। जिसके तारतम्य में नगर निगम द्वारा प्रश्नगत स्थल का मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें उक्त स्थान पर नल कनेक्शन नहीं पाया किंतु नगर निगम द्वारा यह व्यक्त किया कि आवेदक द्वारा वर्ष 2005 में नल कनेक्शन हेतु आवेदन देते हुए शुल्क जमा किये जाने पर आवेदक को स्वयं के व्यय पर नवीन नल संयोजन लेने की कार्यवाही किया जाना था, किंतु आवेदक द्वारा आज दिनांक तक नल संयोजन नहीं लिया गया, जिसके फलस्वरूप सम्पूर्ण जवाबदारी आवेदक की बतायी गई।

दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत लोकोपयोगी लोक अदालत ने नगर निगम द्वारा जारी जल कर भुगतान राशि 39,982/–रूपये आवेदक से वसूल किया जाना विधि सम्मत् न होने से नगर पालिका निगम को आवेदक के निवास स्थान में जल प्रदाय किये जाने के संबंध में जल कर शाखा में संधारित खाता क्रमांक–5000218276 को बंद किये जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा उक्त खाता परिप्रेक्ष्य में जारी बिल राशि 39,982/–रूपये या कोई ओर अन्य राशि की वसूली न किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन के समक्ष वर्ष 2019 में खराब हुई खरीफ फसल में किसानों को फसल बीमा की धनराशि संबंध में आवेदन प्रस्तुत किए गए थे। जिसमें लोकोपयोगी सेवाओं के लिये स्थायी लोक अदालत के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 3 प्रकरणों में सुनवाई की गई, जिसमें ग्राम लसुड़िया एवं ग्राम तारोठ के कृषकों को राशि रु. 5,54,687/– की क्षतिपूर्ति दिलवायी गई।

मध्यस्थता योजना

शुभारंभ : सामुदायिक मध्यस्थता केन्द्र

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर

अग्रवाल समाज

कोरी/कोली समाज

मुस्लिम समाज

मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम की झलकियां.....

मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम
जिला न्यायालय - रायसेन (म.प्र.)
जिला एवं सत्र न्यायालय,
जिला न्यायालय-धार
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला झाबुआ
"मिडिएशन जागरूकता कार्यक्रम"
2022
मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम
ब्यावरा
मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम
जिला एवं सत्र न्यायालय

दिव्यांगता से सचलता की ओर...

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर द्वारा दिनांक 12.01.2022 को महिला विक्षिप्तगृह महिला आश्रयगृह एवं पुनर्वास केन्द्र मंदसौर में विधिक साक्षरता शिविर एवं निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त केन्द्र में निवासरत विक्षिप्त महिलाओं की स्वास्थ्य व खान–पान संबंधी जानकारी ली गई एवं उन्हें खाद्य सामग्री प्रदान की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर द्वारा तिली रोड स्थित घरौंदा आश्रम में मानसिक रूप से बीमार एवं विकलांग व्यक्तियों एवं उनके परिवारजन को विधिक सहायता एवं अन्य सहायता प्रदान किये जाने के उद्देश्य से लीगल एड क्लीनिक की स्थापना की गई है, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर द्वारा जिला प्रशासन के समन्वय से दिनांक 14.01.2022 को जागरूकता एवं निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 50 मानसिक रूप से पीडित व्यक्तियों का चिकित्सीय परीक्षण किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन द्वारा महाकाल घाटी स्थित अपंग सेवाश्रम में निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वहां निवासरत बुजुर्ग एवं शारीरिक रूप से अक्षम 11 व्यक्तियों के खान–पान, निवास स्थान, कपड़े, दवाईयों इत्यादि व्यवस्था का अवलोकन किया गया। उनकी सुख सुविधाओं के बारे में जानकारी ली गयी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम

(1)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम द्वारा दिनांक 14. 01.2022 को शासकीय बहु उ.मा. विद्यालय में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। उक्त शिविर में सामाजिक संस्था के समन्वय से एक दिव्यांग छात्र को व्हील चेयर प्रदान की गई। उक्त शिविर में छात्र–छात्राओं को शिक्षा का अधिकार, विधिक सेवा योजनाएं, बालकों के विरूद्व अपराध, कि”ाोर न्याय अधिनियम, मोटरयान अधिनियम, साईबर क्राईम, नि:”ुल्क ि”ाक्षा के अधिकार के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

(2)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम द्वारा दिनांक 20.01.2022 को नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 अंतर्गत निरीक्षण सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। किया गया। उक्त शिविर में दिव्यांगजन को मिलने वाली नि:शुल्क कानूनी सहायता, मानसिक एवं शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई तथा उपस्थित जनसमूह से उनकी समस्याएं पूछी गई।

नालसा (नशा पीडितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम द्वारा दिनांक 25.01.2022 को ए.डी. आर सेंटर, रतलाम में नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 अंतर्गत नारकोटिक्स एनोनिमस के सदस्यों के साथ विधिक जागरूकता शिविर एवं बैठक का आयोजन किया गया।

शिविर में बताया नारोटिक्स एनोनिमस के सदस्य द्वारा समाज को खुशहाल रखने के लिए जिले में व्यापक स्तर पर चलाये जा रहे नशा मुक्ति अभियान की जानकारी दी। शिविर में डॉ. रवि दिवेकर द्वारा नशामुक्त करने हेतु बेहतर इलाज, दवाईयों का प्रयोग, सकारात्मक विचार की आवश्यकता बतायी। उक्त शिविर में नशामुक्ति हेतु कार्यक्रम आयोजित कर नशा पीड़ित व्यक्ति की परेशानियों को सुनकर तथा इसके दुष्प्रभावों एवं बुराइयों के बारे में जागरूक किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। शिविर में नशा छोड़ चुके युवकों द्वारा अपने विचार व्यक्त किये एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा प्रेरित किये जाने के पश्चात् नशे का त्याग कर अपने परिवार के साथ खुशी–खुशी रहने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का आभार व्यक्त किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीहोर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर द्वारा दिनांक 18.01.2022 को ''संकल्प'' नशा मुक्ति केन्द्र में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान वहां उपस्थित व्यक्तियों को नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015 से अवगत कराया गया दृढ़ संकल्पित होकर बुरे व्यसनों त्यागने का संकल्प लेकर पुनः समाज की मुख्य धारा से जुड़ने हेतु प्रेरित किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दतिया

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया द्वारा दिनांक 08.01.2022 को समर्पण न"ाा मुक्ति केन्द्र दतिया में ऑनलाईन माध्यम से विधिक साक्षरता f"ाविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में उपस्थित व्यक्तियों को नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015 की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायसेन

(1)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन द्वारा पुलिस प्रशासन के समन्वय से दिनांक 06.01.2022 को पुलिस विभाग के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 के प्रावधानों के बारे विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उक्त योजना अंतर्गत अपराध के फलस्वरूप प्रतिकर व शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज कराये जाने के बारे में जानकारी प्रदान की गई। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम 30 व्यक्ति उपस्थित रहे।

(2)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन द्वारा दिनांक 31.01.2022 को विधिक सहायता पैनल अधिवक्ताओं एवं किशोर न्याय बोर्ड के अंतर्गत कार्यरत पैनल अधिवक्ताओं की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें न्याय प्रशासन में विधिक सहायता पैनल अधिवक्ता की भूमिका, उनकी कार्य की पद्धति के बारे में भी जानकारी दी गई। पैनल अधिवक्ताओं को जेल में निरूद्ध बंदियों के लिये भी निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। चार्जशीट की जांच, आरोप के बिंदु पर तर्क, गवाह के परीक्षण, विचारण की तैयारी, प्रभावी प्रतिपरीक्षण के दौरान ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें तथा निर्णय के संबंध में अपील की कार्यविधि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। अधिवक्ताओं को विधिक सहायता प्रकरणों की पैरवी किये जाने के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई तथा अधिवक्ताओं के द्वारा विधिक सहायता के संबंध में पूछे गये प्रश्नों का समाधान किया गया।

(3)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन द्वारा दिनांक 31.1.2022 को जिला रायसेन के समस्त पैरालीगल वालेंटियर्स के लिए गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें पैरालीगल वालेंटियर्स को नालसा योजनाओं की विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान दी गई। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वय के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए योजना के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया। मनरेगा योजना के अंतर्गत यदि भ्रष्टाचार होता है तो जिला प्राधिकरण को सूचित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

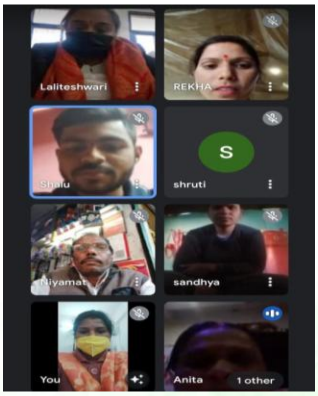

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्योपुर द्वारा दिनांक 13.01.2022 को ए.डी.आर. सेंटर में बाल कल्याण समिति, चाईल्ड हेल्प लाईन व किशोर न्याय बोर्ड श्योपुर के सदस्यगण के समन्वय से पॉक्सो एक्ट व किशोर न्याय अधिनियम पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों व अधिनियम में किशोरों के पुनर्वास पर प्रकाश डालते हुये विभिन्न आयामों जैसे पुनर्वास की अवधारणा और संकल्पना, पुनर्वास का विस्तार व वर्गीकरण, बाल मित्रवत वातावरण, बाल मित्रवत प्रक्रिया व उपचार, संस्थागत पुनर्वास व संस्थागत देखभाल, पश्चातवर्ती देखभाल तथा पुनर्वास योजनाओं इत्यादि पर विस्तृत चर्चा की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीहोर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर द्वारा दिनांक 11.01.2022 को ऑनलाईन माध्यम से संपूर्ण जिले पैरालीगल वालेन्टियर्स हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में

लोक अदालत योजना, विधिक साक्षरता शिविर योजना, पैरालीगल वालेंटियर्स योजना, नालसा (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम 2010, निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह योजना, पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना, म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, पॉक्सो एक्ट, सम्पत्ति अंतरण अधिनियम की विस्तृत जानकारी प्रदान करने के साथ साथ पैरालीगल वालेन्टियर्स के कर्तव्य एवं दायित्वों पर प्रकाश डाला। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला सशक्तिकरण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला एवं बाल विकास संबंधी लाडली लक्ष्मी योजना एवं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। अध्यक्ष बाल कल्याण समिति द्वारा बाल कल्याण समिति की कार्यप्रणाली, नियमों एवं योजनाओं की जानकारी व बाल सम्प्रेक्षण गृह इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया। यातायात प्रभारी पुलिस विभाग द्वारा पुलिस की कार्यप्रणाली एवं यातायात सम्बंधी नियमों की जानकारी प्रदान की तथा, संयोजक लोक सेवा केन्द्र द्वारा लोक सेवा गारंटी अंतर्गत शासन की ओर से प्रदत्त योजनाओं की जानकारी दी गई।

श्री राजेन्द्र सिंह चाइल्ड लाईन सीहोर द्वारा उनके विभाग की कार्यप्रणाली एवं नियमों की विस्तृत रूप से जानकारी देकर बालक/बालिका की सुरक्षा के बारे में बताया गया।

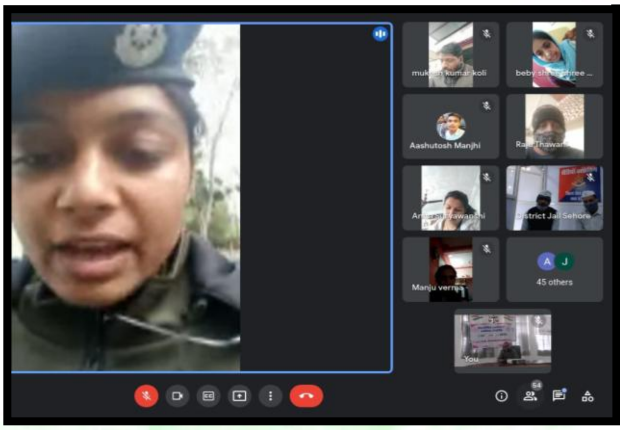

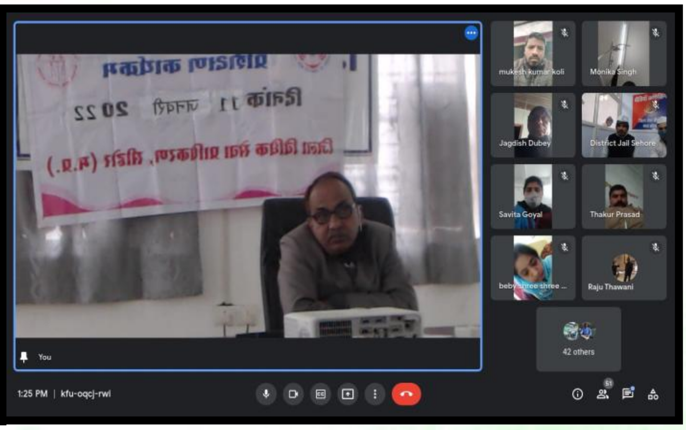

म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015

म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कोविड–19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए ऑनलाईन माध्यम से म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 के अंतर्गत 5 अपीलों की सुनवाई की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धार द्वारा म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 की बैठक में प्रतिकर निर्धारण हेतु 03 प्रकरण रखे गये जिसमें सर्वसम्मति से कुल 07 लाख रूपये प्रतिकर प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान की गई। इसके साथ ही लंबित प्रकरणों की यथाशीघ्र जॉच प्रतिवेदन संबंधित को तैयार किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये ताकि लंबित आवेदनों का यथाशीघ्र निराकरण किया जा सके।

जेल बंदियों तक पहुंच...

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों में पारित आदेश के तारतम्य में एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश के पालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा जेल निरीक्षण एवं जेल में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किये गये। जेल निरीक्षण के दौरान बंदियों के रहने, भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि का अवलोकन किया गया। साथ ही आयोजित शिविरों के दौरान बंदियों को प्लीबारगेनिंग, निःशुल्क विधिक सहायता योजना, जेल में स्थापित लीगल एड क्लीनिक, टोल फ्री नंबर 15100 की जानकारी प्रदान की गई।

जेल लीगल एड क्लीनिक में नियुक्त बंदी पैरालीगल वालेंटियर्स हेतु ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन एवं सीहार द्वारा जेल में स्थापित लीगल एड क्लीनिक में नियुक्त बंदी पैरालीगल वालेंटियर्स हेतु ऑनलाईन माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में पैरालीगल वालेंटियर्स को निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह, प्ली–बार्गेनिंग की विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की गई।

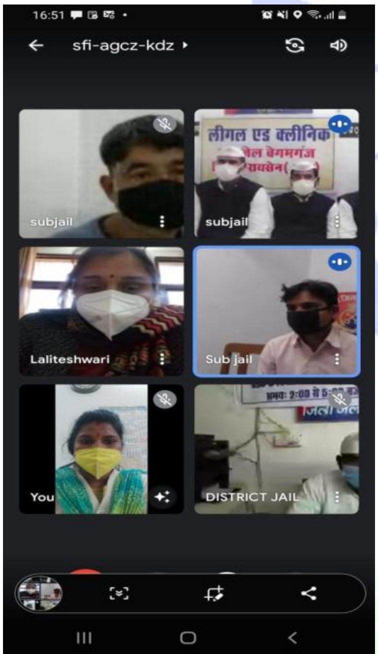

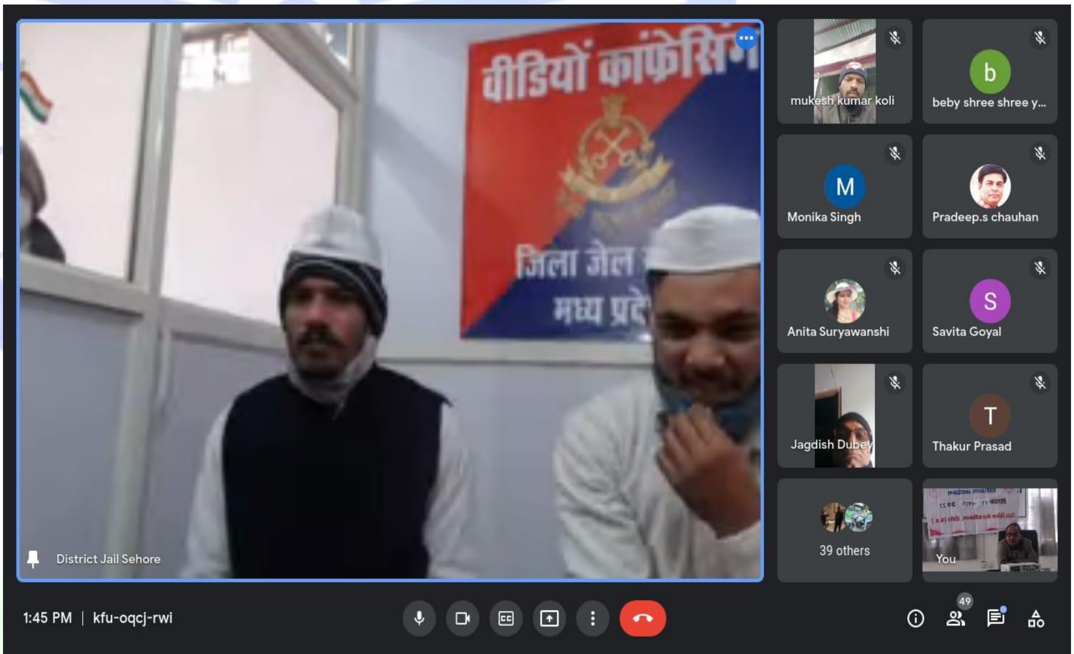

जेलों में आयोजित विधिक साक्षरता शिविरों एवं निरीक्षण कार्यक्रम की झलकियां....

विधिक साक्षरता शिविर

विधिक साक्षरता
शिविर

आज़ादी का अमृत महोत्सव
पुस्तक विमोचन एवं सरस कवि सम्मेलन
पुस्तक : (1) सरसों की पियराई लिखना
(2) छटने लगा अंधेरा
रचनाकार : कुँ अनन्त प्रताप सिंह 'अनंत' पूर्व उप जेल अधीक्षक
मुख्य अतिथि : श्री एस.के. उपाध्याय जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल रीवा
स्थान : केन्द्रीय जेल रीवा (म.प्र.)
समय : 11:00 से 01:00 बजे तक

2021-12-27 16:16

REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

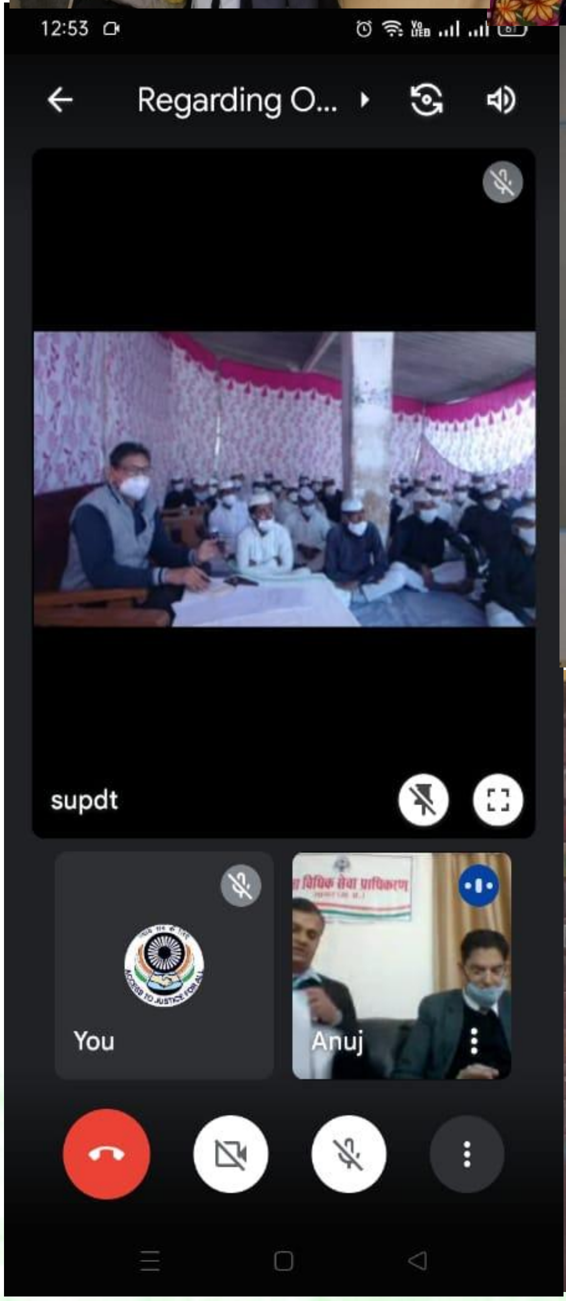
12:53
Regarding O...
supdt
You
Anuj

datia jail

विवाद विहीन ग्राम योजना, 2000

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ द्वारा दिनांक 11.01.2022 को विवाद विहीन ग्राम श्यामपुरा में ऑनलाईन माध्यम से विवाद विहीन ग्राम सेवादल के सदस्यों एवं ग्रामीणजनों के साथ विधिक साक्षरता ि"ाविर सह बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें सेवादल के सदस्यों, जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला प्र"ाासन के स्थानीय क्षेत्र के अधिकारियों, ग्राम सरपंच, सचिव, ग्राम के प्रतिष्ठित समाजसेवी के साथ विवाद विहीन ग्राम की प्रगति की जानकारी प्राप्त की एवं आगामी योजना पर चर्चा की गई। उक्त के संदर्भ में राजीनामा योग्य विवादों को सुलह समझौता के माध्यम से निराकरण कराये जाने हेतु वि"ोष बल दिया गया। इस अवसर पर विवाद विहीन ग्राम संरचना, उददे"य व प्रकियाओं पर प्रका"ा डाला गया एवं ग्राम के निवासियों को उनकी राज्य प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी प्रदान की।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम द्वारा ग्राम पंचायत बांगरोद में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विवाद विहीन ग्राम योजना–2000 के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। ग्रामीणों को आपस में विवाद न करने एवं विवाद को आपसी सूझबूझ या समझौते द्वारा निराकरण किये जाने के बारे में बताया गया। इस अवसर पर ग्रामीणजन को वैकल्पिक विवाद समाधान के विभिन्न माध्यमों की जानकारी प्रदान करते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी विस्तृत रूप से प्रदान की गई।

नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा) योजना, 2015

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा) योजना, 2015 के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों से अवगत कराने, उन तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित किये जाने हेतु विधिक वृद्धाश्रमों में विधिक साक्षरता, जागरूकता शिविर आयोजित किये गये।

सफलता की कहानियां......

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल

दिव्यांग बालिका दीपिका की विकलांग पेंशन स्वीकृत

दिनांक 11 जनवरी 2022 को बैतूल से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र बैतूल टॉक्स के मुख्य पृष्ठ पर समाचार प्रकाशित समाचार अनुसार ''ग्राम बोथिया विकासखण्ड झल्लार तहसील भैंसदेही जिला बैतूल के श्री संतोष कासदेकर की 15 वर्ष की बेटी दीपिका के विकलांग होने, पूरी तरह से पात्र होने और दर्जनों चक्कर काटने के बावजूद अभी तक कोई विकलांग प्रमाण–पत्र नही बन पाया और न ही उसकी कोई पेंशन चालू हुई, जबकि दीपिका जन्म से ही हाथ–पाव से दिव्यांग है और इतनी असहाय है कि अपने हाथ से पानी भी पीने में सक्षम नही है।

उक्त प्रकाशित खबर पर त्वरित संज्ञान लेते हुये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल के द्वारा संबंधित दिव्यांग के ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से बालिका एवं उसके पिता संतोष की जानकारी ली गई एवं ज्ञात हुआ कि वर्षों से प्रयास करने के बाद भी आज तक दीपिका का दिव्यांग प्रमाण–पत्र नही बन पाया है इस कारण से दिव्यांग पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है।

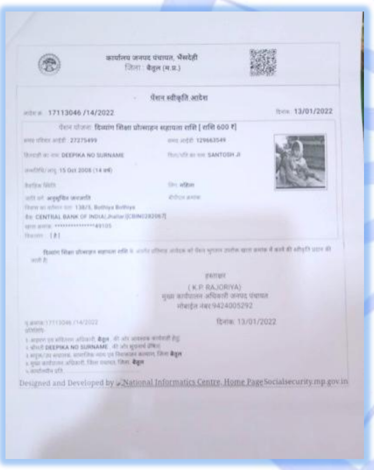

सचिव के द्वारा दिव्यांग प्रमाण–पत्र बनवाये जाने हेतु पैरालीगल वॉलेंटियर को मेडीकल बोर्ड के समक्ष दीपिका को प्रस्तुत करने के निर्देष दिये गये। पैरालीगल वॉलेंटियर के द्वारा जिला चिकित्सालय के मेडीकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित कर दिव्यांग दीपिका का दिव्यांग प्रमाण–पत्र प्राप्त करवाया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल द्वारा सामाजिक न्याय विभाग के उपसंचालक से दस्तावेजी कार्यवाहियां पूर्ण की जाकर दीपिका का पेंशन आदे विभाग के द्वारा शीघ्र जारी किये जाने की चर्चा की गई तथा जिला प्राधिकरण, बैतूल के निरंतर सहयोग एवं समन्वय से दिनांक 13.01.2022 को दिव्यांग दीपिका का पेंशन आदेश जारी कर दिया गया।

सहृदयता

विधिक सहायता की सचिव दीपिका मालवीय ने दिखाई संवेदनशीलता

बैतूल टॉक्स की खबर पढ़कर एडीजे ने बनवाया विकलांग प्रमाण पत्र

बैतूल टॉक्स, बैतूल

विधिक सेवा की सचिव और एडीजे दीपिका मालवीय ने स्वत संज्ञान लेकर एक विकलांग का विकलांग प्रमाण पत्र बनवाया। बैतूल टॉक्स में मंगलवार को प्रकाशित खबर पढ़ने के बाद उन्होंने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए त्वरित कदम उठाया है। बताया गया कि एडीजे दीपिका मालवी ने पंचायत सचिव बोथिया को तलब किया। पूरी जानकारी ली और संतोष कासदेकर और उसकी बेटी दीपिका को बुलाया। इसके बाद उन्होंने जिला विधिक सहायता अधिकारी मिथलेश के माध्यम से पैरालिगल वालेंटियर अमित सक्सेना के साथ उसे अस्पताल पहुंचाया। जहां मेडिकल बोर्ड के सदस्यों को फोन किया। उक्त बच्ची का मेडिकल हुआ जिसमें उसे 80 फीसदी विकलांग बताया गया। उसका प्रमाण पत्र बनाया। इसके बाद सामाजिक न्याय विभाग उपसंचालक को फोन कर उसकी पेंशन स्वीकृत करवाई गई।

कलेक्टर साहब...इस मासूम को दिव्यांग नहीं मानते आपके कर्मचारी-अधिकारी

यह था मामला

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ग्वालियर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला ग्वालियर के क्षेत्रान्तर्गत गरीब समुदाय के व्यक्तियों को अपेक्षित विधिक सहायता एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने हेतु नालसा की गरीबी उन्मूलन योजनान्तर्गत पैनल अधिवक्ताओं/पैरालीगल वालेन्टियर्स की टीमें गठित की गई है, जिसमें कानून सेवा अधिकारी नामांकित किया गया है।

इसी क्रम में दिनांक 22 जनवरी 2022 को महिला थाना पड़ाव ग्वालियर के बाहर एक लगभग 17 वर्ष की नाबालिग बालिका डरी सहमी बैठी हुई थी। उसी समय कानून सेवा अधिकारी द्वारा बालिका से पूछे जाने पर उसने बताया कि उसके माता–पिता व भाई उसे आए दिन परेशान करते रहते है इसलिए वह थाने आई है। बालिका के उत्तर से ऐसा लगने पर कि वह सही नहीं बोल रही है, कानून सेवा अधिकारी द्वारा बालिका के बताये गये मोबाइल नम्बर से बातचीत किये जाने पर पता चला कि उसके माता पिता तथा भाई उसे सुबह से खोज रहे थे। सूचना पाकर परिवारजन तत्काल महिला पड़ाव थाने पहुचें। उनसे बातचीत किये जाने पर उन्होने बताया कि लड़की दिन–रात मोबाईल पर बात करती रहती है, मना किये जाने पर वह लड़ने लगती है। बालिका तथा माता–पिता को आपसी बातचीत कर समझाया गया तो वह बालिका अपने माता–पिता के साथ वापस चली गयी ।

सूझबूझ से नाबालिग बच्ची को सुपुर्द किया परिवार को: शिल्पा डोगरा

सत्ता सुधार ■ ग्वालियर

नाबालिक बच्चों को माता-पिता सही समय पर निगरानी और देखभाल ना कर सके तो शहर में ऐसे कई नाबालिग बच्चे हैं जो भटक जाते हैं आज शुक्रवार को ऐसा ही मामला उस दरमियान हुआ जब गौरवशाली सामाजिक संस्था की संस्थापक अध्यक्ष अधिवक्ता शिल्पा डोगरा एक मामले में महिला थाना पड़ाव में गई हुई थी उसी दौरान गेट के बाहर एक नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र करीब 17 साल होगी वह काफी डरी सहमी दिख रही थी पूछताछ करने पर उसने बताया वह गुढा क्षेत्र के अंतर्गत निवास करती है और उसके बताए अनुसार माता-पिता हमेशा आए दिन परेशान करते हैं, मैं संबंधित थाने गई थी फिर मुझे किसी ने बताया कि महिला थाने जाओ वहां तुम्हारी सुनवाई होगी। अधिवक्ता शिल्पा डोगरा को उसकी बातें कुछ नगावरा गुजरी तब संस्था के संरक्षक श्याम श्रीवास्तव से मोबाइल पर बात हुई तब पता चला कि प्रहलाद जी ने श्याम श्रीवास्तव जी का नंबर उस लड़की को मदद के लिए दिया था तब उस लड़की पर एक कागज पर श्याम श्रीवास्तव जी का नंबर लिखा था मैंने उस नंबर पर कॉल कर जानकारी ली तो श्याम श्रीवास्तव जी ने बताया कि हां यह लड़की की मदद करनी है और इसको इंसाफ दिलाना है। अध्यक्ष शिल्पा डोगरा एवं संस्था सचिव वासुदेव मिश्रा ने उक्त बच्ची से और जानकारी ली एवं उसके घर वालों का मोबाइल नंबर प्राप्त कर उसके भाई से संपर्क साधा गया और करीब आधे घंटे पश्चात उसका भाई एवं उसकी मां महिला थाने पहुंचे। उनसे जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि हम सुबह से तलाश कर रहे हैं और हम सुबह माधवगंज थाने भी गए थे जहां से यह चली गई थी तभी से हम पूरा परिवार तलाश कर रहे हैं। मां ने बताया इसके भविष्य के खातिर हम इससे ज्यादा मोबाइल चलाने के लिए और बाहरी लोगों से बातचीत करने के लिए रोकते हैं तो डांट फटकार भी कर देते हैं। मां की बात से भाई भी सहमत रहा तब उस बच्ची से हमने पूछताछ की गई तो बच्ची कुछ नहीं बोल पाई। तब जाकर पूरा मामला समझ आया कि कम उम्र में ही मोबाइल का सही तरीके से उपयोग ना करना बच्चों के भविष्य को खराब कर देता है। उक्त बच्ची की मां एवं भाई ने कहा कि आप लोगो का बहुत धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारी इस प्रकार मदद की और हमें मौके पर बुला लिया गया हम सुबह से काफी परेशान घूम रहे थे। मां भाई की दुआएं ऐसे लग रही थी मानो जैसे आज हमने उक्त नाबालिक बच्ची को गुमराह होने एवं गलत कदम उठाने से रोक लिया गया है शायद प्रभु की यही इच्छा रही होगी और अचानक से उक्त बच्ची की मुलाकात हम लोगों से हो गई ऐसे कई मामले शहर में आते हैं जो बच्चे मोबाइल एवं गलत संगति में पढ़कर मां-बाप के खिलाफ चले जाते हैं। संस्था अध्यक्ष अधिवक्ता शिल्पा डोगरा एवं संस्था सचिव वासुदेव मिश्रा ने नाबालिक बच्ची को मा एवं भाई के सुपुर्द कर उन्हें आश्वासन दिया कि कभी भविष्य में कोई दिक्कत आए तो हम आप की हर संभव मदद अवश्य करेंगे। एवं ऐसे परिवारों से भी निवेदन किया गया है कि अपने बच्चों खासकर नाबालिक अवस्था के बच्चों पर निगरानी अवश्य रखते हुए मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने पर रोक लगाई जाए। संस्था के संरक्षक श्याम श्रीवास्तव जी ने उक्त बच्ची को अपना मोबाइल नंबर दिए जाने से उसकी सही समय पर मदद मिली एवं उक्त बच्ची सकुशल घर लौटी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन

1. आवेदिका मीराबाई पति स्व. संतोष अंबर, उज्जैन ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि उसके पति की मृत्यु 05 वर्ष पहले हो गयी थी। वह कई बार नगर निगम कार्यालय में विधवा पेंशन के लिये आवेदन दे चुकी हैं एवं कार्यालय के चक्कर लगा चुकी हैं, लेकिन उनकी विधवा पेंशन का निराकरण नहीं हो पाया है। आवेदिका अत्यधिक गरीब महिला होकर (मजदूरी) दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर अपना जीवन कर रही हैं। सचिव जिला प्राधिकरण, उज्जैन द्वारा नगर निगम कार्यालय से संपर्क कर पीड़िता की विधवा पेंशन स्वीकृत करवाने में सहायता की गयी।

2. आवेदक श्रीमती बबीता भाटी पति स्व. आजाद, उज्जैन ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि उसके पति की मृत्यु 02 वर्ष पूर्व हो गयी थी, आवेदिका की किसी भी विभाग द्वारा मदद नहीं हो पाई थी, वह पिछले 02 वर्षों से बहुत परेशान थी। आवेदिका वर्तमान में बेरोजगार होकर इकलौती बेटी का भरण–पोषण बहुत परेशानी उठाते हुए कर रही है। उसे विधवा पेंशन भी नहीं मिल रही है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन द्वारा पेंशन अधिकारी नगर निगम से संपर्क कर आवेदिका की विधवा पेंशन स्वीकृत कराने में सहायता की गयी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ग्वालियर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 07 जनवरी 2022 को जिला पारिवारिक विवाद योजना के अंतर्गत लंबित आवेदनों की सुनवाई की गई। कुल 3 प्रकरणों में पति–पत्नी को उनके भविष्य को लेकर समझाईश दी गई जिस पर दोनों पति पत्नी साथ में दांपत्य जीवन का निर्वहन करने के लिए स्वेच्छा से खुशी–खुशी सहमत हुए समझाईश के बाद राजीनामा से प्रकरण निराकृत हुआ।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

केंट क्षेत्र के बेघर कड़ाके की ठंड में ठिठुरते हेतु मजबूर बेसहारा एवं असहाय लोगों के लिए सहायता हेतु आगे आया विधिक सेवा प्राधिकरण

केंट क्षेत्र, जबलपुर के अंतर्गत डेरा जमाये हुये 50 से अधिक संख्या में बेघर व्यक्ति कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रात गुजारने एवं ठिठुरने के लिए मजबूर थे।

उक्त खबर दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित होकर उसको गंभीरता से लेते हुए मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर को निर्देशित किया गया, जिसके तारतम्य में जिला विधिक सहायता अधिकारी एवं पैरालीगल वालेंटियर द्वारा मौका स्थल (एम्पायर तिराहे के पास) पर जाकर अवलोकन किया गया। मौके पर मौजूद व्यक्तियों से चर्चा करने पर यह जानकारी प्राप्त हुयी कि वह अलग–अलग क्षेत्रों से आये हुये लोग है और विगत् कई वर्षो से उस खुले स्थान पर अपना डेरा परिवार समेत जमाये हुए हैं। वे जीवनयापन हेतु विभिन्न प्रकार की मजदूरी आदि कार्य करते आ रहे है एवं वह उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा तत्काल केंट प्रशासन से समन्वय स्थापित कर उनके पुर्नवास हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान किये जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिवपुरी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी द्वारा दिनांक 13.01.2022 को ग्राम लालगढ़ में नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों का असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए संचालित संबल योजना की जानकारी विस्तृत रूप से प्रदान की गई। उपस्थित ग्रामीणजन को श्रमिकों के पंजीयन, आयुष्मान योजना एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं की भी जानकारी प्रदान की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन द्वारा श्रमिकों के विरुद्ध अपराध प्रकोष्ठ के अंतर्गत गठित सेल के संबंध में दिनांक 21.01.2022 को मजदूर संगठन के साथ बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में उपस्थित मजदूर संगठन के साथ मजदूरों की सुविधायें, कठिनाईयों, सुझावों आदि के संबंध में चर्चा की गयी, जिसके संबंध में मजदूर संघ उज्जैन के द्वारा मजदूरों की प्रमुख समस्याओं के संबंध में पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिनका निराकरण कराने हेतु संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर हल करने का प्रयास किया जा रहा है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित विशिष्ट गतिविधियां

बुंदेली मेले में सात दिवसीय स्टाल स्थापित कर योजनाओं का प्रचार-प्रसार

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
दमोह

ई-सेवा केन्द्र, ई-न्यायालय सेवा एवं नालसा मोबाईल एप्प के संबंध में आयोजित शिविर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
कटनी

सायबर अपराध के प्रति लोगों में जागरूकता कार्यशाला एवं ब्रोशर्स का वितरण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
खण्डवा

सचल विधिक सेवा केन्द्र के माध्यम से योजनाओं का प्रचार-प्रसार

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
राजगढ़

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
शिवपुरी

तीव्र ठंड में निर्धन वर्ग को कंबल का वितरण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
मण्डलेश्वर

ट्रांसजेण्डर समुदाय के हितार्थ आयोजित गतिविधियां

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा ट्रांसजेण्डर समुदाय के परिचय पत्र, राशन कार्ड बनवाये जाने एवं उन्हें अपेक्षित विधिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य वं उनके कल्याणार्थ योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान किये जाने हेतु विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया।

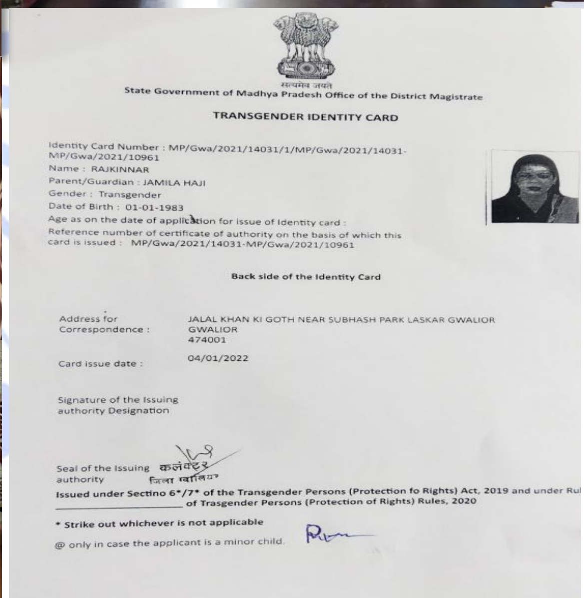

सत्यमेव जयते

State Government of Madhya Pradesh Office of the District Magistrate

TRANSGENDER IDENTITY CARD

Identity Card Number : MP/Gwa/2021/14031/1/MP/Gwa/2021/14031-MP/Gwa/2021/10961
Name : RAJKINNAR
Parent/Guardian : JAMILA HAJI
Gender : Transgender
Date of Birth : 01-01-1983
Age as on the date of application for issue of Identity card :
Reference number of certificate of authority on the basis of which this card is issued : MP/Gwa/2021/14031-MP/Gwa/2021/10961

Back side of the Identity Card

Address for Correspondence : JALAL KHAN KI GOTH NEAR SUBHASH PARK LASKAR GWALIOR GWALIOR 474001

Card issue date : 04/01/2022

Signature of the Issuing authority Designation

Seal of the Issuing authority कलेक्टर जिला ग्वालियर

Issued under Sectino 6*/7* of the Transgender Persons (Protection fo Rights) Act, 2019 and under Rul ____________ of Trasgender Persons (Protection of Rights) Rules, 2020

* Strike out whichever is not applicable

@ only in case the applicant is a minor child.

पंच-ज अभियान

(जल, जंगल, जमीन, जन एवं जानवर)

पंच- ज अभियान अंतर्गत वृक्षारोपण, मां नर्मदा के तटों पर स्वच्छता, एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन

क्रिमिनल अपील क्रमांक 135/2010 बुद्धदेव कर्मासिकर विरूद्ध पश्चिम बंगाल शासन एवं अन्य में पारित निर्णय के तारतम्य में गतिविधियां

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील क्रमांक 135/2010 बुद्धदेव कर्मासकर विरूद्ध प”चम बंगाल शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14.12.2021 के पालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा जिला एड्स नियंत्रण सोसायटी, सेक्स वर्कर्स के कल्याणार्थ संचालित संस्था, जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के साथ बैठकों का आयोजन कर रजिस्टर्ड सेक्स वर्करों के रा”ान कार्ड, आधार कार्ड एवं मतदाता परिचय पत्र बनवाये जाने एवं बाधा आने पर संबंधित शासकीय विभाग से समन्वय हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करने के निर्दे”ा दिए गए।

नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 अंतर्गत आयोजित शिविर, निरीक्षण कार्यक्रम की झलकियां.....

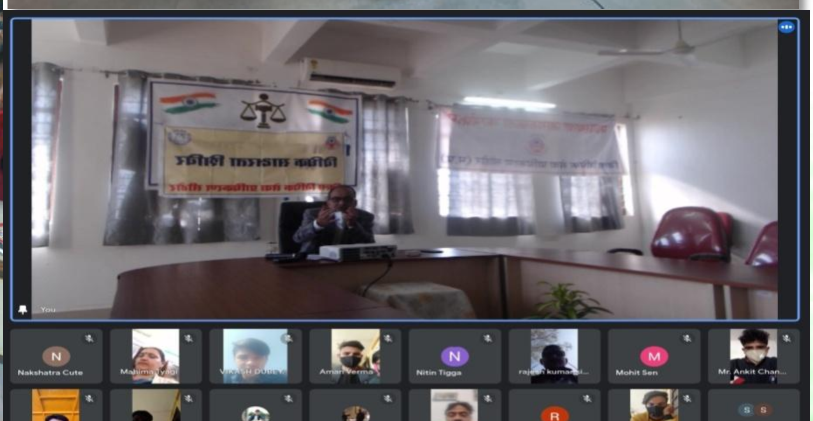

म.प्र. राज्य विधिक
सेवा प्राधिकरण जबलपुर
के निर्देशानुसार
विधिक साक्षरता शिविर

विधिक साक्षरता शिविर
तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण

विधिक साक्षरता शिविर

सेवा भारती जबलपुर
ISO 9001:2015
सेवाभारती मातृछाया जबलपुर
शिशुगृह एवं विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण(SAA)

"न्याय सबके लिए"

विधिक साक्षरता शिविर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला न्यायालय, मण्डला

शा.हाई स्कूल,छोटी खरगोन
विकासखण्ड - महेश्वर जिला - खरगोन
ओजस युथ क्लब
विधिक साक्षरता
शिविर
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
राष्ट्रीय सेवा योजना
तहसील विधिक सेवा समिति, गौहरगंज
जिला-रायसेन (म.प्र.)
विधिक साक्षरता शिविर
विधिक साक्षरता क्लब
कार्यशाला
विधिक साक्षरता शिविर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित विधिक साक्षरता शिविर

विधिक साक्षरता शिविर

VIJAYARAJE GOVT. GIRLS P.G. COLLEGE
MORAR GWALIOR M.P.
N.C.C.
विधिक जागरूकता शिविर
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

National Webinar
on
Self-Defence and Juvenile Justice
Organized By
Government College, Manawar
Department of Zoology and Women Defence Committee
In the Association with
State Project Directorate RUSA, MPHEQIP- World Bank
Under the Aegis of
Internal Quality Assurance Cell (IQAC)
Resource Persons
S Vineeta
District Judge/
Secretary District Legal Services Authority
M Kaushal
District LEGAL Aid Officer
Dr. R.C. Pantel
Patron & Principal
Dr. I.S. Sastiya
IQAC Head
Dr Pooja Sharma
HOD Zoology
Dr Ankita Soni
Convenor
Prof Preetika Patidar
Co-convenor
Organizing Committee:
Dr Manoj Patidar, Prof Mamta Bhayel, Prof Ritu Mathuriya, Prof Ajay Solanki
Date: 17/01/2022
Time: 01:00 PM
Online Meeting Platform – Google Meet

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण
विधिक साक्षरता शिविर
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

अधिवक्ता संघ

विधिक जागरूकता
एवं साक्षरता शिविर
कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नरसिंहपुर
अमृत महोत्सव
डोर टू डोर (घर-घर पहुँच) अभियान

विधिक जागरूकता
एवं साक्षरता शिविर
तहसील विधिक सेवा समिति (सिविल न्यायालय), गाडरवारा जिला - नरसिंहपुर (म.प्र.)

विधिक साक्षरता शिविर
Kharpa, Madhya Pradesh, India
28VF+WGR, Kharpa, Madhya Pradesh 465691, India
Lat 24.045088°
Long 76.323359°
08/01/22 11:02 AM
GPS Map Camera
Google

विधिक साक्षरता शिविर
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला कटनी

विधिक जागरूकता शिविर

ग्राम पंचायत जुलवानिया ज.प.रतलाम

रोको टोको अभियान

SBI
RSETI

विधिक साक्षरता शिविर

विधिक साक्षरता शिविर

विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर
REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

धूम्रपान एवं तम्बाकू निषेध क्षेत्र
नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015
न्याय सबके लिए
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ऑनलाईन माध्यम से आयोजित विधिक साक्षरता शिविर

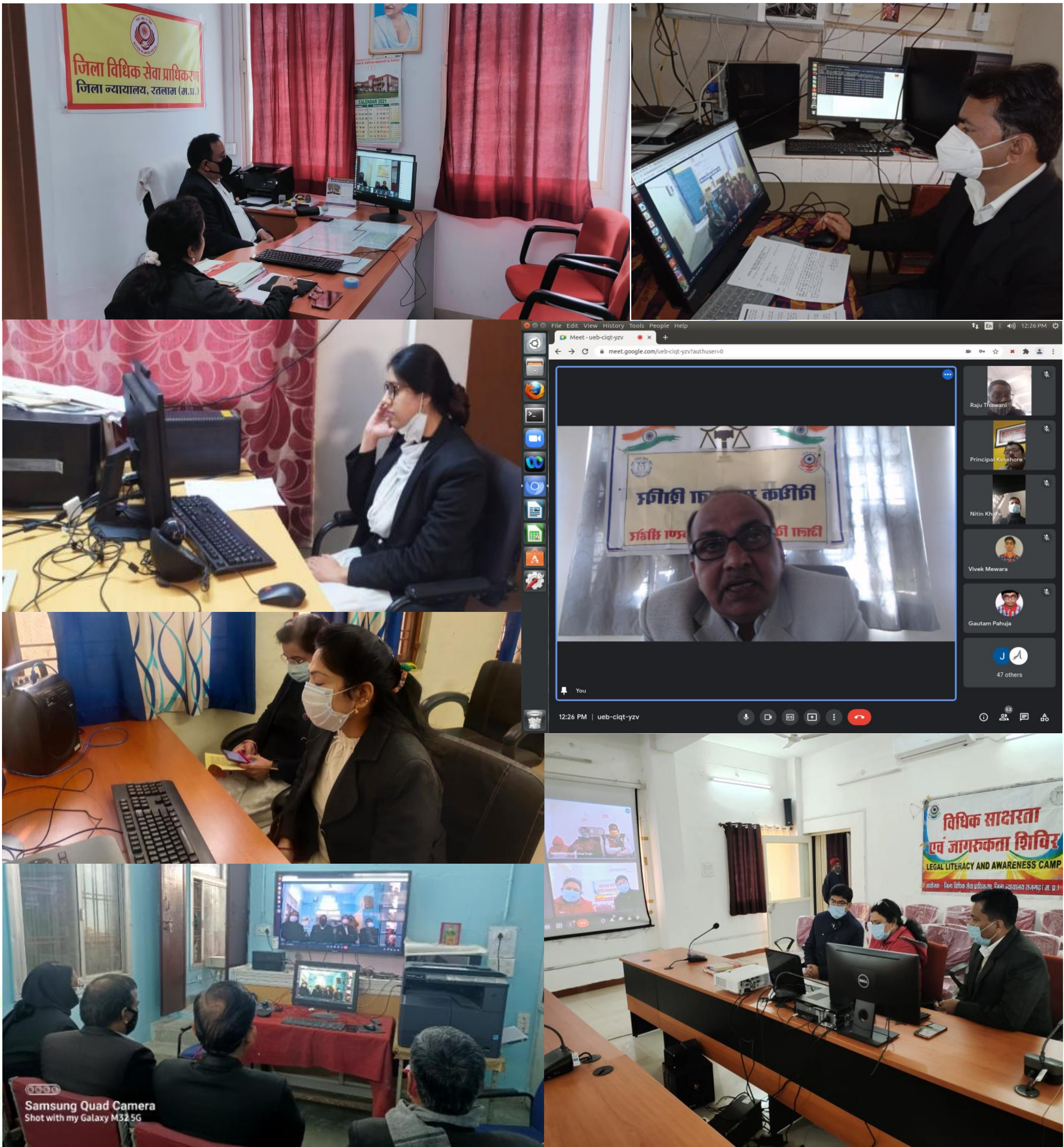

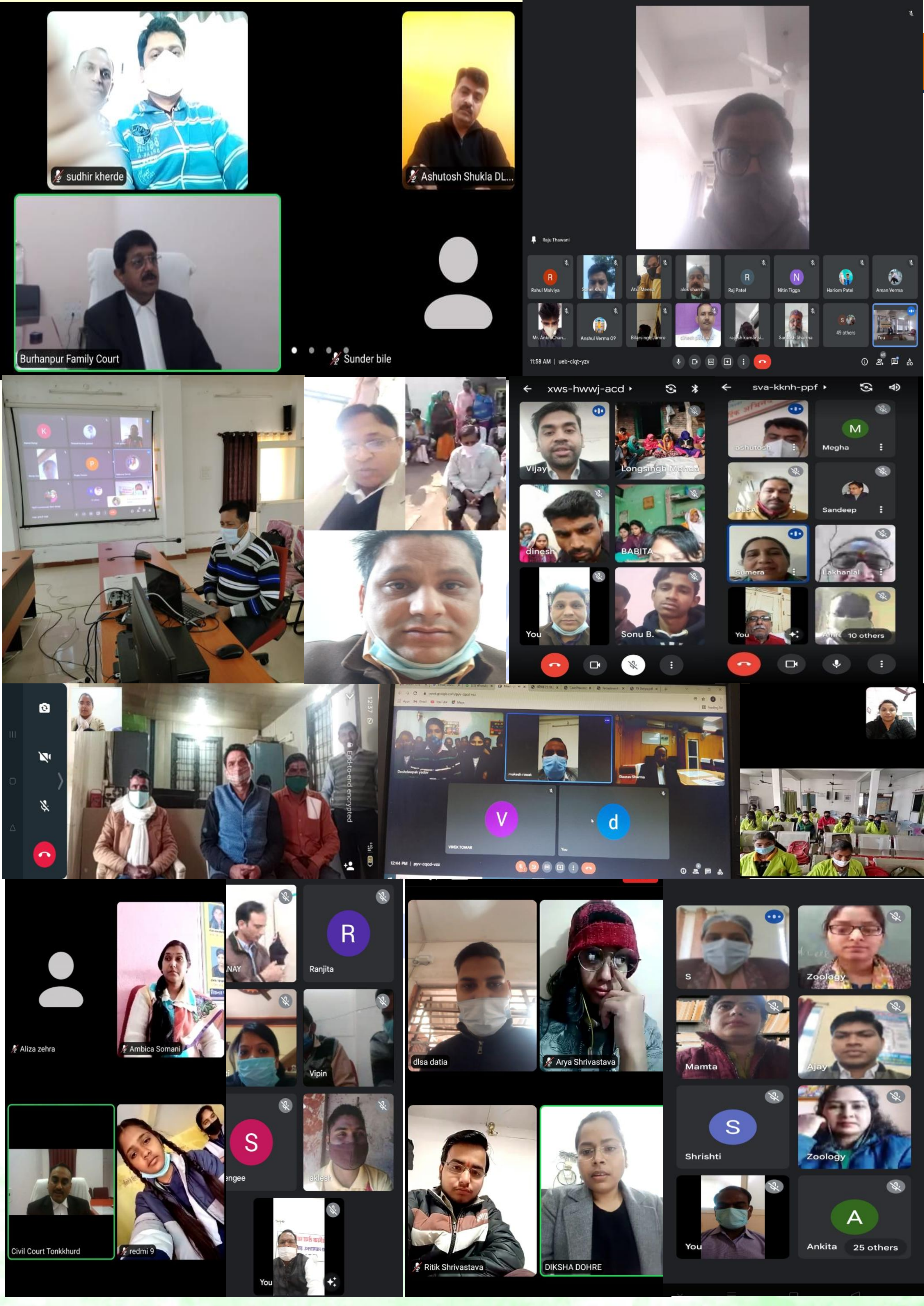

sudhir kherde
Ashutosh Shukla DL...
Burhanpur Family Court
Sunder bile
Raju Thawani
Rahul Malviya
Atul Meena
alok sharma
Raj Patel
Nitin Tigga
Hariom Patel
Aman Verma
Anshul Verma 09
Bilarsingh Jamre
Santosh Sharma
49 others
You
11:58 AM | ueb-clqt-yzv
xws-hwwj-acd
Vijay
Longsingh Mehda
dinesh
BABITA
You
Sonu B.
sva-kknh-ppf
ashutosh
Megha
DLSA
Sandeep
Sumera
Lakhanlal
You
10 others
End-to-end encrypted
mukesh rawat
Gaurav Sharma
VIVEK TOMAR
You
12:44 PM | pyv-oqcd-vzz
Aliza zehra
Ambica Somani
Civil Court Tonkkhurd
redmi 9
Ranjita
Vipin
aklesh
You
dlsa datia
Arya Shrivastava
Ritik Shrivastava
DIKSHA DOHRE
S
Zoology
Mamta
Ajay
Shrishti
Zoology
You
Ankita
25 others

महिला सशक्तिकरण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग, एन.जी.ओ. एवं जिला प्रशासन के समन्वय से महिलाओं एवं बच्चों पर होने वाली लैगिक हिंसा की रोकथाम, सायबर अपराध, मानसिक स्वास्थ्य, म0प्र0 अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015, घरेलू हिंसा अधिनियम, महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम विषय पर शिविरों का आयोजन किया गया।

वन स्टॉप सेंटर
181

विधिक साक्षरता शिविर
न्याय मिले सबको, न्याय सबके लिए

विधिक जागरूकता शिविर

कोरोना जागरूकता अभियान

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा कोविड–19 महामारी से बचाव हेतु जिला प्रशासन के समन्वय से जागरूकता शिविरों, टीकाकरण शिविरों, कोविड–19 जांच शिविर, सेनेटाईजेशन अभियान, रोको–टोको अभियान एवं मास्क वितरण अभियान आयोजित किये गये।

कोरोना से बचाव के उपाय
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास (म.प्र.)

3 जनवरी 2022

May I help you
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर

हिन्दी दिवस

(10.01.2022)

युवा दिवस
(12.01.2022)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा विश्व युवा दिवस पर योग एवं जागरूकता शिविरों का आयोजन

राष्ट्रीय बालिका दिवस
(24.01.2022)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस दिनांक 24.01.2022 के अवसर पर कोविड–19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए फिजिकल एवं ऑनलाईन माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या एवं लैंगिक असमानता जैसे ज्वलंत मुद्दों पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, इसके साथ ही बालिकाओं को सशक्त किये जाने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिन जिलों में बालिका गृह एवं दिव्यांग छात्रावास स्थापित हैं वहा निबंध, चित्रकला, वाद–विवाद, ग्रीटिंग प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीहोर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2022 को जिला राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन के समन्वय से बालिकाओं के समान एवं संरक्षण हेतु **''एक बालिका-एक पौधा''** अभियान चलाकर संपूर्ण जिले में वृहद स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन गया। उक्त महाअभियान के माध्यम से संपूर्ण जिले में 5130 पौधे रोपे गए।

उक्त कार्यक्रम के सफलता हेतु शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास विभाग, सामजिक संगठनों, पैरालीगल वालेंटियर्स एवं जनसंपर्क विभाग के समन्वय से प्रतिदिन सोशल मीडिया, समाचार पत्र एवं अन्य माध्यमों से वृहद प्रचार–प्रसार किया जाकर जनसामान्य से पौधारोपण हेतु अपील की गई, जनसामान्य द्वारा उक्त अपील को सहर्ष स्वीकार कर बेटियों के सम्मान में पौधा रोपण किया गया।

राष्ट्रीय बालिका दिवस की झलकियां....

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलीराजपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अनूपपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अशोकनगर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बड़वानी

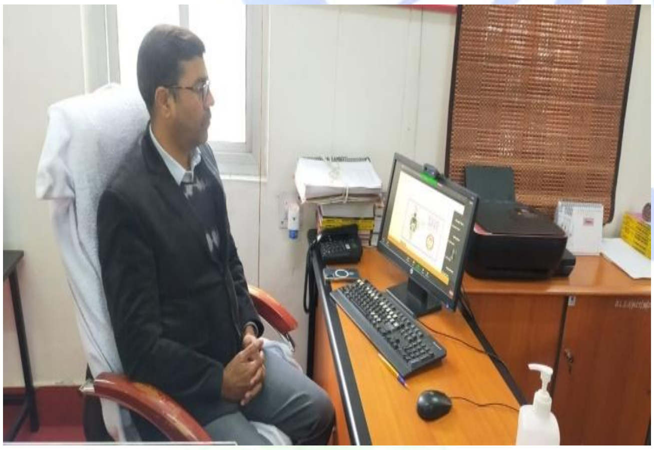

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड

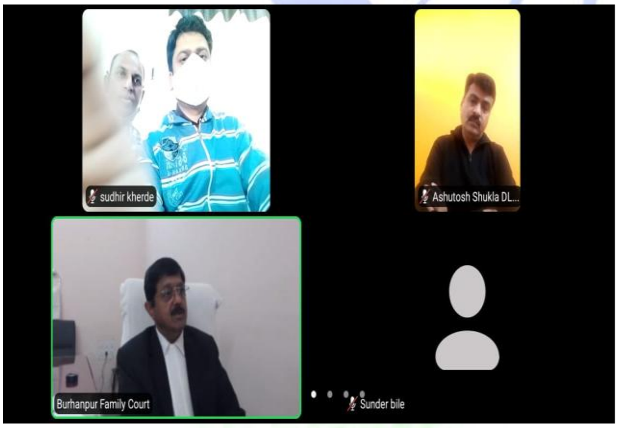

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, छतरपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, छिंदवाड़ा

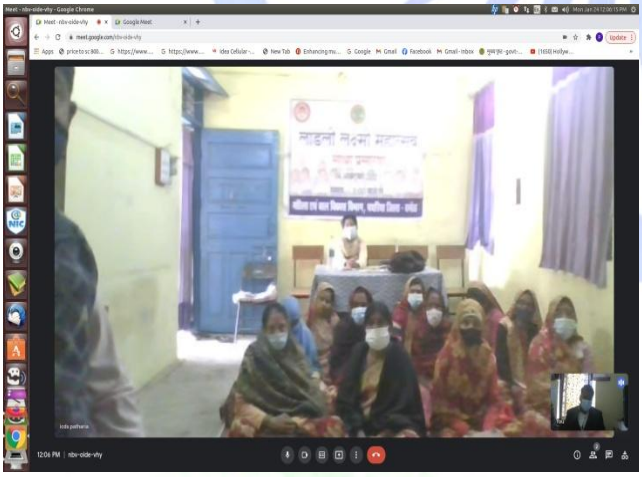

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दमोह

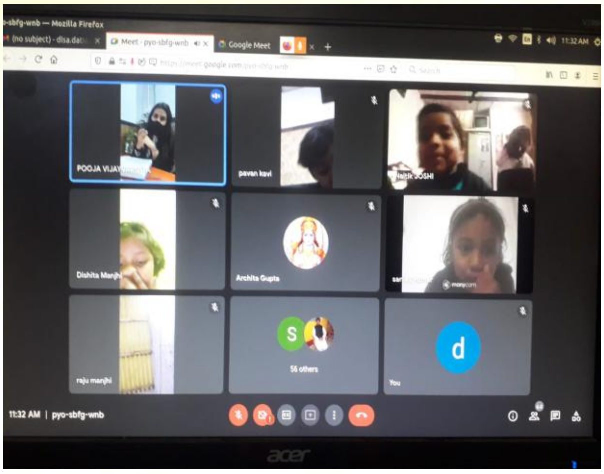

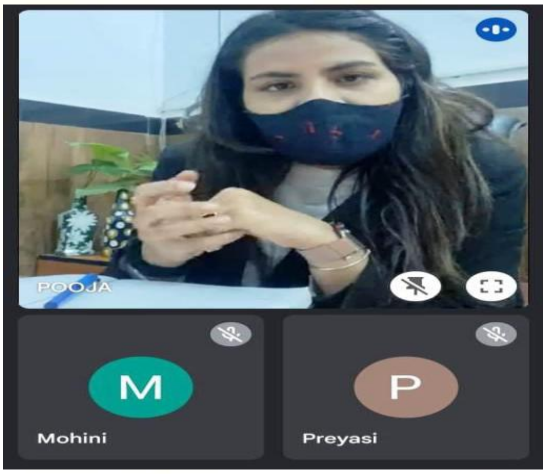

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दतिया

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डिण्डौरी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुना

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ग्वालियर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, होशंगाबाद

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इंदौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कटनी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डला

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुरैना

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नरसिंहपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पन्ना

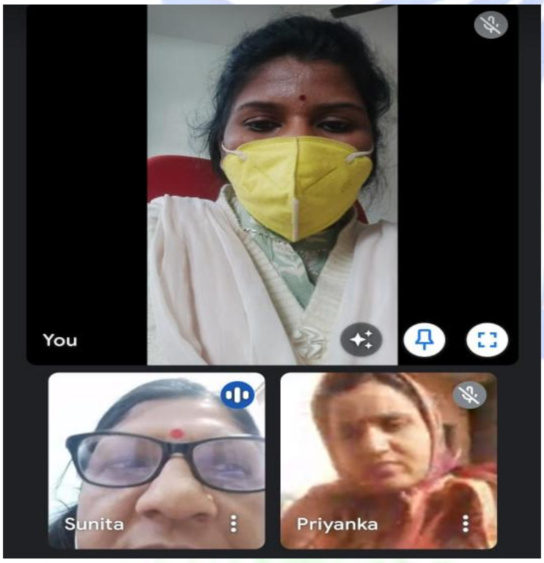

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायसेन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़

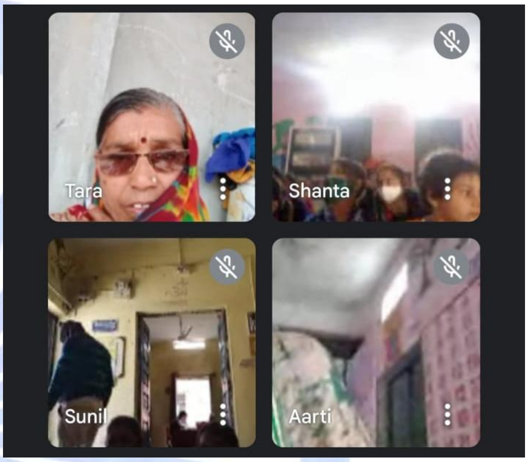

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रीवा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सतना

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीहोर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिवनी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाजापुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर

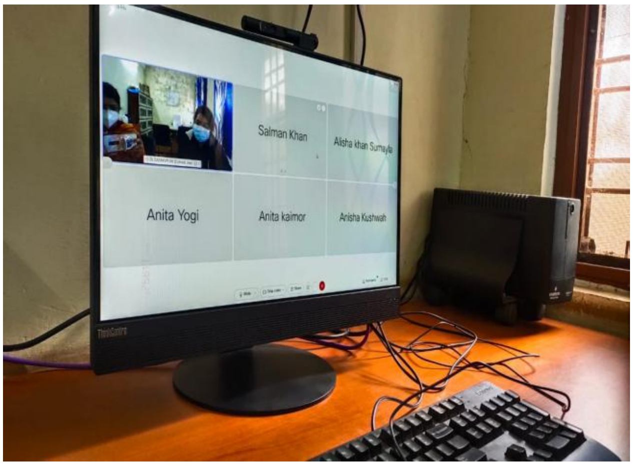

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिवपुरी

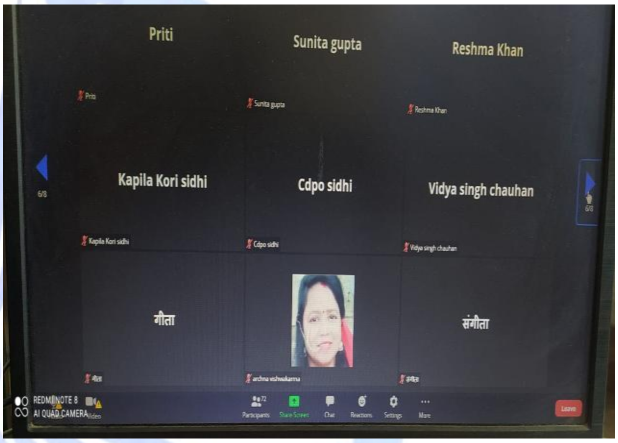

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीधी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिंगरौली

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टीकमगढ़

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उमरिया

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विदिशा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणां द्वारा आयोजित चित्रकला, ग्रीटिंग एवं निबंध प्रतियोगिताओं के छायाचित्र...

15100 हेल्पलाईन के माध्यम से शिकायतों का निराकरण

विधिक समस्याएं	अन्य समस्याएं	कुल योग
19	5	24

-----xxx-----

मीडिया कवरेज.........

जिलेभर में मनाया गया बालिका दिवस

बेटियां देश का भविष्य, नहीं करें भेदभाव

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

सीहोर. जिले में सोमवार को बालिका दिवस मनाया गया। इस दौरान कई जगह आयोजित हुए कार्यक्रमों में बेटियों का स्वागत, सम्मान किया गया, जबकि कई स्थानों पर पौधरोपण ओर प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें बेटियों ने भाग लेकर अच्छा प्रदर्शन किया। प्रधान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष आरएन चंद ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में एक बेटी एक वृक्ष अभियान के तहत सीहोर न्यायालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम में अभियान का शुभारंभ किया। न्यायालय परिसर में बेटियों ने भी पौधरोपण किया। जिले के शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जनपद पंचायत, पोस्ट ऑफिस सहित अन्य शासकीय विभाग, पैरालीगल वालंटियर्स के समन्वय से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व तहसील विधिक सेवा समिति अभियान चलाकर 5100 पौधे रोपे गए। इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश सुरेशसिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मुकेश कुमार दांगी, अपर जिला न्यायाधीश संजय कुमार शाही, अपर जिला न्यायाधीश अशोक भारद्वाज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिलाष जैन थे।

सीहोर. एक बेटी एक पौधा अभियान के तहत पौधरोपण करते हुए।

सीहोर. पर्यावरण सेना बालिका दिवस मनाते हुए।

सीहोर. चाइल्डलाइन में हुए कार्यक्रम में स्टॉफ व बालिका।

जावर. बापचा में बालिका दिवस पर पौधरोपण करते हुए बालिकाएं।

आष्टा. बालिका दिवस पर आयोजित विधिक साक्षरता शिविर।

बुदनी. बालिका दिवस मनाते हुए।

पर्यावरण सेना ने मनाया बालिका दिवस

राष्ट्रीय बालिका दिवस पर पर्यावरण सेना व सीहोर अकादमी के नेतृत्व में चित्रकला प्रतियोगिता हुई। पर्यावरण सेना अध्यक्ष अतुल वर्मा व इवीएम सचिव सोहेल अली ने बालिका शिक्षा को लेकर जागरूक किया। प्रतियोगिता में अनामिका सूर्यवंशी ने प्रथम, अक्षिता आर्य दूसरा व रीना ने तृतीय स्थान व अंशु चौरसिया ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। इस अवसर पर खुशबू सैंधव, योगेश गुप्ता,गिरधर गुप्ता, अंकित सेन, पवन यादव उपस्थित थे।

कार्यशाला हुई

वार्ड क्रमांक 34 के आंगनवाड़ी केन्द्र पर सुरक्षा के विषय पर कार्यशाला आयोजित की। चाइल्ड लाइन ने बताया कि बालिका देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ सांस्कृतिक दूत भी होती हैं। बालिकाओं को स्वच्छता, गुड टच बेड टच, शिक्षा व स्वास्थ्य के विषयों पर जानकारी दी। बाल विवाह, बाल श्रम और यौन उत्पीड़न आदि के बारे में भी बताया गया। इस दौरान 20 बालिकाओं को उपहार वितरण किया गया।

समाज में महिला की मजबूत छवि

आष्टा. तहसील विधिक सेवा समिति आष्टा अध्यक्ष व प्रथम जिला न्यायाधीश सुरेश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया। न्यायाधीश सुरेश कुमार ने बताया कि कन्या भ्रूण हत्या के लिए पीएनडीटी एक्ट 1996 के तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच पर पाबंदी है। ऐसे में अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी कराने वाले जोड़े या करने वाले डॉक्टर, लैबकर्मी को तीन से पांच साल सजा और 10 से 50 हजार जुर्माने का प्रावधान है। आज के समय में समाज में महिलाओं की मजबूत छवि है। द्वितीय जिला न्यायाधीश कंचन सक्सेना ने कहा कि महिलाओं की भूमिका को सुदृढ़ बनाने आवश्यक नीतियों का निर्माण किया गया है। रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि कर सरकार महिलाओं को इस क्षेत्र में भी भूमिका निभाने का मौका देना चाह रही है। विकास खंड शिक्षा अधिकारी राकेशसिंह ने देश में महिला व बालिकाओं की स्थिति और उनकी उन्नति पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर बीआरसीसी अजबसिंह राजपूत, शालिनी सारसिया, मनीष सारसिया, मनोज श्रीवास्तव, भावना श्रीवास्तव, विजय हाटेकर, ममता हाटेकर, मोहनलाल मालवीय, रेखा मालवीय, बीएस बड़ोले, ज्योति सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

इसी तरह शासकीय कन्या महाविद्यालय सीहोर की आंतरिक समिति व महिला उत्पीड़न निवारण समिति ने प्राचार्य डॉ. सुमन तनेजा के नेतृत्व में व्याख्यान का आयोजन किया। समिति प्रभारी डॉ. कलिका डोलस ने स्थानीय लिंगभेद पर प्रकाश डालते हुए इसे दूर करने बालिकाओं को स्वंय को जागरूक करने सहित अन्य जानकारी दी। इस अवसर पर डॉ. हरलिन, डॉ. नेहा शर्मा उपस्थित थे।

बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना

बुदनी. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के संयुक्त नेतृत्व में एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय बुदनी के प्रांगण में आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया गया। देश में बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना, समाज में बालिकाओं के प्रति असमानता मिटाना व उन्हें सम्मान देना इस विशेष दिवस का उद्देश्य है। परियोजना कार्यालय ने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किशोरी बालिकाओं के माध्यम से आम, अमरूद सहित अन्य पौधे का रोपण किया। पांच महीने की बालिका भूमि व तीन माह की बालिका पाखी को न्यायालय की ओर से अधिवक्ता शशांक तिवारी व लालसिंह ठाकुर ने लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर परियोजना अधिकारी विनोद दीवान, महिला पर्यवेक्षक माधुरी दीवान, कमला नोरिया, रेखा धुर्वे, रोशनी यादव, सोनाली राज, संगीता श्रीवास्तव थे।

बेटे और बेटी में नहीं रखें भेदभाव

जावर. बेटा बेटी एक समान है। इनमें कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। बेटों के बराबर ही आज के समय में बेटियां हर फील्ड में अच्छा काम कर माता-पिता, देश का नाम रोशन कर रही है। कुछ इस तरह का संदेश देकर बापचा बरामद गांव में लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर पौधरोपण कर उसके बड़े होने तक देखने करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर आशा कार्यकर्ता नगीना मालवीय सहित अन्य बालिकाएं मौजूद थीं।

राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर न्यायाधीश के नेतृत्व में किया पौधारोपण

सीहोर इछावर । सोमवार को माननीय जिलाएवं सत्र न्यायधीश रामानंद चंद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर के निर्देशानुसार 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष में बालिकाओं की सुरक्षा एवं समानता के उद्देश्य से संपूर्ण जिले में वन गर्ल चाइल्ड वन ट्री अभियान चलाकर इछावर न्यायाधीश जितेंद्र सिंह परमार के नेतृत्व में न्यायालय परिसर इछावर एवं जनपद शिक्षा केंद्र में बड़े स्तर पर पौधा रोपण किया गया । इस अवसर पर तहसीलदार ज़िया फ़ातिमा, अभियोजन अधिकारी प्रमोद कुमार अहिरवार, बीआरसी रमेश चंद मेवाड़ा, मॉडल स्कूल के प्राचार्य रवि शर्मा, बीईओ मानसिंह नेटी, शैलेंद्र ठाकुर, एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता, मधु शर्मा, धर्मेंद्र बामनिया छात्राएं सहित पैरालीगल वालिंटियर मौजूद रहे ।

हिंदी भाषा में संस्कार झलकता है यह बच्चों को संस्कारवादी बनाती है-आर.पी.शर्मा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

विश्व हिंदी दिवस पर जिला न्यायालय में संगोष्ठी आयोजित

राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर तहसील विधिक सेवा समिति नरसिंहगढ़ द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का किया आयोजन

बालिकाओं को न्याय दिलाने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया: न्यायाधीश निगम

बालिका दिवस पर कार्यक्रम : न्यायाधीशों ने छात्राओं को मार्गदर्शन दिया

भास्कर संवाददाता | खुरई

सोमवार को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर शासकीय पं. केसी शर्मा एक्सीलेंस स्कूल, ललिता शास्त्री कन्या हायर सेकंडरी स्कूल एवं ब्लॉक के तहत सभी शासकीय स्कूलों की छात्राओं, शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं न्यायधीशों ने वीडियों कांफ्रेसिंग-वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यशाला में अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा, द्वितीय जिला अपर सत्र न्यायधीश प्रशांत कुमार निगम ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत देश में बालिका को न्याय दिलाए जाने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम कानून बनाया गया। इस कानून में महिलाओं को न्याय दिलाए जाने का काम किया जाता है, दहेज निषेध अधिनियम 2006 भारत सरकार के द्वारा कानून बनाया गया। इन सभी कानून को बनाने का एक ही उद्देश्य था कि बालिकाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकना, दहेज जैसी कुप्रथा को देश में बंद किया जा सके।

तृतीय जिला अपर सत्र न्यायाधीश नोरिन निगम ने कन्या भ्रूण हत्या लैंगिक असमानता विषय पर छात्राओं को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बालिकाओं से संबंधित बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ जैसी योजना भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। जिसका उद्देश्य बालिकाओं को उनका अधिकार दिलाना है, यदि बालिकाओं को उचित शिक्षा, पोषण और कानूनी अधिकार दिए जाएं तो बालिकाएं अपने भविष्य को प्रकाश की ओर ले जा सकती है। इस अवसर पर प्राचार्य एवं बीईओ जेड.एक्का, विधिक साक्षरता क्लब के प्रभारी डॉ. विनोद राय, आरके वर्मा, विशाल, जीपी सहित स्टॉफ मौजूद रहा।

खुरई। बालिका दिवस पर वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया गया।

राय साहब भवर सिंह महाविद्यालय मे राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य मे विधिक जारूकता शिविर सहकार्यशाला का हुआ आयोजन

बालिका दिवस पर हुए कई आयोजन

स्टार समाचार, सतना। बालिका दिवस के अवसर पर शहर में कई आयोजन किए गए। किसी नन्हीं बालिका के कार्यों को सराहा गया तो बालिका दिवस पर बेटी-बचाओ बेटी-पढ़ाओ जैसे सरकारी योजनाओं पर भी गोष्ठी की गई। समाज को बताया गया कि बेटी बेटे से कम नहीं है हर क्षेत्र में बेटियों का योगदान है।

वेबीनार में बालिका संरक्षण के लिए दिया गया कानूनी परामर्श

बालिका दिवस:ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित

राष्ट्रीय बालिका दिवस पर वर्चुअल कार्यशाला

केन्द्रीय विद्यालय में विधिक सेवा प्राधिकरण ने मनाया बालिका दिवस

पौधरोपण कर कार्यशाला का किया आयोजन

सत्ता सुधार ■ श्योपुर

बायपास प्रशिक्षण केन्द्र पर मना राष्ट्रीय बालिका दिवस

जन शिक्षण संस्थान ने किया आयोजन

सत्ता सुधार ■ श्योपुर

'राष्ट्रीय बालिका दिवस' मनाया गया

अलीराजपुर। माननीय प्रधान जिला न्यायाधीष/अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अरूण कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में दिनांक 24.01.2022 (सोमवार) को ''राष्ट्रीय बालिका दिवस'' के अवसर पर शासकीय कन्या उ.मा.वि. अलीराजपुर की छात्राओं हेतु ऑनलाईन विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

आयोजित शिविर में जिला न्यायाधीष/सचिव जि.वि.से.प्रा. अलीराजपुर श्री रवि झारोला द्वारा बालिकाओं को भारत के सर्वोच्च कानून ''संविधान'' की महत्ता एवं बालिकाओं के संबंध में समानता संबंधी प्रावधानों की जानकारी देते हुए पॉक्सो अधिनियम व बालिकाओ की सुरक्षा के लिये विभिन्न कठोर कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। सचिव द्वारा बालिकाओं को वेबसाईट पर साइबर क्राइम की षिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया बताते हुए छात्राओं को साइबर सुरक्षा के तरीके जैसे - कार्य पूर्ण होने पर अपने सभी ऑनलाईन एकाउंट्स से लॉगआउट अवश्य करना, किसी से भी पासवर्ड और ओटीपी साझा नही करना, वेबकेम का उपयोग हो जाने के बाद उसे ऑफ कर ढक देना, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेषन्स के नये वर्जन अपडेट करते रहना, अज्ञात लिंक को कभी नहीं खोलना और अपरिचित से व्यक्तिगत जानकारियां साझा नहीं करना आदि समझाया। साथ ही महिला हेल्प लाईन नंबर 1091, 181 तथा चाइल्ड हेल्प लाईन नंबर 1098 आदि की जानकारी बालिकाओं को होने की अनिवार्यता को बताया।

श्री सिमोन सुलिया द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण का परिचय एवं कार्य बताते हुए निःषुल्क विधिक सहायता एवं सलाह योजना व टोल फ्री नंबर 15100 आदि के बारे में बताया गया। षिविर में शा.कन्या उ.मा.वि. अलीराजपुर के षिक्षकगण व छात्राएं उपस्थित रही। आभार वरिष्ठ षिक्षक श्री कुलदीप भाटी द्वारा प्रकट किया गया।

हर बालिका को मिले मानवीय अधिकार

विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर आयोजित

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

ऑनलाइन शिविर को संबोधित करती न्यायाधीश।

दतिया. आज हम 22वां राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहे हैं। इस दिवस की शुरुआत समाज में समानता लाने के लिए भारत सरकार ने की थी। बालिका दिवस मनाने का सबसे बड़ा कारण समाज में लोगों को बेटियों के प्रति जागरूक करना है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि हर लड़की को मानवीय अधिकार मिले। इसके अलावा लैंगिक असमानता को लेकर जागरूकता पैदा करना है। उक्त विचार न्यायाधीश पूजा विजयवर्गीय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा सोमवार को केन्द्रीय विद्यालय दतिया में ऑनलाइन माध्यम से आयोजित विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर के दौरान व्यक्त किए।

समाज में जिन असमानताओं का सामना करना पड़ता है, उन सभी से छुटकारा मिले। समाज में बालिकाओं के साथ होने वाले भेदभाव के बारे देश की बेटियों के ... करना है। इस दौरान केन्द्रीय विद्यालय के छात्र-छात्राओं द्वारा न्यायाधीश से सवाल पूछे गए। जैसे मैडम न्यायाधीश बनने के लिए हमें क्या करना होगा। इसका जवाब देते हुए न्यायाधीश ने बच्चों से चर्चा करने के दौरान करहा कि वह स्वयं भी केन्द्रीय विद्यालय की छात्रा रही हैं। उनके द्वारा बच्चों को कहा गया कि उन्होंने कभी भी मोबाइल, वाट्सएप, फेसबुक का उपयोग नहीं किया। उनका ध्यान हमेशा से ही सफलता प्राप्त के लक्ष्य पर ही केन्द्रित रहा।

आप सभी लोग भी अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करें मोबाइल आदि का उपयोग केवल पढ़ाई के प्रति अपनी जरूरत के लिए ही करें। शिविर क दौरान प्राचार्य गीता मैडम द्वारा बालिका दिवस पर विद्यालय के छात्र-छात्राओं को बधाई दी। इस मौके पर शिक्षक उदयनारायण कटियार, रामप्रसाद, आनंद निरंजन, सतेन्द्र, कोमल, रेनु, संध्या पटेल, गोपाल चौरसिया, अवंतिका मिश्रा, रिचा, सुनील त्यागी आदि उपस्थित ...

बालिका दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

बुरहानपुर। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री अतुल्य सराफ के मार्गदर्शन में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री मोहन पी. तिवारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आशुतोष शुक्ल द्वारा शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय बुरहानपुर की बालिकाओं एवं प्राचार्य श्रीमती परवीन हुसैन एवं शिक्षकगण के साथ जूम एप के माध्यम से बालिका दिवस के अवसर पर कन्या भ्रूण हत्या एवं लैंगिक असमानता विषय पर विधिक जागरूकता शिविर एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया।

शिविर में श्री तिवारी द्वारा बताया गया कि कुछ संस्कृति और सामाजिक आर्थिक नीतियों के कारण पुराने समय से किया जा रहा कन्या भ्रूण हत्या एक अनैतिक कार्य है। भारतीय समाज में कन्या भ्रूण हत्या की मुख्य वजह बालिका शिशु पर बालक शिशु की प्राथमिकता है। लोगों ने यह धारण बना ली है कि पुत्र आय का मुख्य स्त्रोत होता है, समाज में ये गलतफहमी है कि लड़के अपने अभिभावक की सेवा करते हैं जबकि लड़कियाँ पराया धन होती है। दहेज व्यवस्था की पुरानी पृथा अभिभावकों के सामने एक बड़ी चुनौती है जो कन्या भ्रूण हत्या एवं लैंगिक असमानता का मुख्य कारण है।

इस अवसर पर श्री आशुतोष शुक्ल ने जानकारी दी कि वर्तमान में लड़को और लड़कियों में कोई भेद नहीं है।

समाज में बालिकाओं के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करना उद्देश्य

राष्ट्रीय बालिका दिवस पर ऑनलाइन विधिक जागरूकता कार्यक्रम संपन्न

भास्कर न्यूज़ | छिंदवाड़ा

म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बी.पी.शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सोमवार को भारत भारती उमावि में छात्राओं के लिए ऑनलाइन विधिक जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ।

प्राधिकरण सचिव श्री गोयल ने कार्यक्रम में कहा कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री ने वर्ष 1966 में 24 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस कारण यह दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य समाज में बालिकाओं के साथ होने वाले भेदभाव को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाना है। इस दिशा में शासन द्वारा अनेक विधियां बालिकाओं के हित में निर्मित की गई है, जिसमें घरेलू हिंसा अधिनियम, पाक्सो अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम जैसे अनेक अधिनियम बनाए गए हैं, ताकि महिलाओं का उत्पीड़न एवं शोषण होने की दशा में संबंधित को दण्ड दिया जा सके। जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया ने बताया कि पीड़ित एवं शोषितों की सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को समान रूप से न्याय प्राप्त हो सके, इसके लिए निःशुल्क विधिक सहायता योजना के अंतर्गत अधिवक्ता और अन्य व्यय शासन के द्वारा वहन किए जाते हैं। उन्होंने चाइल्ड हेल्प लाइन, महिला हेल्प लाइन, जिले में संचालित वन स्टॉप सेंटर में उपलब्ध सेवाओं आदि के विषय में भी छात्राओं को विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में शिक्षक श्रीमती कमलेश लांबा, श्रीमती दास गुप्ता, श्रीमती सपना रघुवंशी, श्रीमती दीपशिखा ठाकुर और विद्यालय की छात्राएं ऑनलाइन उपस्थित थी।

राष्ट्रीय बालिका दिवस • शासकीय उत्कृष्ट उमावि झाबुआ में हुआ शिविर, अपर जिला न्यायाधीश सोलंकी ने कहा

लड़का, लड़की में भेदभाव न कर सभी को समान अवसर दें

भास्कर संवाददाता | झाबुआ

झाबुआ। बालिकाओं को संबोधित करते अतिथि।

राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सोमवार को शासकीय उत्कृष्ट उमावि झाबुआ में महिला सशक्तिकरण व जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का प्रारंभ अपर जिला न्यायाधीश व सचिव लीलाधर सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट तनवी माहेश्वरी ठाकुर, प्रतिभा वास्कले, प्राचार्य महेंद्र कुमार खुराना व स्टाफ ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया।

शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट तनवी माहेश्वरी ठाकुर ने स्कूल की छात्रा इति श्रीवास्तव का पुष्पहार पहनाकर सम्मान किया। सोलंकी ने संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या अन्य कोई क्षेत्र। हमें चाहिए कि हम महिलाओं का सम्मान करें और सहयोग प्रदान करें। बालिकाओं के साथ भेदभाव करना हमारी मानसिकता में गहराई से समाया हुआ है, यह भेदभाव बालिकाओं के साथ शिक्षा, पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य देखभाल जैसी मूलभूत जरूरतों में देख सकते है। इन सामाजिक कुरीतियों को बनाने व पोषित करने वाला कोई और नहीं हमारा समाज है। गर्भ में भी कन्या को समाप्त करना केवल बच्चों के अधिकारों का हनन नहीं बल्कि एक मां के अधिकारों को भी हनन है। समाज में लोगों को महिलाओं के प्रति अपनी सोच को बदलना चाहिए और लड़का व लड़की में कोई भेदभाव न करते हुए सभी को समान रूप से पूरा अवसर देना चाहिए। जिससे बालिकाओं में हिन भावना दूर हो सके। आज की बालिकाएं ही आगे चलकर अपने परिवार व देश का नाम उज्वल करेंगी।

प्रलोभन में न आएं

कार्यक्रम में न्यायिक मजिस्ट्रेट तनवी माहेश्वरी ठाकुर ने कहा कि हमारे देश में बालिका दिवस का आयोजन देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रधान... पद पर पदस्थ होने के बाद 24 जनवरी-1966 से मनाया जा र... है। सरकार द्वारा महिलाओं के लि... कई प्रकार के कानून बनाए गए ... जिससे वे अपने अधिकारों के विषय में जानकारी प्राप्त कर स... है। किसी भी प्रलोभन में न आए... यदि कोई समस्या हो तो अपने माता-पिता को बताएं।

बालिका दिवस के अवसर पर छात्राओं से की सशक्तिकरण पर चर्चा

हमारा स्वराज ■ शिवपुरी

बालिका दिवस के उपलक्ष्य में 24 जनवरी को प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विनोद कुमार के मार्गदर्शन में तथा श्रीमती अर्चना सिंह जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में शासकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं के साथ वर्चुअल माध्यम से कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें श्रीमती अर्चना सिंह द्वारा छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे पहले सभी छात्राओं को अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने समाज की कुरीतियों से परे जाकर उन्हें जन्म दिया एवं शिक्षित किया।

भारत देश के कई राज्यों में ऑनर किलिंग के नाम पर कई लड़कियों की हत्या कर दी जाती है तथा कई राज्यों में दहेज के नाम पर बेटियों को गर्भ में ही खत्म कर दिया जाता है या जन्म देते ही दूध में डुबोकर या अन्य तरीकों से उनकी हत्या कर दी जाती थी। इसलिए कई कानूनों की व्यवस्था की गई जोकि बेटियों को समाज में अच्छा स्थान दिलाने के लिए आवश्यक थे।

श्रीमती शिखा शर्मा जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा छात्राओं को लैंगिक असमानता विषय पर जानकारी देते हुए कहा गया कि बेटियों को गर्भ से ही अपने जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उसके बाद परिवार में यदि उसके भाई हैं तो उन्हें विभिन्न तरीकों से भेदभाव का शिकार होना पड़ता है जैसे कि बेटों को अच्छी शिक्षा दी जाती है किंतु बेटियों के प्रति लापरवाही बढ़ती जाती है। उसके बावजूद आज हमारे देश में बेटियां उच्च पदों पर आसीन है एवं विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा कई कानून बनाए गए जिनमें बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता में हाल ही में किए गए संशोधन जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से की गई छेड़छाड़ को भी दंडनीय बताया गया है, विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। बेटियां अगर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य करें तो निस्संदेह ही लैंगिक समानता प्रतीत होने लगेगी। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य श्री एनण्के जैन के सहयोग से लगभग 40 छात्राओं द्वारा कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी की गई।

राष्ट्रीय बालिका दिवस पर वर्चुअली आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर

अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे विधिक सेवा

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

वर्चुअल विधिक साक्षरता शिविर में शामिल न्यायाधीश व अधिकारी।

गुना. समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विधिक सेवा एवं शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचें, यही विधिक सेवा प्राधिकरणों का ध्येय हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उच्चतम न्यायालय स्तर से लेकर उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालय तक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समिति निरंतर प्रयत्नशील हैं। उक्त विचार राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं महिला बाल विकास गुना के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किए वर्चुअल विधिक साक्षरता शिविर को संबोधित करते हुए जिला न्यायाधीश और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना राकेश कुमार शर्मा ने व्यक्त किए।

उन्होंने राष्ट्रीय बालिका दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और बालिकाओं के साथ होने वाले भेदभाव के संबंध में बेटियों के साथ समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा द्वारा बाल विवाह, दहेज, कन्या भ्रूण हत्या और महिलाओं के अधिकारों के संबंध में अपने विचार रखे।

समाज में महिलाओं की स्थिति को सशक्त करने के लिए महिलाओं का सम्मान किया जाना आवश्यक बताया। कार्यक्रम में महिला बाल विकास के सहायक संचालक मनोज भारद्वाज, दिनेश चंदेल सहित महिला बाल विकास विभाग जिला गुना के परियोजना अधिकारीगण, पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वर्चुअली उपस्थित रहे।

बेटे भाग्य से परंतु बेटी मिलती है सौभाग्य से

राष्ट्रीय बालिका दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर और कार्यशाला का आयोजन

राष्ट्रीय बालिका दिवस पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

खण्डवा। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कन्या भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ, बेटी पढाओ, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, पीसीपीएनडीटी एक्ट, लैंगिक असमानता एवं मानसिक स्वास्थ्य एवं साइकोसोशल सपोर्ट पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य अतिथि न्यायाधीश हरिओम अतलसिया की अध्यक्षता में सोमवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा गुड टच बैड टच, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में अवगत कराया गया। जिला विधिक सहायता अधिकारी चंद्रेश मंडलोई द्वारा कन्या भ्रूण हत्या तथा पीसीपीएनडीटी एक्ट, लैंगिक असमानता और बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। तत्पश्चात महिला एवं बाल विकास विभाग से राजकुमार साहू द्वारा बाल संरक्षण के मुद्दों पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदाय की गई, जिसमें बाल संरक्षण से जुडे हुए विभिन्न योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना, निजी स्पॉन्सरशिप, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस योजना तथा अन्य योजनाओं की जानकारी प्रदाय की गई। परियोजना अधिकारी श्रीमती पूजा राठौर द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रावधानों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदाय की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिक्षा विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ साथ यूथ रेड क्रॉस सोसाइटी, स्टूडेंट पुलिस कैडेट, पैरालीगल वालंटियर एवं चाइल्ड लाइन द्वारा प्रतिभागिता की गई।

जिलेभर के शासकीय कार्यालयों में वालेंटियर्स के माध्यम से किया पौधरोपण

राष्ट्रीय बालिका दिवस: एक बेटी-एक वृक्ष अभियान के तहत जिले में 5100 पौधे रोपे

भास्कर संवाददाता | सीहोर

राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में एक बेटी-एक वृक्ष अभियान के तहत न्यायालय परिसर में पौधरोपण किया गया। न्यायालय परिसर में बेटियों ने पौधे रोपे । इस अभियान के चलते सोमवार को एक ही दिन में जिलेभर में 5100 पौधे रोपे गए।

पौधारोपण कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मुकेश कुमार दांगी, एडीजे संजय कुमार शाही, अशोक भारद्वाज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिलाष जैन सहित अन्य सभी न्यायाधीश, विधिक सहायता प्राधिकरण का स्टाफ मौजूद रहा।

लैंगिक असमानता को समाप्त करने मानसिक सुधार जरूरी

राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को वर्चुअल जागरूकता शिविर सह कार्यशाला आयोजित की गई। इस जागरूकता शिविर में 50 विद्यार्थी एवं शिक्षक वर्चुअल रूप से शामिल हुए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मुकेश कुमार दांगी ने कहा कि समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक महिलाओं या बेटियों से असमानता होती रहेगी। कार्यशाला में जिला विधिक सहायता अधिकारी अनीस उद्दीन अब्बासी, डीईओ उदय उपेन्द्र भिड़े, सीएसपी अर्चना अहीर, एमएलबी हायर सेकंडरी स्कूल की प्राचार्या मृदला दुबे और बाल कल्याण समिति की सदस्य पूनम खनूजा उपस्थित थीं।

बालिका दिवस पर हुई कार्यशाला में दी जानकारी

हरिभूमि न्यूज़ ▸▸ नसरुल्लागंज

प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण आरएन चंद व द्वितीय अपर सत्र जिला न्यायाधीश अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति वैभव सक्सेना की उपस्थिति में राय साहब भंवर सिंह महाविद्यालय में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी के उपलक्ष्य में विधिक जागरूकता शिविर सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में न्यायाधीश रेणु खेस, एसडीएम डीएस तोमर परियोजना अधिकारी दिनेश चौहान, थाना प्रभारी कंचन ठाकुर, अधिवक्ता राजेश पारासर, संचालक सुरेंद्र सिंह भाटी द्वारा सहभागिता की गई। कार्यक्रम में सक्सेना द्वारा महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए किए गए विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। कार्यस्थल पर यदि महिलाओं के साथ कोई अभद्र व्यवहार या सेक्सुअल टिप्पणी होती है तो विशाखा गाइडलाइन अनुसार कार्यवाही की जाने का प्रावधान है। महिलाओं के साथ अपराध कारित होने महिला किसी भी थाने में जीरो पर अपराध पंजीबद्ध करा सकती है उसे संबंधित थाने तक जाने की जरूरत नहीं महिलाओं हेतु निशुल्क कानूनी सहायता सलाह का प्रावधान किया गया। सक्सेना ने यह भी बताया कि यदि किसी महिला के द्वारा अपराध किया जाता है तो उसे रात्रि के समय गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। डीएस तोमर द्वारा शासन की महिलाओं हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। थाना प्रभारी कंचन ठाकुर ने बताया कि महिलाओं को अपने साथ होने वाले अपराध से शिकायत करनी चाहिए। प्रत्येक थाने में उर्जा डेक्स संचालित किए गए हैं, जिसमें महिला पुलिस अधिकारी रहती हैं। पेनल अधिवक्ता राजेश पारासर ने बताया कि प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण कराना व भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि ऐसा कृत्य करने वाले 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है जो गैर जमानतीय है। कार्यक्रम के अंत में संचालक सुरेन्द्र सिंह भाटी द्वारा उपस्थित अतिथियों का आभार माना। उक्त शिविर के साथ ही नसरुल्लागंज तहसील में न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, न्यायालयीन कर्मचारियों एवं शिक्षा विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग द्वारा एक बेटी-एक पेड़ अभियान चलाकर बृहद स्तर पर तहसील नसरुल्लागंज में 840 पौधो लगाए गए।

विवाद विहीन ग्राम श्यामपुरा तहसील नरसिंहगढ़ में ऑनलाईन शिविर आयोजित

राजगढ़(राजू आट/दैनिक पथगामी) :---

म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा संचालित ''विवाद विहीन ग्राम योजना- 2000'' विषय पर नरसिंहगढ़ स्थित ग्राम श्यामपुरा को विवाद विहीन ग्राम घोषित किया गया है। जिसमें कि आज ऑनलाईन माध्यम से विवाद विहीन ग्राम सेवादल के सदस्यों एवं ग्रामीणजनों के विधिक जागरूकता व साक्षरता शिविर का आयोजन जिला एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव के मुख्य आतिथ्य तथा सचिव श्रीमती मीनल श्रीवास्तव, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री फारूक अहमद सिद्दीकी के विशेष आतिथ्य में ए.डी.आर. सेंटर राजगढ़ में आयोजित किया गया।

विवाद विहीन ग्राम योजनांतर्गत तहसील नरसिंहगढ़ स्थित श्यामपुरा को विगत वर्ष से ही विवाद विहीन ग्रामों की श्रेणी घोषित किया गया है। उक्त ग्राम में कोई भी विवाद उत्पन्न न हो सके, इस हेतु जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला प्रशासन के स्थानीय क्षेत्र के अधिकारियों, ग्राम के सरपंच, सचिव, ग्राम के प्रतिष्ठित समाजसेवी को सम्मिलित कर एक सेवादल भी कार्यरत है। साथ कि प्रत्येक माह बैठक आयोजित कर उक्त विवाद विहीन ग्राम की प्रगति की जानकारी प्राप्त की जाती है एवं आगामी योजना पर चर्चा की जाती है। इसी क्रम में आज भी सेवादल के सदस्यों के साथ ग्राम में राजीनामा योग्य विवादों को सुलह समझौता के माध्यम से निराकरण कराये जाने हेतु चर्चा की गई। जिस पर कि सेवादल के सदस्यों द्वारा ऐसे समस्त प्रकरणों को समझौता प्रक्रिया के माध्यम से निराकरण कराये जाने में अपना सहयोग प्रदान करने हेतु आश्वस्त किया गया। ... अवसर पर मु... अतिथि जिला ... द्वितीय अपर ... न्यायाधीश ... श्रीवास्तव ... विवाद विहीन ... संरचना, उद्देश्य ... प्रक्रियाओं पर प्र... डाला। इसी क्रम ... सचिव श्रीमती मी... द्वारा भी वि... विहीन ग्राम ... निवासरत निवा... को उनकी वि... समस्याओं ... निराकरण ... निःशुल्क वि... सलाह व सहायता योजना के बारे में भी बताया ग... साथ ही आगामी माह में आहूत होने वाली बैठक ... सेवादल के सदस्यों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही ... संबंध में भी समझाया गया। साथ ही जिला वि... सहायता अधिकारी श्री सिद्दीकी द्वारा भी वि... जानकारी प्रदान कर विधिक जागरूकता एवं साक्ष... शिविर आयोजन में योगदान प्रदान किया।

नए साल की पहली लोक अदालत 12 मार्च को लगेगी, प्रकरण चिह्नित करने के निर्देश

भास्कर संवाददाता | श्योपुर

विजयपुर कोर्ट में बैठक में शामिल न्यायाधीश व अधिवक्ता।

विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर नए साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत आगामी 12 मार्च को आयोजित होगी। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर शनिवार को प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला न्यायाधीश प्रदीप मित्तल ने विजयपुर जाकर अधिवक्ता संघ व न्यायाधीश के साथ बैठक की। जिसमें अधिवक्ताओं से नेशनल लोक अदालत के आयोजन सहयोग की अपील की तथा सभी न्यायाधीश को अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में निराकृत करने के लिए अभी से प्रयास शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रीसिटिंग बैठक आयोजित कर पक्षकारों व अधिवक्ताओं को निराकरण योग्य मामले चिह्नित करने पर जोर दिया जाए। बैठक में जिला न्यायाधीश पवन कुमार बांदिल, विजयपुर के न्यायाधीश एवं अधिवक्ता उपस्थित रहे।

हिन्दी केवल भाषा नहीं भावों की भी अभिव्यक्ति है : न्यायाधीश अतलसिया

खंडवा। 10 जनवरी को विश्व हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष संजीव एस कालगावंकर के मार्गदर्शन व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा में हिन्दी भाषा पर वैचारिक एवं काव्यगोष्ठी का आयोजन के साथ ही साक्षरता शिविर किया गया। सचिव हरिओम अतलसिया द्वारा सभी को विश्व हिन्दी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा गया कि हिन्दी भाषा ही नही बल्कि भावों की अभिव्यक्ति के साथ हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति का भी माध्यम भी है, हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए सभी को अपना योगदान देना चाहिए जिस देश की मातृभाषा जितनी उन्नत होग... वह देश तथा वहाँ के नागरिक का भी विकास उतना ही संभव हो सकेगा।

साथ ही उनके द्वारा कहा कि आज के समय में हिन्दी भाषा भारत ही नही बल्कि विश्व के कई देशों में बोली जाती है, इसके साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि अधिनस्थ न्यायालयों की कार्यवाही जैसे निर्णय, गवाही, सूचना पत्र आदि में हिन्दी भाषा का प्रयोग किया जाता हैं।

उक्त अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी चन्द्रेश मण्डलोई द्वारा कहा कि हिन्दी एक भाषा के रूप में न सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। इस अवसर पर विभिन्न कानूनी जानकारी दी गयी। कार्यक्रम दौरान डाक्टर जगदीश चन्द्र चोरे ,देवेन्द्र जैन महेश मूलचंदानी, राधेश्याम शाक्य आदि द्वारा भी हिन्दी के विकास उत्थान आदि के संबंध में अपने विचार रखे गये तथा हिन्दी भाषा में भजन, कविता आदि सुनाई गयी।

सुलह के लिए • राजीनामे से प्रकरणों का निराकरण हो इसलिए प्रधान जिला न्यायाधीश ने ली बैठक

साल की पहली नेशनल लोक अदालत 12 मार्च को होगी

भास्कर संवाददाता | आलीराजपुर

बैठक में लोक अदालत को लेकर चर्चा करते न्यायाधीश।

मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार जिला एवं तहसील जोबट के समस्त न्यायालयों में साल की पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को किया जाएगा। इसमें प्रकरणों का निराकरण समझौते के माध्यम से किया जाएगा। इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई है।

लोक अदालत को लेकर बुधवार को प्रधान जिला न्यायाधीश अरुण कुमार वर्मा की अध्यक्षता में न्यायाधीशगण आलीराजपुर, प्रशासनिक अधिकारी एवं अधिवक्ताओं की बैठक रखी गई। बैठक में नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों को रैफर करने व आवश्यक सहयोग का आह्वान किया गया। इस दौरान अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण राजीनामे से कराए जाने की बात भी कही। न्यायाधीश ने कहा यह एक सुअवसर है जब पक्षकारगण अपने सभी आपराधिक व सिविल शमनीय प्रकरणों का आपसी समझौते से स्थाई व अंतिम निराकरण करवाते हैं। इस अवसर का लाभ अधिक से अधिक संख्या में पक्षकार उठा सकते हैं।

इन प्रकरणों का होगा निराकरण

लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय तथा प्रीलिटिगेशन के अंतर्गत बैंक, विद्युत, नगरपालिका के वसूली प्रकरणों व निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंस प्रीलिटिगेशन प्रकरण आदि का राजीनामा के आधार पर निराकरण किया जाएगा। गत नेशनल लोक अदालत में जिले में विभिन्न प्रकृति के प्रीलिटिगेश... सहित कुल 265 प्रकरणों का निराकर... कर उनमें कुल लाभान्वित व्यक्तियों ... संख्या 511 रही थी। इस दौरान 2 करो... 57 लाख 56 हजार 396 रुपए की अव... राशि पारित की गई थी।

इस साल 4 लोक अदालत होगी

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्... द्वारा वर्ष 2022 के लिए नेशनल लो... अदालत के आयोजन की तिथियां घोषि... की है। साल की पहली लोक अदालत 1... मार्च 2022 को होगी। इसके बाद 14 म... 13 अगस्त और 12 नवंबर को लो... अदालत का आयोजन किया जाएगा।

छात्रों को पूर्ण मनोयोग से शिक्षा अध्ययन करना चाहिए :विपिन लावनिया

युवा दिवस के अवसर पर शासकीय हाईस्कूल समान में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया । शिविर में विपिन कुमार लवानिया ने अपने उदबोधन में कहा कि आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है, जिसे की हम युवा दिवस के रूप में मनाते है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने एक सूत्र दिया था कि जागो, उठो और लक्ष्य का पीछा करो जब तक की लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उन्होंने कहा कि छात्रों को पूर्ण मनोयोग से शिक्षा अध्ययन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने पॉक्सो अधिनियम, मीडिएशन, लोक अदालत इत्यादि कानूनों के बारें में जानकारी दी। शिविर में उपस्थित जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय कुमार मिश्रा ने किशोर न्याय अधिनियम, व निशुल्क विधिक सहायता योजना के बारें में जानकारी दी। शिविर में आभार विद्यालय की प्राचार्या सुश्री अर्चना तिवारी ने किया। संचालन रमेश शर्मा ने किया। शिविर में सेवानिवृत्त शिक्षक शैलेन्द्र सिंह, पैरालीगल वालेंटियर सिंह एवं विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं समेत छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।

राजपुर पत्रिका 12
इंदौर, रविवार, 09 जनवरी, 2022
SUNDAY patrika.com

मध्यस्थता जागरूकता शिविर आयोजित

राजीनामा योग्य प्रकरणों को मीडिएशन से निराकरण पर चर्चा

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

झाबुआ. मध्यस्थता वर्तमान समय की प्रबल आवश्यकता है, जिससे व्यक्ति समाज और परिवार में आपसी समझौते के माध्यम से सुलभ न्याय सरलता से मिलता है। मध्यस्थता की प्रक्रिया गोपनीय एवं निर्णय अंतिम होता है। प्रत्येक न्यायाधीश एवं अधिवक्तागण को मध्यस्थता के माध्यम से प्रकरण का निराकरण किए जाने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। यह बात शिविर को संबोधित करते हुए विशेष न्यायाधीश महेन्द्र सिंह तोमर ने कही। 8 जनवरी को एडीआर सेंटर भवन में मध्यस्थता जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला

न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मोहम्मद सैयदुल अबरार के मार्गदर्शन एवं विशेष न्यायाधीश महेन्द्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में न्यायालयों के राजीनामा योग्य अधिक से अधिक प्रकरणों को मीडिएशन के माध्यम से प्रकरणों को निपटाये जाने के लिए समन्वयक के समक्ष रेफर करने के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान अपर जिला न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लीलाधर सोलंकी, अपर जिला न्यायाधीश संजय चैहान, भरत कुमार व्यास, न्यायिक मजिस्ट्रेट नदीम खांन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजकुमार चैहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्ष ठाकुर, प्रतिभा वास्कले, तनवी माहेश्वरी ठाकुर, रवि तंवर एवं अमन सुलिया उपस्थित रहे।

सर्वे में भाग लें, वोटिंग करें patrika.com

मध्यस्थता प्रकरणों के निराकरण की आधुनिक, सरल एवं निष्पक्ष प्रक्रिया

एडीआर भवन के सभागार में आयोजित हुआ मध्यस्थता जागरूकता शिविर

रिपोर्टर ● मणिधारी टाइम्स

गुना। मध्यस्थता प्रक्रिया प्रशिक्षित मध्यस्थ के माध्यम से दोनों पक्षकारों की शर्तों पर विवाद के समाधान की आधुनिक, सरल एवं निष्पक्ष प्रक्रिया है। इसके माध्यम से दोनों पक्ष दबाव रहित वातावरण में अपने मामलें का सौहार्दपूर्ण समाधान प्राप्त कर पाते हैं। उक्त विचार प्रभारी प्रधान जिला न्यायाधीश रविन्द्र कुमार भद्रसेन ने जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर सेंटर के सभाकक्ष में आयोजित मध्यस्थता जागरूकता शिविर में व्यक्त किए। इसके साथ ही श्री भद्रसेन द्वारा उपस्थित न्यायाधीश, अधिवक्ताओं से मध्यस्थता प्रक्रिया को प्रभावी बनाए जाने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु भी निर्देशित किया। कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय काशिफ नदीम खान द्वारा मध्यस्थता प्रक्रिया, मध्यस्थ की भूमिका के विषय में अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में जिला जज राकेश कुमार शर्मा ने मध्यस्थता प्रक्रिया का प्रचार-प्रसार बढ़ाए जाने तथा लोगों को मध्यस्थता प्रक्रिया का से मामले का समाधान कराये जाने के लिए जागरूक करने की आवश्यकता व्यक्त करते हुए प्रशिक्षित मध्यस्थों व रैफरल न्यायाधीशों से विशेष प्रयास किए जाने की अपील की। कार्यक्रम में अध्यक्ष अधिवक्ता संघ एवं प्रशिक्षित मध्यस्थ रामपाल सिंह परमार द्वारा मध्यस्थता को मामले के निराकरण का सुगम विकल्प बताते हुए मध्यस्थता प्रक्रिया के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण हेतु पक्षकारों को आगे आने की आवश्यकता व्यक्त की। कार्यक्रम में न्यायाधीशगण रवि प्रकाश जैन, प्रदीप दुबे, हर्ष सिंह बहरावत, मोनिका आध्या, मुनेन्द्र सिंह वर्मा, निशांत मिश्रा, अंकित भुजंग, ऋचा द्विवेदी, दीपक शर्मा, शासकीय अधिवक्ता मनोज पलिया, नगेन्द्र गौड, रश्मि सक्सेना आदि सहित अधिवक्ता व पक्षकार उपस्थित रहे।

मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न

हरिभूमि न्यूज ▶▶ दमोह

म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं रेणुका कंचन, प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत के साथ-साथ मीडिएशन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन एडीआर भवन दमोह में किया गया। शिविर में बी.पी. पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, नीरज कुमार शर्मा, जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुन्ता डांगे, जिला विधिक सहायता अधिकारी, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ एस.के. मेहता, प्रशिक्षित मीडिएटर्स भगवती प्रसाद श्रीवास्तव, पूनम मेहता, राजीव नेमा एवं पक्षकारगण उपस्थित रहे। नीरज कुमार शर्मा, जिला न्यायाधीश द्वारा मध्यस्थता विषय पर बताया गया कि इस योजना के तहत न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण प्रशिक्षित मध्यस्थत के द्वारा आपसी सुलह के आधार पर कराया जा रहा है जिसमें निराकरण होने की दशा में प्रकरण में लगाई गई समस्त न्याय शुल्क वापिस प्राप्त हो जाती है। जिला विधिक सहायता अधिकारी ने बताया कि मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दोनों पक्षों के बीच सामंजस्य बनाने के लिये मध्यस्थ की अहम भूमिका होती है मध्यस्थ दोनों पक्षों के साथ एकल बैठकें एवं संयुक्त बैठकों के माध्यम से उनके बीच के आपसी मदभेदों को दूर कर मामलें का निराकरण करता है। जैसे रिश्तों में लंबे समय से आई दरारें भरने का एक यह एक अच्छा एवं उचित माध्यम है। पूनम मेहता, प्रशिक्षित मीडिएटर्स द्वारा मीडिएशन हेतु रेफर प्रकरणों में किये गये मीडिएशन कार्य एवं अपने अनुभव के आधार पर पक्षकारों को मीडिएशन के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण कराये जाने हेतु प्रेरित किया गया। जिससे आम व्यक्ति के धन व समय की बचत हो सके।

दो पक्षों के बीच आपसी समझौते से निराकरण कराया जा सकता है

मध्यस्थता के माध्यम से व्यक्ति की ना हार होती न जी

बलवास टाइम्स

बुरहानपुर। मध्यस्तता के दौरान दो पक्षों के बीच आपसी समझौते से निराकरण कराया जा सकता है। मध्यस्थता के माध्यम से व्यक्ति की ना हार होती न जीत होती है। मध्यस्थता अधिकारी की भूमिका और कार्य, मध्यस्थता प्रक्रिया से लाभ के बारे में विस्तृत से जानकारी न्यायाधीश/सचिव आशुतोष शुक्ल ने दी। उक्त शिविर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष अतुल्य सराफ के मार्गदर्शन में ग्राम निम्बोला एवं द्वितीय शिविर ग्राम झिरी में आयोजित किया गया। उक्त अवसर पर ग्राम निम्बोला में सचिव एवं एडीजे आशुतोष शुक्ल ने ग्रामीण जनों में निशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी एवं योजनाओ के पोम्प्लेट वितरित किये।

उक्त शिविर आयोजन उपरांत ग्राम झिरी में द्वितीय विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया जिसमे आशुतोष शुल्क सचिव ने बताया की वर्तमान में कोविड से ज्यादातर लोग फिर से पीड़ित होने लगे है। हमे अपने व् अपने परिवार की सुरक्षा के लिए शासन के निर्देशों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस, मास्क, सेनीटाईजर का उपयोग करना चाहिए। जिससे कोविड वायरस को आम जन में फैलने से रोका जा सके। साथ ही उनके दुवारा जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा संचालित निशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह एवं मध्यस्थता के बारे में बताया गया। उक्त शिविर कोविड की रोकथाम हेतु शासन के निर्देशों का पालन करते हुए आयोजित किये गये।

उक्त कार्यक्रम में उपस्थित पैरालीगल वोलेंनटियर महेंद्र जैन ने कोविड से स्वस्छता पर अपने विचार रखे उन्होंने बताया की कोरोना वायरस को तीसरी लहर को रोकने के लिए हमे सोशल डिस्टेंस व् सावधानी रखना चाहिए तभी कोरोना वायरस से निजात पा सकते है। पेरालिगल वोलेंनटियर संदीप शर्मा ने मध्यस्थता की कार्यवाही के बारे में आमजन को जागरूक किया। उन्होंने बताया की मध्यस्थता के द्वारा दोनों पक्षों के मध्य समानता के आधार पर समझौता कर प्रकरण को निपटाया जाता है। उक्त अवसर पर ग्रामीण जनों ने मास्क लगाकर व् सोशल डिस्टेंस का पालन कर जानकारी ली। उपरोक्त जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय बुरहानपुर द्वारा दी गई।

कोरी कोली महापंचायत का मध्यस्थता केंद्र शुरू, विवादों का करेंगे समाधान

इंदौर | कोरी कोली महापंचायत द्वारा मप्र उच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में खोले जा रहे मध्यस्थता केंद्र की शुरुआत मास्टर ट्रेनर पूर्व न्यायाधीश डॉ. मोहम्मद शमीम के मुख्य आतिथ्य में की गई। इसमें दिलीप गर्ग, डॉ. संगीता गुप्ता, हेमराज वाडिया, सुंदरलाल धीमान, गुलाब चौधरी, विजय यादव ने भी संबोधित किया। उन्होंने बताया कि केंद्र में सभी तरह के पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक व इनसे संबंधित सभी प्रकार के विवादों का समाधान किया जाएगा।

गुड इवनिंग
सांध्य दैनिक

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में मध्यस्थता केंद्र खोलने जा रही है कोरी-कोली महापंचायत

इंदौर में मध्यस्थता केंद्र का शुभांरभ 80 प्रतिशत मामले होंगे हल

दैनिक
इंदौर-भोपाल से एक साथ प्रकाशित
पारिवारिक दस्तक

मध्यस्थता की बुनियाद भरोसा है : शहर काजी

मुस्लिम समाज के मध्यस्थता केंद्र का शुभारंभ

इंदौर (दस्तक)। **घर परिवारो तथा समाज में बढ़ रहे मतभेदों व विवादों की बड़ी जड़ गलतफहमी होती है, सदियों से समाज तथा परिवारों में बुजुर्गों तथा मध्यस्थों के माध्यम से इन विवादों को निपटाने की परंपरा रही है। पुनः पंचायतों एवं वरिष्ठजनो के माध्यम से ही हम आपसी विवादों के निपटान करें, इससे समय, धन एवं तनाव की बचत होगी।**

उक्त बातें विभिन्न वक्ताओं ने खजराना शा.उर्दू स्कूल के पास स्थित मुस्लिम समाज के प्रथम मध्यस्थता केंद्र के शुभारंभ के मौके पर कही। शहर काजी डॉ इशरत अली ने कहा कि मध्यस्थता के माध्यम से आपसी गलतफहमियो को दूर कर, आपसी सुलह का रास्ता सबसे अच्छा रास्ता है, मध्यस्थता की बुनियाद भरोसा है, समाज जनों एवं बुजुर्गों पर भरोसा करके हम अपने आपसी विवादों को खत्म करें यह आज के दौर की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत भी है। इससे वक्त एवं पैसों की बचत होगी एवं मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलेगी। पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शमीम ने कहा कि न्यायिक प्राधिकरण द्वारा बहुत अच्छी शुरुआत एवं पहल की गई है। नागरिक अपने विवादों का इसके माध्यम से निपटान करें। इससे बहुत जल्दी दोनों पक्षों को सम्मान के साथ न्याय मिल जाता है, कोई अपने आप हारा हुआ नहीं मानता। शमीम ने कहा कि आज के दौर में विभिन्न समुदाय के माध्यम से मध्यस्थता केंद्र तेजी से शुरु किए जा रहे हैं, मुस्लिम समाज भी इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी मध्यस्था केंद्रों की शुरुआत करें।

कार्यक्रम में पूर्व कुलपति डॉ नरेंद्र धाकड़ ने कहा कि तकरार की मुख्य वजह, आपस में संवाद की कमी रह जाती है, मध्यस्थता के माध्यम से आपसी संवाद बढ़ाकर एवं मतभेदों को खत्म करके आपसी मसलों को सुलझाने का खूबसूरत प्रयास करें। इस मौके पर पूर्व उपमहाधिवक्ता अभिनव धनौडकर सहित विभिन्न समाज के प्रतिनिधि प्रोफेसर रमेश मंगल, क्रिश्चियन समाज इन्दौर धर्म प्रान्त बिशप चाको, सिख समाज के सरदार एएसआईएस पाल, अग्रवाल समाज के दिलीप गर्ग, सैयद वाहिद अली, पूर्व पार्षद उस्मान पटेल, कोरी समाज के कैलाश चौधरी, नवीन चौधरी आदि ने भी संबोधित किया।

दिलीप गर्ग ने कहा कि हम मध्यस्थता के माध्यम से भी देश में इन्दौर को प्रथम लेकर आएगें एवं आने वाले समय में सभी मिलकर अपने प्रयासों को बनाएगा। प्रारंभ में मोहम्मद हुसैन कादरी, याकूब मेमन, फिरोज खान, तारीक शेख, प्रोफेसर असद खान, अरबा शाकीर आदि ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। कार्यक्रम का संचालन शफी शेख ने तथा अंत में याकूब मेमन ने आभार व्यक्त किया।

एडीआर भवन में मीडिएशन जागरूकता शिविर

मंडला (नईदुनिया प्रतिनिधि)। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला एवं प्रधान न्यायाधीश आरएस शर्मा के निर्देशन में एवं डा प्रीति श्रीवास्तव सचिव,जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शन में शनिवार को एडीआर सेंटर जिला न्यायालय मंडला में मीडिएशन जागरुकता शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अवधेश कुमार सिंह प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, जिला न्यायाधीश,सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डा प्रीति श्रीवास्तव,विनोद कुमार चौधरी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,हर्षिता पिपरेवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,भावना गोमे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,विजय कुमार खोब्रागड़े जिला विधिकसहायता अधिकारी, पैनल लायर्स, पैरालीगल वालेन्टियर्स एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगणों की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

मीडिएशन जागरूकता शिविर में उपस्थित न्यायाधीश। ● सौजन्य- विधिक सेवा प्राधिकरण

अवधेश कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय द्वारा मध्यस्थता के विषय में चर्चा करते हुए बताया गया कि कुटुंब न्यायालय में प्रत्येक दिन दंपत्ती आते हैं, आपस में लड़ाई-झगड़े करते हैं और प्रकरण वर्षों न्यायालय में चलता रहता है। इस प्रकार न्यायालय में प्रकरणों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसके संबंध में न्यायाधीश ने उपस्थित अभिभाषकगणों एवं पैरालीगल वालेंटियर्स एवं आमजन,पक्षकारगणों को मध्यस्थता की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से समझाते हुए कहा कि मीडिएशन एक ऐसी प्रक्रिया है, जो कि मध्यस्थ न्यायाधीश,अधिवक्ता एवं पक्षकारगणों के मध्य गोपनीय होती है। मध्यस्थता की प्रक्रिया में पक्षकारगणों के मन को समझकर उन्हें यह विश्वास दिलाना होता है कि उनके और मध्यस्थ के बीच की बातें गोपनीय रहेंगी और उन्हें इस प्रकार से समझाया जाता है कि वे आपस में राजीनामा करके खुश हो जाएं। उनके मनों में कोई कटुता न रहे, भविष्य में यदि वे अलग होते हैं तो भी वे खुशी से एक-दूसरे से बातें कर पाए।

विवाद निपटान के लिए मध्यस्थता केंद्र शुरू

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति द्वारा आंचल नगर स्थित कार्यालय पर समाज के आपसी विवादों के निराकरण के लिए मध्यस्थता केंद्र की शुरुआत रविवार को की। इसमें पारिवारिक व सामाजिक विवादों का निराकरण उच्च न्यायालय में आयोजित मध्यस्थता कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले दस समाजजन करेंगे।

केंद्र का शुभारंभ करते केंद्रीय समिति के पदाधिकारी। ● सौजन्य संस्था

समिति के अध्यक्ष गोविंद सिंघल ने बताया कि समाज के आपसी विवादों को समाजजन की मध्यस्थता से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। वर्तमान में न्यायालयों में लाखों प्रकरण लंबित हैं। इसे देखते हुए उच्च न्यायालय की ओर से प्रशिक्षण की अभिनव पहल की गई है ताकि लोगों को त्वरित न्याय मिल सके। अतिथियों का स्वागत महामंत्री पवन सिंघल, राजेंद्र समाधान, प्रो. रमेश मंगल ने किया। उद्योगपति विनोद अग्रवाल, पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शमीम, पूर्व न्यायाधीश ज्ञानप्रकाश अग्रवाल, समाजसेवी टीकमचंद गर्ग, राजेश गर्ग और विष्णु बिंदल ने फीता काटकर केंद्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर समिति के पूर्व अध्यक्ष अरविंद बागड़ी, संतोष गोयल, किशोर गोयल, संजय बांकड़ा, अमिताभ सिंघल, दिलीप गर्ग, अनिल अग्रवाल, प्रयोग गर्ग, पुष्पा गुप्ता सहित अग्रवाल संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। संचालन संजय बांकड़ा ने किया आभार राजेश इंजीनियर ने माना।

अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों के मध्य मध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया

मण्डलेश्वर। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार शनिवार को जिला न्यायालय मण्डलेश्वर के प्रांगण में मध्यस्थता जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। जिला न्यायालय मण्डलेश्वर में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डलेश्वर अजय प्रकाश मिश्र की अध्यक्षता में हुए मध्यस्थता जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए प्रधान न्यायाधीश द्वारा बताया गया कि मध्यस्थता आज वर्तमान समय की प्रबल आवश्यकता है। जिससे व्यक्ति समाज और परिवार में आपसी समझौते के माध्यम से सुलभ न्याय सरलता से मिलता है। जिससे विवादों में निपटारे की बात शांति भाईचारा सौहार्द की भावना कायम रहती है। मध्यस्थता की प्रक्रिया गोपनीय एवं निर्णय अंतिम होता है। हमें दो व्यक्तियों के मध्य हुए विवादों की जड तक जाकर विवाद का मध्यस्थता के माध्यम से निराकरण किये जाने हेतु भरसक प्रयास करना चाहिए। शिविर में विशेष न्यायाधीश साधना माहेश्वरी विकासचन्द्र मिश्र जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डलेश्वर जिला न्यायाधीश संजीव कुमार गुप्ता नरेन्द्र पटेल जिला रजिस्ट्रार संगीता डावर मौर्य व्यवहार न्यायाधीश स्वाति शर्मा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष आनन्द जोशी सचिव ए व्ही वर्मा व अधिवक्तागण पैरालीगल वालेंटियर जोजु एमआर दुर्गेश राजदीप एवं बड़ी संख्या में पक्षकार एवं न्यायालयीन कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार रॉबिन दयाल जिला विधिक सहायता अधिकारी मण्डलेश्वर द्वारा किया गया।

त्रिका 10 पत्रिका patrika.com
इंदौर, गुरुवार, 13 जनवरी, 2022
patrika.com

ग्राम रामा में विधिक सहायता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन

पढ़ाई के दौरान आने वाली समस्या से घबराएं नहीं : न्यायाधीश सोलंकी

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

झाबुआ. राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय रामा में विधिक साक्षरता क्लब में (नालसा) बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं योजना-2015 के अंतर्गत विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ।

माध्यमिक विद्यालय रामा में विधिक सहायता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन।

प्रधान जिला न्यायाधीश मोहम्मद सैयदुल अबरार के निर्देशानुसार एवं प्राधिकरण के सचिव / अपर जिला न्यायाधीश लीलाधर सोलंकी के निर्देशन में किया। शिविर का शुभारंभ लीलाधर सोलंकी, एमएल फुलपगारे एवं प्राचार्य केएल परमार द्वारा मां सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर किया गया। विधिक साक्षरता कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए न्यायाधीश सोलंकी ने कहा कि पढ़ने-लिखने के दौरान आने वाली समस्या से घबराने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य के लिए प्रयास करने की जरूरत को आदत में शामिल करें। उन्होंने कहा कि नियम और कानून समाज को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए बनाए गए हैं। विधिक साक्षरता शिविर में सामान्य कानून की जानकारी देने का भी काम कानूनी प्रावधानों के अनुसार है। स्वामी विवेकांनद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि यदि आप अपने लक्ष्य को निश्चित कर अमल शुरू कर दें तो पाएंगे की आप खुद लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं।

स्वामी विवेकानंद के विचारों से अवगत कराया

शिविर में स्वामी विवेकानंद के विचारों से बच्चों को अवगत कराया गया एवं निःशुल्क विधिक सहायता, बालकों के अधिकार, संवैधानिक कर्तव्य के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। छात्रों को अपने उज्जवल भविष्य के लिए परिश्रम एवं लगन से अध्ययन करने और गुरुओं के सम्मान करने के लिए प्रेरित किया। शिविर में सामाजिक कार्यकर्ता एमएल फुलपगारे ने भी छात्रों को संबोधन करते हुए कहा कि स्वामीजी के जीवन दर्शन से हमें सीख लेकर युवा शक्ति का सकारात्मक प्रयोग करना चाहिए। कार्यक्रम में स्कूल प्राचार्य केएल परमार द्वारा भी बच्चों को बताया कि नैतिक शिक्षा और सामाजिक व्यवहार भी अध्ययन के साथ-साथ आवश्यक है एवं विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से व्यक्तित्व विकास में सहायता मिलती है एवं महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ने की समझाइश दी गई। शिविर में कोरोना संक्रमण रोकथाम एवं बचाव के उपाय भी बताए गए।

@ शिविर

विधिक शिविर में दी जानकारी

जबलपुर @ पत्रिका. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार विधिक साक्षरता क्लब के अंतर्गत प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश नवीन कुमार सक्सेना के मार्गदर्शन में मॉडल स्कूल में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनीष ठाकुर ने छात्र-छात्राओं से संवाद स्थापित किया। उन्हें कानून की आधारभूत जानकारी दी। विधि शास्त्र के मूलभूत नियमों से अवगत कराया। जिला विधिक सहायता अधिकारी एम जीलानी ने विधिक साक्षरता क्लब के अंतर्गत संपादित गतिविधियों की जानकारी साझा की। क्लब के डॉ गिरीश मैशाल ने भी विचार रखे।

जागरूकता : लैंगिग शोषण की टिप्पणी की सूचना पुलिस को दें

छात्राओं को दी पॉक्सो एक्ट की जानकारी

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

खंडवा. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अगुवाई में शुक्रवार को सुन्दरबाई गुप्ता हायर सेकेण्ड्री स्कूल में कोरोना गाईड लाईन का पालन करते हुए पॉक्सो एक्ट पर जागरूकता की जानकारी दी गई।

इस दौरान सचिव अतलसिया ने कहा वर्तमान समय में पॉक्सो एक्ट के मामले काफी देखने में आ रहे हैं। इस तरह के अपराध से ग्रसित बालक को काफी मानसिक व शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ता हैं। बालकों को पॉक्सो एक्ट की जानकारी दी। इस अवसर पर बच्चों को गुड टच व बेड टच आदि के बारे में बताते हुए पॉक्सों एक्ट के संबंध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर मण्डलोई ने कहा गया कि वर्तमान समय में यह भी देखा जा रहा हैं कि बालिकाओं के साथ कई प्रकार की लैंगिग शोषण के उद्देश्य से टीका टिप्पणी की जाती हैं। इस तरह की सूचना पुलिस या अपने माता पिता व स्कूल के स्टॉफ को सूचना दी। सचिव ने चन्द्रेश मंडलोई ने कानून की जानकारी दी। बालिकाओं को बचाव के लिए मॉस्क का उपयोग व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के लिए प्रेरित किया।

वर्चुअल मीटिंग कर लॉ स्टूडेंट्स को पढ़ाया कानून का पाठ

पीपुल्स संवाददाता ● शिवपुरी
editor@peoplessamachar.co.in

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लॉ कॉलेज शिवपुरी के छात्र-छात्राओं के साथ वर्चुअल माध्यम से परिचर्चा आयोजित की। इसमें जिला न्यायाधीश अर्चना सिंह ने छात्रों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के प्रावधानों के बारे में बताया कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो कि अनुसूचित जाति, जनजाति का सदस्य है या कोई महिला, बालक, दिव्यांग, ऐसा कोई व्यक्ति जो अभिरक्षा में है या जो जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित है अथवा ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है, ऐसे व्यक्ति को न्यायालय में केस लड़ने के लिए शासन की ओर से निःशुल्क वकील प्रदान किया जाएगा। मामले पर होने वाले सभी खर्च शासन उठाएगा।

कार्यक्रम में अतिथि वक्ता प्रधान न्यायाधीश बालमित्र न्यायालय पॉक्सो सिद्धि मिश्रा से कहा कि यदि बच्चों के साथ कोई अपराध होता है तो उसकी सुनवाई लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत स्थापित चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट में की जाएगी। इसके लिए अधिनियम में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसकी सुनवाई के दौरान न्यायाधीश, पुलिस तथा वकील सभी सिविल पोशाक में रहेंगे ताकि बच्चों में किसी भी प्रकार का भय न हो। इसी प्रकार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बालक माना गया है तथा उनके लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किया गया है, जहां वह आसानी से शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने छात्रों को कोर्ट की सामान्य प्रक्रिया के संबंध में भी बताया। कार्यक्रम में छात्रों से संवाद हेतु प्रश्नोत्तरी राउंड भी रखा गया, इसमें छात्रों ने सवाल पूछे। संचालन शिखा शर्मा जिला विधिक सहायता अधिकारी ने किया। छात्र-छात्राओं को कार्यक्रम से जोड़ने हेतु लॉ कॉलेज प्रभारी प्रो. दिग्विजय सिंह सिकरवार की प्रमुख भूमिका रही।

तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा ग्राम बाईसाद मे महिलाओं के अधिकार शशक्तिकरण उत्पीडन के बारे मे विस्तार से दी जानकारी किया जागरूक

चान्द मियाँ

नसरुल्लागंज। प्रधान जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर आर. एन. चंद के निर्देशानुसार एवं वैभव सक्सेना एडीजे / अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति, नसरुल्लागंज की उपस्थिति में ग्राम बाईसाद में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में न्यायाधीश चंद्रसेन मुवेल, अधिवक्ता महेन्द्र डाबी, सरपंच भगवान सिंह मीणा ने सहभागिता की।

कार्यक्रम में श्री सक्सेना ने महिलाओ के अधिकारों एवं महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न के बारे में बताया और उनके संरक्षण हेतु कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुये बताया कि महिलाओं का सशक्तिकरण देश व समाज की प्रगति का मुख्य आधार है एक शिक्षित / सशक्त महिला अपने परिवार, समाज व देश के विकास में महत्पूर्ण भूमिका अदा करती है। हमें महिलाओं का सदैव सम्मान करना चाहिए और महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीडन / अत्याचार का विरोध करना चाहिऐ। न्यायाधीश चंद्रसेन मुवेल ने घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अनियम 2005 एवं यातायात नियमों की विस्तार से जानकारी दी गई। महेन्द्र डाबी द्वारा विभिन्न मूलभूत कानूनी प्रावधारों के बारे में जानकारी दी गई।

इस अवसर पर उप सरपंच हरिनारायण पटेल, सचिव सुरेश मालवीय आंगनवाडी कार्यकर्ता, कोटवार एवं बडी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे कार्यक्रम का संचालन हरिसिंह यदुवंशी ने किया।

जागरूकता शिविर • विधिक सेवा प्राधिकरण ने दी जनकल्याणकारी योजना की जानकारी

कैदियों को डिस्टेंसिंग का पालन करने की दी हिदायत

भास्कर संवाददाता | झाबुआ

प्रधान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मोहम्मद सैय्यदुल अबरार के मार्गदर्शन में शुक्रवार को अपर जिला न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लीलाधर सोलंकी द्वारा जिला जेल का निरीक्षण किया गया। उन्होंने जेल में बंदियों की समस्याएं सुनते हुए उनके निराकरण के लिए उप अधीक्षक व स्टाफ को निर्देश दिए। जेल निरीक्षण के साथ ही महिला व

जिला जेल में विधिक सहायता के बारे में महिला कैदियों को समझाया।

पुरुष बंदियों की जागरूकता के लिए विधिक साक्षरता व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। बंदियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की समझाइश भी दी गई।

कार्यक्रम में भी उनसे मास्क लगवाए गए। उन्हें निशुल्क विधिक सहायता योजना, प्ली-बार्गेनिंग व अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी दी। उनके प्रकरणों के संबंध में जानकारी ली गई। जिन प्रकरणों में अधिवक्ता नियुक्त नहीं हैं, ऐसे प्रकरणों में तत्काल अधिवक्ता नियुक्त करने के निर्देश दिए गए। शिविर में उप जेल अधीक्षक आरके विश्वकर्मा, जेल स्टाफ सहित बंदी मौजूद थे।

वन स्टॉप सेंटर में हुआ साक्षरता शिविर

सोलंकी द्वारा वन स्टॉप सेंटर झाबुआ में सूक्ष्म विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित महिलाओं को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली निशुल्क कानूनी सेवाओं के संबंध में बताते हुए महिलाओं के कानूनी अधिकारों, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, भरण-पोषण, दहेज प्रतिषेध, बाल विवाह, हिंदू विवाह अधिनियम आदि की विस्तार से जानकारी दी गई। शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट तनवी माहेश्वरी ठाकुर, बाल संप्रेक्षण अधिकारी छगनसिंह बामनिया, वन स्टॉप अधीक्षक लीला परमार व अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं।

विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा जिला जेल निरीक्षण

झाबुआ। प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ मोहम्मद सैय्यदुल अबरार के मार्गदर्शन में दिनांक 07.01.2022 को लीलाधर सोलंकी अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा जिला जेल झाबुआ का निरीक्षण किया। उन्होंने जेल में निरूद्ध बंदियों की समस्याऐं सुनते हुये उनके निराकरण हेतु जिला जेल झाबुआ के उप अधीक्षक एवं स्टॉफ को आवश्यक निर्देश प्रदान किये। उक्त जेल निरीक्षण के साथ ही

जिला जेल झाबुआ में नि... महिला/पुरूष बंदियों के जागरूकता हेतु विधिक साक्ष... जागरूकता कार्यक्रम का आयो... कोविड-19 प्रोटोकॉल का प... करते हुये किया गया। शिवि... बंदियों को सोशल डिस्टेसिंग पालन करवाते हुये दूर-दूर बिठाया गया एवं सभी मास्क लगाये हुये थे। शिविर में श्री सोलंकी ज... बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता योजना, ... बार्गिनिंग एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं... संबंधित जानकारी प्रदान की।

जिला जेल में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न

खण्डवा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष संजीव कालगांवकर के मार्गदर्शन व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा के सचिव हरिओम अतलसिया की अध्यक्षता में जिला जेल खण्डवा में बुधवार को विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा के सचिव श्री अतलसिया ने जेल का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर श्री अतलसिया द्वारा कहा गया कि अपराध के लिए बढ़ाया गया पहला कदम हमें व हमारे परिवार को कई कदम पीछे दखेल देता है, इसलिए हमेशा अपराध करने से बचे क्योंकि अपराध करने से अपराध करने वाला व्यक्ति ही नही अपितु उसका पूरा परिवार व समाज व देश सभी प्रभावित होते हैं। अगर व्यक्ति अपराध करने से पहले उसके दुष्परिणाम आदि के बारे में

विचार कर ले तो निश्चित ही वह अपराध करने से बचेगा। इसके साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि बंदी यहाँ से जाने के बाद ऐसा कोई आपराधिक कृत्य करने से बचे जिससे कि उन्हें वापिस यहाँ आना न पड़ें।

किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नही करें : इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मण्डलोई द्वारा कहा गया कि प्रायः यह देखा गया कि व्यक्ति कभी-कभी गलत व्यक्ति के सम्पर्क में आने व नशे के कारण आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाता है, इसलिए हमेशा कुसंगति से बचे तथा किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नही करे, क्यों कि नशे के पश्चात् व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति क्षीण होने लगती है तथा वह अपने व अपने परिवार के भले बुरे का विचार किये बिना ही अवैधानिक कार्यों में लिप्त हो जाता हैं। इस अवसर पर बंदीयों को निःशुल्क विधिक सहायता, नालसा की नशा पीड़ित योजना, प्ली बार्गेनिंग, कोरोना वायरस से बचाव आदि विभिन्न कानूनी जानकारी के बारे में बंदियों को बताते हुए जेल प्रशासन को कोरोना वायरस से बचाव, स्वच्छता आदि के संबंध में उचित दिशा निर्देश दिये गये।

प्रधान जिला न्यायाधीश अरुण कुमार वर्मा ने जिला जेल का निरीक्षण किया

अलीराजपुर। माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलीराजपुर अरूण कुमार वर्मा द्वारा आज जिला जेल अलीराजपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जेल में निरूद्ध पुरूष एवं महिला बंदियों की समस्याएं जानी।

बंदियों के भोजन एवं स्वास्थ्य की आंतरिक व्यवस्था को चेक करते हुए वर्तमान कोरोना की परिस्थितियों से निपटने के लिये सैनेटाइजर का स्टॉक एवं मेडिकल सुविधा, साफ-सफाई, योग आदि के संबंध में आवश्यक दिषा-निर्देष दिये गये। बंदियो को निःशुल्क विधिक सहायता एवं मानसिक स्वास्थ्य हेतु कैदियों द्वारा विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता के संबंध में जानकारी ली गई। वर्तमान कोरोना प्रतिबंधों के कारण कैदियों की भौतिक मुलाकात बंद होने से उनकी टेलीफोनिक एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुलाकात की व्यवस्था का जायजा भी लिया गया।

निरीक्षण के दौरान बन्दियों को विधिक सहायता, अपील के अधिकार, प्री-मे%योर रिलीज के बारे में भी बताया गया। इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलीराजपुर रवि झरोला, जिला विधिक सहायता अधिकारी सिमोन सुलिया, उपजेल अधीक्षक जे.एस. बाथम, जेल कर्मचारी उपस्थित रहे।

Central Jail inmates benefit from legal literacy camp

■ Staff Reporter

LEGAL literacy camp was organised for the benefits of inmates at Netaji Subhash Chandra Bose Central Jail under the banner of District Legal Service Authority and directives of National Legal Service Authority, New Delhi and Madhya Pradesh State Legal Service Authority on Tuesday. The camp was organised in presence of Secretary, DLSA, Manish Singh Thakur, District Legal Aid Officer, Mohammed Jilani, 09 law students and 40 undertrials (including 20 males and 10 females) making the occasion of Azadi ka Amrit Mahot. COVID-19 guidelines were strictly followed during the camp. Assistant

A view of legal literacy camp at Jabalpur Central Jail.

Superintendent Central Jail, Rakesh Mohan Upadhayay shared the details about various cultural and sports activities being conducted in the jail. Law student, Vinayak Rajak explained the under-trials about legal assistance available for them. Deputy Superintendent, Madan Kamlesh explained about welfare activities being carried out in the jail premise. District Legal Aid Officer, Jilani shared about significance of legal camp and other legal benefits being provided to the inmates and undertrials.

Secretary, DLSA, Thakur updated the undertrials about various works being carried out by DLSA for them. Later on, Secretary, Thakur patiently listened the inmates problems and instructed the concerned officers to redress the same at the earliest.

जिला जेल में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न

बंदियों को बताये कानूनी अधिकार

सत्ता सुधार ■ श्योपुर

शहर के शिवपुरी रोड पर स्थित जिला जेल में आज सोमवार को सुबह 11 बजे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें बंदियों को कानूनी अधिकारों से अवगत कराया गया। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं जिला न्यायाधीश पवन कुमार बांदिल ने जेल में निरूद्ध बंदियों को प्ली बार्गेनिंग के बारे में बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में नवीनतम संशोधन द्वारा अध्याय 21 ए के रूप में प्ली बार्गेनिंग दाण्डिक मामलों का समझौते के आधार पर अंतिम निराकरण हेतु एक अनुबंध है जो कि न्यायालय के निर्देशन एवं नियंत्रण में होता है कोई भी अभियुक्त जो कि 18 वर्ष से अधिक आयु का है वह स्वैच्छिक रूप से प्ली - बार्गेनिंग करने हेतु अपराध एवं मामले का संक्षिप्त विवरण, शपथ पत्र सहित आवेदन पत्र उसी न्यायालय में जिसमें मामला चल रहा है प्रस्तुत कर सकता है। साथ ही बंदियों को उनके अपील का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता, कैदियों के अधिकारों के बारे में जागरूकता, प्लीबार्गेनिंग, जेल के कैदियों के छूट के नियम, पैरोल का अधिकार के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस मौके पर विधिक सेवा अधिकारी विभूति तिवारी, जिला जेलर व्ही.एस.मोर्य भी मौजूद रहे।

भोपाल रविवार 9 जनवरी 2022

haribhoomi.com

राजग

जिला जेल पहुंचकर लिया बंदियों के खाना, स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा

न्यायाधीशों ने जेल पहुंचकर जानी बंदियों की पीड़ा

जेल प्रबंधन को दिए कोविड संबंधित निर्देश

बंदियों को बताए उनके अधिकार

जिन बंदियों के पास नहीं है वकील, उन्हें निःशुल्क मिलेंगे

सर्किल जेल शिवपुरी में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

शिवपुरी. प्रधान जिला न्यायाधीश विनोद कुमार द्वारा शनिवार को सर्किल जेल शिवपुरी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। शिविर में कैदियों को बताया गया कि वह बंदी जिनके पास उनके प्रकरण में अधिवक्ता नहीं है, वह अपने प्रकरण में विधिक सहायता से निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकते हैं। प्रधान जिला न्यायाधीश ने बंदियों से व्यक्तिगत मिलकर उनकी समस्याएं सुनी तथा उन्हें उचित सलाह भी दी गई।

जिला न्यायाधीश एवं सचिव अर्चना सिंह द्वारा बंदियों को प्ली बारगेनिंग एवं अपील के अधिकार तथा निःशुल्क विधिक सहायता विषय पर कानूनी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऐसे अपराध जो कि महिलाओं, बालकों एवं 7 वर्ष से अधिक अवधि से दंडनीय अपराध से संबंधित नहीं है, उन अपराधों में यदि अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में आधे से अधिक अवधि व्यतीत कर ली है, तब वह संबंधित न्यायालय में प्ली बारगेनिंग के लिए आवेदन पेश कर सकता है, जिस पर संबंधित न्यायालय समुचित कार्यवाही करेगा। तृतीय जिला न्यायाधीश शशिकांत गोयल ने कहा कि विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील करना चाहते हैं, तब उस स्थिति में अपील में विधिक सहायता के माध्यम से अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। इस शिविर के दौरान अर्चना सिंह जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिवकांत गोयल तृतीय जिला न्यायाधीश, पवन कुमार संखवार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, विदित सरवैया जेल अधीक्षक, दिलीप सिंह उपाधीक्षक एवं पैरा लीगल वालंटियर अमित दांगी भी उपस्थित रहे।

कोविड नियमों का पालन करने की समझाइश दी

पेटलावद(नईदुनिया न्यूज) उच्च न्यायालय जबलपुर मप्र के मार्ग दर्शन व मौहम्मद सय्यदुल अबरार अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्रधिकरण तथा प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश झाबुआ के निर्देशानुसार शनिवार को तहसील न्यायालय पेटलावद में मध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें न्यायिक अधिकारीगण व पक्षकार उपस्थित हुए। मध्यस्थता के माध्यम से निराकरण होने वाले मामले के संबध में विस्तृत रूप से चर्चा करने के साथ ही आगामी लोक अदालत जो कि 12 मार्च को आयोजित होना है के सम्बंध में भी चर्चा की गई। जैसी राठौर अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति पेटलावद, संजीव कटारे व्यावहार न्यायाधीश वर्ग 01, राजेंद्र बर्मन व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 02, अभिभाषक संघ पेटलावद के अध्यक्ष विनोद पुरोहित द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से प्रकरण के अधिक से अधिक निराकरण किए जाने तथा स्थाई निरन्तर लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण बावद अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही यातायात के नियमों का पालन करने तथा कोविड नियमों का पालन करने संबधी समझाईश दी गई। विधिक मध्यता जागरूकता शिविर के आयोजन के समय के समय न्यायालय पेटलावद मे न्यायधीशगण, अभिभाषक संघ सचिव बलदेव सिंह राठौर सहित समस्त अधिवक्ता तथा पक्षकारगण सहित न्यायालय के समस्त तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपस्थित थे। उक्त शिविर मे कोविड नियमों का पूर्ण पालन किया गया।

तहसील न्यायालय पेटलावद मे मध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। ●नईदुनिया

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय झाबुआ के द्वारा प्रारंभ किया गया अभियान

झाबुआ। शहर में कोरोना का कहर दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है इसके रोकथाम हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय झाबुआ के द्वारा प्रारंभ किया गया अभियान «मास्क बोझ नहीं बचाव है» के तहत जिला न्यायालय झाबुआ में पदस्थ न्यायाधीशगणों एवं कर्मचारियों के द्वारा आज दिनांक 19.01.2022 को माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमान मोहम्मद सैय्यदुल अबरार जी के निर्देशानुसार जिला न्यायालय परिसर झाबुआ एवं आस-पास के स्थानों पर बिना मास्क के घूम रहे पक्षकारगण एवं आमजनों को निःशुल्क मास्क एवं सेनेटाईजर का वितरण कर मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम में विषेष न्यायाधीश श्रीमान महेन्द्र सिंह तोमर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला न्यायधीश श्री लीलाधर सोलंकी, अपर जिला न्यायाधीश श्री संजय चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्टेड श्री नदीम खांन एवं न्यायिक मजिस्टेड प्रथम श्रेणी श्री राजकुमार चौहान के द्वारा बताया गया कि इस महामारी को हराने के लिए अधिक से अधिक लोगों को जागरूक होना होगा। इस दौरान अनिवार्य रूप से मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करने की जरूरत है। श्री तोमर ने कहा कि मास्क एवं सेनेटाईजर बांटने का उद्देश्य यही है कि जिन्हें सर्दी, जुकाम है वो मास्क लगाकर निकले और और बार-बार हाथों को सेनेटाईजर से साफ करते रहें। अपर जिला न्यायाधीश/सचिव श्री सोलंकी जी ने कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में जागरूकता का काफी अहम रोल है ऐसे में हम सभी को चाहिए की स्व%छता और सतर्कता के साथ बिना घबराऐं इसका मुकाबला करें। कोरोना वायरस के लक्षण होने पर तुरंत हॉस्पिटल जाकर जांच कराऐ। विधिक जागरूकता कार्यक्रम में कोरोना महामारी से बचाव का लेकर सोशल डिस्टेंस पालन करने का नियम सहित कई तरह की जानकारी दी गई। इस विधिक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत जिला न्यायालय परिसर एवं अन्य स्थानों पर लगभग 200 मास्क एवं 40 सेनेटाईजर का निःशुल्क वितरण किया गया।

झुग्गी बस्ती में 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के कोरोना रोधी टीकाकरण का आयोजन किया

नीमच (निप्र)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच अध्यक्ष एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश श्री राजवर्धन गुप्ता के निर्देश व जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच श्री संजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में पैरा लीगल वॉलिंटियर का घर-घर कोरोना के टिके लगवाने हेतु जागरूकता अभियान चला रहे है। पीएलवी ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर नगर के पिछड़ी बस्तियों में लोगों को कोरोना से बचाव के लिए टीका लगाने की अपील कर रहे हैं।

इसी क्रम में 13 जनवरी 2022 गुरुवार को नगर के भागेश्वर मंदिर के समीप स्थित झुग्गी बस्ती में 15 से 18 वर्ष तक के बच्चो के कोरोना रोधी टीकाकरण का आयोजन कर बस्ती के बच्चो के टीके लगाए गए। साथ ही बस्ती के कई रहवासियों के दूसरी डोस भी लगाई गई। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच के जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच श्री संजय कुमार जैन ने भी वेक्सिनेशन सेंटर का अवलोकन करते हुवे झुग्गी बस्ती के रहवसीयो से चर्चा कर उनसे टिकाकरण करवाने की अपील करते हुवे कहा कि कोरोना से बचने के लिए प्रत्येक नागरिक को टीकाकरण करवाना अनिवार्य है। साथ ही मास्क का प्रयोग करें, बार-बार हाथों को सैनिटाइजर और साबुन से साफ करें। भीड़ वाली जगह जाने से बचें और बिना काम घर से बाहर न जाएं। कैंप में टीकाकरण करवाने वाले लोगों से कहा कि आप अपने सगे संबंधियों और आसपास के लोगों को भी टीकाकरण लगवाने के लिए प्रेरित करें ताकि कोविड-19 से बचाव हो सके। इस दौरान पैरा लीगल वॉलिंटियर राकेश सिंह परिहार, हेमेन्द्र शर्मा के अलावा स्वास्थ विभाग की टीम भी सक्रीय रही।

इस दौरान मास्क के प्रयोग के साथ कोविड के तहत अन्य नियमों का पालन की अपील करते हुवे झुग्गी बस्ती के लोगो को विधिक से मिलने वाली निःशुल्क सुविधाओं की जानकारी देते हुवे पेम्पलेट वितरित किये। इसके साथ ही उनके स्तर की सरकार जनकल्याकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई। नशा मुक्ति के लिए युवा पीढ़ी को सतर्क रहने की इस दौरान अपील भी की गई।

विधि विरुद्ध किशोरों के देख-रेख की आवश्यकता : लवानिया

स्टार समाचार | रीवा

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी वार्ष्णेय के मार्गदर्शन व विपिन कुमार लवानिया सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा के नेतृत्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बाल सम्प्रेषण गृह एवं हरिबाल गृह रीवा में विधिक साक्षरता शिविर एवं निरीक्षण का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर प्राधिकरण सचिव श्री लवानिया ने किशोर न्याय अधिनियम के बारें में जानकारी देते हुए कहा कि किशोर न्याय अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के विधि के विरुद्ध किशोरों और देखरेख की आवश्यकता वाले बालकों के लिए लागू होता है। जो कि पूरी तरह से बालको के कल्याण के उद्देश्य पर आधारित है। उन्होंने कहा कि बालक-बालिकाओं को अपनी पूरी ऊर्जा शिक्षा से ज्ञान अर्जन में लगानी चाहिए और नशे और अपराध से पूर्णतः दूर रहना चाहिए क्योंकि बालक-बालिका देश की धरोहर है।

इस दौरान न्यायाधीशगण द्वारा संस्था के अधिकारी व कर्मचारियों से संस्थाओं में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की गई और उन्हें बालकों की बेहतर तरीके से देखभाल करने व पौष्टिक व स्वादिष्ट भोजन दिये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन किए जाने के संबंध में निर्देशित किया गया।

अभय कुमार मिश्रा जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा इस अवसर पर नालसा व सालसा की योजनाएं, निःशुल्क विधिक सहायता के बारें में जानकारी दी। इस दौरान बाल सम्प्रेषण गृह एवं हरि बाल गृह के अधिकारी एवं कर्मचारी गण उपस्थित थे।

आयोजन • उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामा में हुआ विधिक साक्षरता शिविर, न्यायाधीश सोलंकी ने कहा

लक्ष्य के लिए प्रयास करने की जरूरत को आदत में शामिल करें

भास्कर संवाददाता | कालीदेवी

राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामा में स्थापित विधिक साक्षरता क्लब में नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना-2015 के अंतर्गत विधिक साक्षरता व जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। प्रधान जिला न्यायाधीश मोहम्मद सैय्यदुल अबरार के निर्देशानुसार व प्राधिकरण के सचिव अपर जिला न्यायाधीश लीलाधर सोलंकी के निर्देशन में आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ लीलाधर सोलंकी, एमएल

कालीदेवी में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।

फुलपगारे व प्राचार्य केएल परमार व स्टाफ द्वारा मां सरस्वती व स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया।

विधिक साक्षरता कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए सोलंकी ने कहा कि पढ़ने, लिखने के दौरान आने वाली समस्या से घबराने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य के लिए प्रयास करने की जरूरत को आदत में शामिल करें। नियम और कानून समाज को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए बनाए गए हैं। विधिक साक्षरता शिविर में सामान्य कानून की जानकारी देने का भी काम कानूनी प्रावधानों के अनुसार है। स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में बताते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। यदि आप अपने लक्ष्य को निश्चित करने के बाद अमल में लाना शुरू कर दें तो पाएंगे कि आप खुद लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। विद्यार्थियों को यातायात के नियमों का पालन करने के बारे में भी समझाया। निशुल्क विधिक सहायता, बालकों के अधिकार, संवैधानिक कर्तव्य आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। छात्रों को अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए परिश्रम व लगन से अध्ययन करने और गुरुओं के सम्मान करने के लिए प्रेरित किया।

युवा शक्ति का सकारात्मक प्रयोग करना चाहिए : शिविर में सामाजिक कार्यकर्ता एमएल फुलपगारे ने कहा विवेकानंद के जीवन दर्शन से हमें सीख लेकर युवा शक्ति का सकारात्मक प्रयोग करना चाहिए। कार्यक्रम में स्कूल प्राचार्य केएल परमार ने भी बच्चों को बताया कि नैतिक शिक्षा और सामाजिक व्यवहार भी अध्ययन के साथ-साथ आवश्यक है। विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से व्यक्तित्व विकास में सहायता मिलती है। महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ने के बारे में कहा। शिविर में कोरोना संक्रमण रोकथाम व बचाव के उपाय भी बताए। संचालन सहायक शिक्षक विनोद कुमार परमार ने किया। आभार संजय माथुर ने व्यक्त किया। कार्यक्रम में लालु पटेल, रेखा भूरिया, रजिया देशमुख, स्कूली छात्र व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी उपस्थित रहे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को कानून की जानकारी दी

Digital Edition | इंदौर, रविवार, 09 जनवरी, 2021 | 9

विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

■ लोकतंत्र उद्घोष

न्यायाधीशो द्वारा किया गया लोगो को जागरूक

दतिया (नितिन दांतरे)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष महोदय श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा के निर्देशानुसार एवं अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री मुकेश रावत जी के मार्गदर्शन में आज शनिवार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया द्वारा कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला जेल,समर्पण नशा मुक्ति केन्द्र, वन स्टॉप सेन्टर दतिया में ऑनलाइन विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। श्री हेमन्त सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दतिया द्वारा जिला जेल में बंदियो को नि:शुल्क विधिक सहायता एवं सलाह योजना के अंतर्गत न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने के अधिकार तथा अपील न्यायालय में विधिक सहायता के माध्यम से अपील प्रस्तुत करने का अधिकार की जानकारी दी।प्ली-बारगेनिंग विषय पर उद्-बोधन देते हुए श्री मुकेश रावत सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश दतिया द्वारा कहा कि प्ली-बारगेनिंग दांडिक मामलों का समझौते के आधार पर अंतिम निराकरण हेतु एक अनुबंध है।पुलिस द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र से उत्पन्न मामले में यह अनुबंध अभियुक्त मामले के अनुसंधानकर्ता अभियोजन एवं पीड़ित के मध्य होता है। श्री अजय कांत पांडे अपर जिला न्यायाधीश द्वारा समर्पण नशा मुक्ति केन्द्र उक्त आयोजित शिविर के जानकारी देते हुये बताया कि नशा पीड़ितो के लिए विधिक सेवा योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है,कि आम जनता के बीच विधिक प्रावधानों विभिन्न नीतियों कार्यक्रम एवं योजनाएं स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थों के विजय के साथ-साथ विद्यालय तथ महा विद्यालयों के के बच्चों एवं जनसाधारण आदि में ड्रग दुरुपयोग के दुष्प्रभाव के विषय में जागरूकता फैलाना एवं ड्रग तस्करी एवं दुरुपयोग के पीड़ितों का आवश्यक विधि सेवा सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है वन स्टॉप सेंटर में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर मे श्री जी.सी.शर्मा अपर जिला न्यायाधीश दतिया द्वारा जानकारी देते हुए।

शासकीय कॉलेज मनावर में एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबीनार का आयोजन किया गया

मनावर। सोमवार को शासकीय कॉलेज मनावर के प्राणीशास्त्र विभाग द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबीनार का आयोजन किया गया जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज/सेक्रेटरी डिस्ट्रिक लिगल सर्विस आर्थोरिटी, धार श्रीमती एस.विनीता एवं एम.कौशल डिस्ट्रिक लिगल एड ऑफिसर द्वारा आत्म रक्षा एवं किशोर न्याय पर ऑनलाईन परिचर्चा की गई। कार्यक्रम का शुभारम्भ प्राचार्य डॉ.आर.सी.पान्टेल द्वारा माँ सरस्वती पूजन से किया गया। अतिथियों का स्वागत आई.क्यू.ए.सी. हेड डॉ. आई.एस.सस्त्या द्वारा किया गया। कार्यक्रम की रूपरेखा विभागाध्यक्ष प्राणीशास्त्र डॉ. पूजा शर्मा द्वारा बताई गई एवं अतिथि परिचय प्रो. प्रीतिका पाटीदार द्वारा दिया गया। इस वेबीनार में एम.कौशल जी द्वारा आत्म रक्षा एवं किशोर न्याय पर बच्चों से चर्चा की और उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे अपने हितों को जाने एवं उन्होंने कहा हमारे देश का न्याय हमेशा मासूम के साथ न्याय करने के लिये ही प्रेरित करता हैं। उन्होनें लड़कियों को प्रोत्साहित किया कि वे अपना आत्म सम्मान किसी भी स्थिति में न खोये। कानून हमेशा उनके न्याय एवं सम्मान के लिये साथ हैं। श्रीमती एस.विनीता द्वारा आत्म रक्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हैं पर चर्चा की। उन्होने बताया कि हम सभी को चाहे लड़की और लड़का, वयस्क हो या किशोर हमें हमारी सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य हैं और कानून इस अधिकार की हिफाजत करता हैं। उन्होने बताया वर्तमान में कानून में ऐसे और कई नियम आए हैं जिससे यह प्रतीत होता हैं यदि कोई अपराध किशोर द्वारा वयस्क सोच के साथ किया जाता हैं तो वह भी वयस्क कानून के अंतर्गत आ सकता हैं। उन्होने सभी छात्राओं से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का नम्बर एवं वेबसाईट के बारे में बताया कि जब किसी छात्र-छात्राओं को उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता हो वे कभी भी किसी भी समय कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन वेबीनार संयोजक डॉ. अंकिता सोनी द्वारा किया गया एवं आभार प्रो. रितु माथुरिया द्वारा दिया गया।

■ ग्रामीणों को जानकारी देते हुए अतिथिगण।

केवलारी के ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों की दी जानकारी

भास्कर न्यूज, कटनी। केवलारी ग्राम पंचायत के आंगनबाड़ी केन्द्र में बुधवार को विधिक साक्षरता शिविर लगाकर लोगों को कानून की जानकारी दी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष श्यामाचरण उपाध्याय के मार्गदर्शन में, जिला न्यायाधीश सचिव दिनेश कुमार नोटिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। पीएलव्ही रवि नामदेव ने नालसा एवं सालसा द्वारा संचालित विभिन्न जन उपयोगी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। साथ ही अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, घरेलु हिंसा, बाल संरक्षण, भरण पोषण एवं महिलाओं के अधिकार के बारे में उपस्थित जनों को जानकारी दी। साथ ही ई सेवा केन्द्र एवं ई न्यायालय सेवा के बारे में विस्तार से बताया। इसका लाभ प्राप्त करने के लिए आप इसका एप डाउनलोड कर न्यायालय कार्यों को सुगम एवं सरल बनाने और बेहतर परिणाम पाने के लिए अधिक से अधिक उपयोग करने की बात अधिकारियों ने बताई। कार्यकर्ता चमेली बाई पटेल, सुनीता, राधाबाई, ममता बाई, कलाबाई आदि उपस्थित रही।

दैनिक भास्कर Thu, 13 January 2022 https://epaper.bhaskarhin

न्यूज़ इनबॉक्स

दिव्यांगों को ट्राइसिकल वितरित

रीठी। जनपद पंचायत रीठी में दिव्यांगों के ट्राइसिकल एवं श्रवण यंत्रों का वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला उपाध्यक्ष भारत पटेल ने की। जनपद पंचायत रीठी के सीईओ ज्ञानेन्द्र मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुसार, बहोरीबंद विधायक प्रणय प्रभात पांडेय के निर्देशन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला मंत्री कमलेश पटेल, मंडल अध्यक्ष मयंक कंदेले, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष रितेश तिवारी, युमो मंडल महामंत्री अनमोल अग्रवाल, श्रीकांत राय आदि उपस्थित थे।

दैनिक भास्कर Thu, 13 January 2022 https://epaper.bhaskarl

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जियावन/देवसर में सम्पन्न हुआ विधिक साक्षरता शिविर

तृतीय श्रेणी जिला न्यायाधीश श्याम सुंदर झा जी ने विडियो कांफेंसिंग के माध्यम से कानून व विधिक सम्बन्धित दी जानकारी*

दैनिक केसरिया हिंदुस्तान ब्यूरो चीफ सिंगरौली दुर्गेश चतुर्वेदी

सिंगरौली/देवसर- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिंगरौली के तत्वाधान में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन दिनांक 7 जनवरी दिन शुक्रवार को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जियावन/देवसर में आयोजित किया गया।उक्त विधिक साक्षरता शिविर जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति देवसर ओम प्रकाश रजक जी के मार्गदर्शन में पैरालीगल वॉलिंटियर अम्बरीश पाठक व अनुरोध शुक्ला द्वारा किया गया।वहीं शिविर आरम्भ के दौरान तृतीय श्रेणी जिला न्यायाधीश श्याम सुंदर झा जी ने विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विधिक सेवा व कानून सम्बन्धित एवं यातायात नियम सहित इत्यादि जानकारी प्रदान किया।तो वहीं पैरालीगल वालंटियर द्वारा कानूनी जानकारी देते हुए निःशुल्क विधिक सलाह सहित बाल विवाह,मोटर यान अधिनियम,विवाह पंजीयन सहित सालसा एवं नालसा द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई।साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत मिलने वाली अन्य सुविधाओं की भी जानकारी देते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं की अन्य जानकारी दी गई।उपरोक्त आयोजित शिविर में मुख्य रूप से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य विश्वास पाठक एवं संस्थान के सभी कर्मी सहित पत्रकार गणेश चतुर्वेदी,आशीष पांडेय सहित संस्थान के छात्र व छात्रा उपस्थित रहे।

जियावन में हुआ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

एडीजे रामजीलाल ताम्रकार ने विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से स्थानीयजनों को कानून व विधिक सम्बन्धित दी जानकारी

काल चिंतन संवाददाता

देवसर,सिंगरौली। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिंगरौली के तत्वाधान में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन दिनांक 11 जनवरी दिन मंगलवार को ग्राम जियावन में आयोजित किया गया।उक्त विधिक साक्षरता शिविर जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति देवसर ओम प्रकाश रजक जी के मार्गदर्शन में पैरालीगल वॉलिंटियर अनुरोध शुक्ला व अम्बरीश पाठक द्वारा किया गया।वहीं शिविर आरम्भ के दौरान एडीजे रामजीलाल ताम्रकार जी ने विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित ग्रामीणजनों को विधिक सेवा सम्बन्धित,कानून सम्बन्धित एवं कोविड के प्रसार को दृष्टिगत रखते हुये उसके बचाव हेतु आवश्यक सावधानियों सहित इत्यादि जानकारी प्रदान किया।तो वहीं पैरालीगल वालंटियर द्वारा कानूनी जानकारी देते हुए निःशुल्क विधिक सलाह सहित बाल विवाह,मोटर यान अधिनियम,विवाह पंजीयन सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं की भी जानकारी दी गई।उपरोक्त आयोजित शिविर में मुख्य रूप से स्थानीय ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

विधिक साक्षरता शिविर में प्रशिक्षणार्थियों को दी विधिक सेवाओं की जानकारी

सत्ता सुधार ■ श्योपुर

शहर के बायपास रोड पर स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसेटी में आज सोमवार को दोपहर 12 बजे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से आये प्रशिक्षणार्थियों को विधिक सेवाओं की जानकारी दी गई। शिविर में विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जिला न्यायाधीश पवन कुमार बांदिल ने महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानूनों जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा से महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम , निषेध और निवारण) अधिनियम 2013, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के तहत संपत्ति का अधिकार के बारें में जानकारी देते हुए नालसा लीगल सर्विस एप के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करने एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने व लोकोपयोगी समस्याओं के लिए आयोजित होने वाली लोकापयोगी लोक अदालत के बारे में भी जागरूक किया गया।

जिला न्यायाधीश ने किया आंगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण

कटनी/ब्यूरो

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कटनी श्यामाचरण उपाध्याय के मार्गदर्शन में जिला न्यायाधीश, सचिव दिनेश कुमार नोटिया द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र क्र. 153 महाराणा प्रताप वार्ड कटनी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्र के कुछ बच्चे बिना मास्क के पाए गए। सचिव द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व उपस्थित बच्चों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने, मास्क लगाने, सैनेटाईजर या साबुन से एक निश्चित अंतराल पर हाथ धोने और कोरोना संबंधी अन्य महत्वपूर्ण निर्देश प्रदान किए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपस्थित बच्चों और कार्यकर्ताओं को मास्क उपलब्ध कराए गए। इसके साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में विधिक साक्षरता शिविर, जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। जिसमें जिला न्यायाधीश व सचिव श्री नोटिया ने उपस्थित महिलाओं को भरण पोषण, विधि, घरेलु हिंसा, किशोर न्याय अधिनियम, अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, मोटर व्हीकल एक्ट, बच्चों के अधिकार एवं कर्तव्य, निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित जानकारी दी गई। इस दौरान पीएलव्ही मनीषा प्यासी, सुनीता केवट, अजय बुरडे, जिला प्राधिकरण के कर्मचारी सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहीं।

विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन

भास्कर न्यूज, मंडला

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं प्रधान जिला न्यायाधीष/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आरएस शर्मा के आदेशानुसार जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ प्रीति श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में किशोर न्यायालय मण्डला में प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड हर्षिता पिपरेवार की उपस्थिति में जिला विधिक सहायता अधिकारी विजय कुमार खोब्रागड़े के द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मजिस्ट्रेट हर्षिता पिपरेवार के द्वारा बालको की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के संबंध में जानकारी दी। विजय कुमार खोब्रागड़े के द्वारा नालसा बालको के मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा स्कीम 2015 के संबंध में जानकारी दी साथ ही निशुल्क विधिक सहायता योजना के बारे में जानकारी प्रदान की गई। शिविर में अपचारी बालको के पालकगण उपस्थित रहे।

लैंगिक असमानता को समाप्त करने के लिए मानसिक सुधार होना आवश्यक - सचिव श्री दांगी

ऑनलाईन जागरूकता शिविर सह कार्यशाला आयोजित

शब्दवार्ता, सीहोर। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री आरएन चंद के निर्देश पर राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में वर्चुअल जागरूकता शिविर सह कार्यशाला आयोजित की गई। इस जागरूकता शिविर में 50 विद्यार्थी एवं शिक्षक वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री मुकेश कुमार दांगी ने वर्चुअल रूप से जुड़े समस्त लोगो को राष्ट्रीय बालिका दिवस की बधाई दी।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने एवं यह कार्यशाला आयोजित करने का उद्देश्य है कि समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिले, और यह सब हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक महिलाओं या बेटियों से असमानता होती रहेगी। उन्होंने कहा कि बेटियों का शिक्षित होना आवश्यक है, यदि वे शिक्षित होंगी तो सामाजिक कुरूतियों से लड़ पाएंगी। समाज में दहेज प्रथा जैसी कुरीति को समाप्त करना भी हम सब का कर्तव्य है, इससे भी बेटियां-बेटों में अंतर होता है। लोग कहते हैं कन्या दान करना है क्या कन्या कोई वस्तु या सामान है, जबकि दान तो सामान या वस्तु का किया जाता है अतः ऐसे शब्दों का त्याग करें। आज हम सभी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर यह प्रण लें कि न तो दहेज लेंगे और न ही देंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आयोजित जागरूकता शिविर सह कार्यशाला में वर्चुअल रूप से जुड़े अधिकारियो ने भी समाज के ज्वलंत मुद्दों कन्या भ्रूण हत्या, लैंगिक समानता, बालिकाओं से मैत्रीपूर्ण व्यवहार, शैक्षणिक संस्थानों में लैंगिक असमानता एवं समाज में बालिकाओं का योगदान जैसे गंभीर विषयों पर अपने विचार रखे एवं विद्यार्थियों को मार्गदर्शित किया।

इस कार्यशाला में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अनीस उद्दीन अब्बासी, जिला शिक्षा अधिकारी श्री उदय उपेन्द्र भिड़े, नगर पुलिस अधीक्षक कु. अर्चना अहीर, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती मृदला दुबे एवं बाल कल्याण समिति की सदस्य श्रीमती पूनम खनूजा मुख्य रूप से उपस्थित रही।

'दृढ़ संकल्पित होकर नशे की लत छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ें'

जागरण, सीहोर। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आरएन चंद के निर्देश पर संकल्प नशा मुक्ति केन्द्र एवं वृद्धा आश्रम में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मुकेश कुमार दांगी ने वृद्धा आश्रम में वृद्धजनों से मिलकर उनके स्वास्थ्य एवं खान संबंधी हाल-चाल जाने। उन्होंने वृद्धजनों को वर्तमान में बढ़ रहे कोविड-19 संक्रमण से स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से जागरूक रहने एवं नियमित रूप से व्यायाम कर स्वस्थ रहने की सलाह दी। शिविर में उन्होंने वृद्धजनों को नालसा द्वारा वरिष्ठजनों के लिए संचालित योजना, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 एवं मप्र माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण नियम 2009 की विस्तार से जानकारी दी। सचिव श्री दांगी ने वृद्धजनों को फल एवं खाद्य सामग्री वितरित की। नशा मुक्ति केन्द्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री दांगी ने नालसा (नशा पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना) 2015 की जानकारी दी और नशे के आदि व्यक्तियों को कहा कि आप भी समाज का ही हिस्सा हैं, अपने आप को समाज से अलग न समझें बस दृढ़ संकल्पित होकर बुरे व्यसनो त्यागने का संकल्प लें।

संविधान में सभी को बराबर का हक : न्यायाधीश मालवीय

कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि। ● नईदुनिया

बड़नगर। संविधान में सभी को बराबरी का हक है। कहीं कोई ऊंच-नीच की भावना नहीं है। बालिकाओं को भी संविधान में अधिकार दिए हैं।

यह विचार राष्ट्रीय बालिका दिवस पर गीता भवन में आयोजित कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश सुनील मालवीय ने व्यक्त किए। विशेष अतिथि व्यवहार न्यायाधीश दशरथ भिड़े, अभिभावक संघ अध्यक्ष कमलेश असवारा, उपाध्यक्ष करण राठौर व सचिव जयेश आचार्य थे। स्वागत भाषण डा. जीएल दवरवाल ने दिया। कार्यक्रम में ट्रस्टी विनोद मकवाना, मेहंदी ट्रेनर जैनब ने संबोधित किया। इस अवसर पर ट्रस्टी चंद्रप्रकाश नागर, सेवादार सतीश नीमा, नंदिनी पाटीदार, अनिता काला, सुभाष गुप्ते, शांतिलाल मकवाना आदि उपस्थित थे। आभार डा. विनोद शास्त्री ने माना।

कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका विषय पर सेमिनार आयोजित

व्यक्तित्व को इस काबिल बनाएं, जरूरत पड़ने पर सहपाठी की मदद कर सकें: जज

शिवपुरी (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती अर्चना सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक एक शिवपुरी के छात्र छात्राओं के साथ राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान विषय पर वर्चुअल संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी में जिलान्यायाधीश अर्चना सिंह द्वारा छात्राओं को बताया गया कि देश में पूर्व काल से ही गार्गी एवं विद्योत्तमा जैसी प्रज्ञावान स्त्रियों का वर्चस्व रहा है जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर समाज में लोहा मनवाया किंतु कुछ कुरीतियों के कारण महिलाओं का स्थान समाज में पीछे रह गया जिसमें महिलाएं घर की चाहर दीवारी में सीमित होकर रह गई किंतु विभिन्न कानूनों के बन जाने से महिलाओं का समाज में प्रतिनिधित्व बढ़ा।

वर्चुअल कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संबोधित करती अर्चना सिंह व शिखा शर्मा। ● नईदुनिया

अर्चना सिंह ने कहा कि महिलाओं ने राजनीति एवं प्रशासनिक सेवाओं में भी भागीदारी की। किंतु 1990 के दशक में इंटरनेट के आ जाने से दुनिया ने तो तरक्की की किंतु महिलाओं के साथ विभिन्न प्रकार के अपराधों में भी बढ़ोतरी हुई, इसलिए यदि हम समाज में प्रगति चाहते हैं तो महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जाना बहुत आवश्यक है। अर्चना सिंह द्वारा समस्त छात्रों से आव्हान किया गया कि वे अपने व्यक्तित्व को इस काबिल बनाएं कि आवश्यकता पड़ने पर सहपाठी छात्राएं मदद के लिए उनको योग्य पा सकें। इसी प्रकार उनके द्वारा बताया गया कि पहले सेना के फाइटर विंग में महिलाओं को पद नहीं दिए जाते थे किंतु माननीय उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद अब महिलाएं देश की रक्षा व्यवस्था में भी अपना योगदान दे रही हैं।

महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने पुरुषों को करने होंगे प्रयास

जिला विधिक सहायता अधिकारी शिखा शर्मा द्वारा छात्रों को बताया गया कि मध्यकाल में सती प्रथा, पर्दा प्रथा आदि दूषित मानसिकताओं के कारण महिलाओं के स्तर में काफी गिरावट आई किंतु आज स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, किंतु आज भी महिलाएं घर से बाहर निकलकर पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए समस्त पुरुषों को प्रयास करने की आवश्यकता है। इसलिए शिक्षा प्राप्ति की उम्र में ही छात्रों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि महिलाएं उनकी उपस्थिति में स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकें जब समाज में अपराध कम होंगे तभी महिलाएं स्वयं को सहज महसूस कर सकेंगी और देश की तरक्की में योगदान दे पाएंगी। उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र दुष्यंत भार्गव द्वारा भी अत्यंत महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए गए कि ऐसी समस्त स्त्रियां जो परिवार की जिम्मेदारी के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारियां निभाती हैं, ऐसी स्त्रियां सम्मान की पात्र होती है। आज हमारे देश में निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री रहकर अत्यंत कुशलतापूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन कर रही हैं जो कि हमारे देश के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। इसी प्रकार पहले सेनाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं होता था किंतु श्रीमती गुंजन सक्सेना द्वारा फाइटर पायलट बनकर महिलाओं के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया।

अभियान... विधिक सेवा प्राधिकरण लायंस क्लब ने 400 मास्क बांटे

दमोह| कोरोना की तीसरी लहर के बढ़ते संक्रमण को देखते जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं लायंस क्लब द्वारा घंटाघर पर बिना मास्क लगाए नागरिकों को समझाइश दी गई और वितरित किए। नागरिकों से कहा कि वह अपनी सुरक्षा स्वयं करे मास्क लगाएं। दूरी बनाकर रखें, भीड़भाड़ में न जाएं, सैनिटाइज उपयोग करें। लायंस क्लब अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने कहा कि की तीसरी लहर कहीं जानलेवा न हो इसलिए अपनी सुरक्षा करें। कोरोना नियमों का पालन करें। इस दौरान जिला विधिक प्राधिकरण अधिकारी गुंता डांगे, अध्यक्ष लायंस क्लब लक्ष्मी अग्र लालचंद राय, सुधीर असाटी, मनोज टंडन, निशांत चौरसिया, छाबड़ा, सतीश बोहरे, अभिषेक गोयल, नीतेश प्रसाद, कमलेश सहित अन्य लोग मौजूद थे।

कोविड-19 के लिए वैक्सीन लगवाना है जरूरी: शर्मा

कोरोना पर ऑनलाइन बेविनार का हुआ आयोजन

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

ऑनलाइन बेविनार में बच्चों को संबोधित करते प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश।

दतिया. 18 से 18 वर्ष के किशोर व किशोरियों को कोविड-19 के बचाव के लिए वैक्सीन जरूर लगवाना है। उक्त बात प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी शर्मा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा कोरोना (ओमिक्रोन) पर आयोजित जागरूकता ऑनलाइन बेविनार के दौरान छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कही।

उन्होंने कोविड-19 उसके वेरियंट बचाव एवं सुरक्षा क बारे में बच्चों को अवगत कराया एवं उन्हें जागरूकता फैलाने के लिए प्रेति किया गया। उन्होंने बताया कि जिस तरह से कोविड-19 बढ़ रहा है। भविष्य में रहन-सहन के तरीके एवं सफाई व्यवस्था प्रमुखतम होंगे।

हमें उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आगे बढ़ना है। इस अवसर पर जिला जज मुकेश रावत द्वारा छात्र-छात्राओं को जानकारी देते हुए बताया कि अभी सरकार ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण प्रारंभ किया गया है जो निश्चित ही एक सराहनीय कदम है। हम सभी को आगे आकर टीकाकरण के इस कुंभ में अपनी सहभागिता देनी है। आगे आकर टीके लगवाना चाहिए। इस अवसर पर प्राचार्य एनके पालीवाल, कृष्णगोपाल शर्मा, सुनील त्यागी आदि ने सहभागिता की।

जिला न्यायालय में रोको-टोको अभियान चलाकर किया प्रेरित

देवास. न्यायालय में आने वालों को रोका गया।

देवास|प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रभातकुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में कोविड महामारी से सुरक्षा को देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जिला न्यायालय में विशेष रोको-टोको अभियान चलाया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निहारिका सिंह ने बताया न्यायालय परिसर में हेल्पडेस्क लगाकर वालेंटियर के माध्यम से परिसर में आने वाले पक्षकारों, अधिवक्ता, कर्मचारियों को रोको-टोको अभियान चलाकर टीकाकरण, मास्क लगाने, सैनिटाइजर का उपयोग करने कि लिए प्रेरित किया गया।

पैरा लीगल बाल एनटीआरओ ने किया रोको टोको अभियान

» कोरोना से बचाव के लिए मास्क है जरूरी: आबिद खान

एक्सल समाचार, सीहोर। प्रधान जिला न्यायधीश एवम अध्यक्ष श्री आर एन चंद्र के मार्गदर्शन में शहर में कोरोना वायरस के केस बढ़ने के कारण जिला प्राधिकरण से सम्बद्ध पैरा लीगल वालंटियर आबिद खान, भारत मेवाड़ा, सविता गोयल, अनीता गढ़वाल, सोहेल खान, दिनेश नागर, मोना प्रजापति, जगदीश दुबे के द्वारा *सीहोर के भोपाल नाका, बस स्टैंड चौराहा, नदी चौराहा, कोतवाली चौराहा* आदि जगहों पर रोको टोको अभियान चलाया गया जिसमें लोगों को मार्क्स पहनने के लिए जागरूक किया गया ।उक्त कार्यक्रम में पैरा लीगल वलेंटर्स द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवम मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई।

स्कूलों में वैक्सीनेशन जागरुकता के लिए शिविर आयोजित

देवास. प्रधान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रभात कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में इनोवेटिव पब्लिक स्कूल में बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में

न्यायालय में रोको टोको अभियान का आयोजन
प्रथम जिला न्यायाधीश चौबे ने लोगों को बांटे मास्क

जागरण,आष्टा। तहसील विधिक सेवा समिति, आष्टा अध्यक्षएवं प्रथम जिला न्यायाधीश सुरेश कुमार चौबे के मार्गदर्शन 18 जनवरी को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। जिसमें तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं प्रथम जिला न्यायाधीश श्री चौबे के निर्देशानुसार रोको टोको अभियान के अंतर्गत शिविर का आयोजन न्यायालय प्रांगण में किया गया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनोज कुमार भाटी ने शिविर का प्रारंभ किया तथा बताया 2019 में कोरोना संक्रमण सबसे पहले चीन के वुहान शहर में शुरू हुआ था। जिससे वह धीरे-धीरे करके दुनिया में फैल चुका है, जिससे कि कोरोना से बचाव के आवश्यक उपाय जैसे मास्क लगाना, सेनेटाईजर का उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं प्रथम जिला न्यायाधीश श्री चौबे ने बताया कि कोविड.19 से बचाव के लिए रोको टोको अभियान का शुभारंभ किया गया है जिससे कि बढ़ते मामलों को नियंत्रित किया जा सके। देश में बढ़ रहे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के मामले बहुत ज्यादा ही बढ़ रहे है जिससे कि तीसरी लहर की संभावना हो सकती है सभी नागरिकों को जिम्मेदारी से मास्क, सेनेटाईजर का उपयोग करना चाहिए और परिवार के किसी भी सदस्य को यदि सर्दी, खांसी, बुखार है तो उन्हें आवश्यक रूप से किसी भी शासकीय चिकित्सालय से अपनी कोरोना की जांच करवानी चाहिए जिससे की संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। नागरिकों से अपील की गई कि नागरिक मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। अधिवक्ता संघ के सचिव भूपेश जामलिया ने कोरोना से बचाव के संबंध में जानकारी दी तथा प्रथम जिला न्यायाधीश श्री चौबे का आभार व्यक्त किया एवं प्रथम जिला न्यायाधीश श्री चौबे ने रोको टोको अभियान के तहत सभी नागरिकों को मास्क का वित[...] शिविर में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ते[...] सुधीर पाठक, जीवनसिंह खजूरिया, धीरज शर्मा, विजेंद्रसिंह ठाकुर, सुनील कचनेरिया सारसिया, नरेंद्र जोशी अधिवक्तागण एवं [...] में मुकेश राजपूत, जीवन सिंह, सुश्रा [...] एदलाबादकर, अशोक थापक, मनोहरसिंह राठौ[...] नीतेश दावा, फूलचंद मालवीय आदि मौजूद थे।

विधिक सेवा • न्याय विभाग के पैरालीगल वॉलेंटियर्स ने लगाए चलित विधिक सेवा केंद्र, लोगों से लिए समस्याओं के आवेदन

2 शहर, 3 गांवों में जाकर 1172 लोगों की समस्याएं सुनीं; आवास पेंशन, राशनकार्ड और जमीन पर कब्जे से जुड़े 96 आवेदन आए

भास्कर संवाददाता | राजगढ़

न्याय विभाग ने जिले में 24 से 30 दिसंबर तक विधिक सेवा सप्ताह के तहत 9 अलग-अलग स्थानों पर विधिक सेवा चलित केंद्र स्थापित किए। यहां 1172 आम लोगों ने समस्याएं बताई, जिस पर पैरालीगल वॉलेंटियर्स ने उन्हें कानूनी सुझाव दिए। 96 आवेदन अन्य विभागों से संबंधित आए। इनमें पेंशन न मिलने, आवास योजना का लाभ नहीं मिलने सहित राशनकार्ड व जमीन पर कब्जों की शिकायतें शामिल हैं। शुक्रवार को इन आवेदनों की छंटाई कर निराकरण के लिए संबंधित विभागों के पास भेजे जाएंगे। आवेदनों का सही व उचित निराकरण हो, इसके लिए मॉनिटरिंग की भी बात कही गई है। गुरुवार को करेड़ी में आयोजित शिविर में भी ग्रामीणों ने पैरालीगल वॉलेंटियर्स को समस्याएं बताई। ये केंद्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला अस्पताल राजगढ़, बस स्टैंड ब्यावरा, रेल्वे स्टेशन व मुख्य बाजार, टिटोड़ी, किशनपुरा, कलेक्टोरेट परिसर राजगढ़, हाट बाजार राजगढ़ व करेड़ी में लगाए गए।

टिटोड़ी गांव में चलित विधिक सेवा केंद्र पर ग्रामीणों की समस्याएं सुनते पैरालीगल वॉलेंटियर।

3 शिकायतें... लोगों ने इस तरह की समस्याएं बताई:

1. वृद्ध ने कहा- जमीन पर कब्जा कर रहे दबंग: पुनर्वास कॉलोनी राजगढ़ निवासी बंशीलाल ने आवेदन देकर बताया कि उसकी कृषि भूमि पर गुराड़िया गांव के हजारीलाल पुत्र हरिसिंह व अन्य लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। जनसुनवाई में भी शिकायतें की पर हल नहीं हुआ है।
2. कचरा छंटाई का मानदेय नहीं दिया: सेमलीकला गांव के मजदूर भेरूलाल वर्मा ने आवेदन देकर बताया कि उसने रोजाना 18 किमी से आकर खिलचीपुर मार्ग मैदान पर कचरे की छंटाई की। 7500 रुपए मासिक मानदेय तय है, उसे भुगतान नहीं किया जा रहा है।
3- आवास, आधार, वोटर कार्ड नहीं, राशन भी नहीं मिल रहा: अपने पुत्र के साथ रेन बसेरा में रहने वाले बंशीलाल (50) पुत्र रतनलाल भिलाला ने बताया कि उसके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जमीन नहीं है। राशन उसे नहीं मिलता। उसे आवास, राशन योजना का लाभ नहीं मिला।

न्यायाधीश ने जाना योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं

शिवपुरी। जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विनोद कुमार के मार्गदर्शन में एवं अर्चना सिंह जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत पिपरसमा में मंगलवार को विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें नालसा की योजना गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं, मानसिक रूप से बीमार व विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार एल्डर हेल्पलाइन नंबर 14567 तथा निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में लोगों को जानकारी दी गई। इसके अलावा ग्रामीणों से जानकारी ली गई कि उनके आयुष्मान कार्ड, बीपीएल कार्ड, एवं मजदूरी कार्ड इत्यादि बने हैं अथवा नहीं? जिन ग्रामीणों के दस्तावेज नहीं बने थे उनके संबंध में पटवारी एवं पंचायत सचिव को निर्देशित किया गया की हितग्राही मूलक योजना के पात्र व्यक्तियों के उक्त कार्ड बनवाए जाएं। इस कार्य हेतु पैरा लीगल वालंटियर गोपाल राठौर को भी नियुक्त किया गया । शिविर के दौरान शिखा शर्मा जिला विधिक सहायता अधिकारी भी उपस्थित रहीं।

नशा मुक्त अभियान ने कई लोगों का जीवन बदला

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया जागरुकता शिविर का आयोजन

रतलाम ● स्वदेश समाचार

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्यायालय में नालसा योजना, अंतर्गत सचिव अरूण श्रीवास्तव ,जिला विधिक सहायता अधिकारी पूनम तिवारी एवं नारकोटिक्स एनोनिमस के सदस्यों के साथ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

नारोटिक्स एनोनिमस के सदस्य श्री दोरजी ने बताया की समाज को खुशहाल रखने के लिए जिले में व्यापक स्तर पर नशा मुक्ति अभियान चलाएं जा रहे है। शिविर में डॉ. रवि दिवेकर ने कहा कि नशामुक्त करने के लिए बेहतर इलाज किया जाकर कुछ दवाइयों का उपयोग कर नशा मुक्त किया जा सकता है। साथ ही सकारात्मक विचारों से जोड़कर काफी बदलाव किया जा सकता है। नशा रोगियों को किताबों से जोड़ा जाकर अच्छे स्लोगन व फिल्म दिखाई जाए जिससे इनमें जीवन के प्रति सकारात्मक भाव जागृत हो सके।

शिविर में पूनम तिवारी ने बताया कि नशामुक्ति हेतु कार्यक्रम आयोजित कर नशा पीड़ित व्यक्ति की परेशानियों को सुनकर तथा इसके दुष्प्रभावों एवं बुराइयों के बारे में जागरूक किया जाए। साथ ही नशा मुक्त करने के लिए इनकी इच्छा शक्ति को जागृत किया जाए। इस अवसर पर इंदौर से आए हुये नारकोटिक्स एनोनिमस के सदस्यों ने अपने अनुभव साझा किये। इस क्रम में इंदौर से आए अरविन्द उम्र 24 वर्ष ने बताया कि मैं एक नारकीय जीवन जी रहा था। मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था, किन्तु जब से मैंने नशा छोड़ा तब से मैं अपने आपको हल्का महसूस करता हूं। लगता है ऐसा कोई कार्य नहीं जो मैंने नहीं कर सकता। मुझे जीवन में जीने का लक्ष्य मिल गया है।

शैलेन्द्र उम्र 25 वर्ष ने कहा कि डेढ़ साल से मैंने नशा करना छोड़ दिया तब से मेरा जीवन बहुत ही खुशहाल हो गया है। कृष्णपाल उम्र 26 वर्ष ने कहा कि मैं सभी तरह का नशा करता था किन्तु नशा छोड़ने के बाद मैं एक सुंदर जीवन को जी रहा हूं। अब मुझे परिवार का प्रेम व सहयोग भी मिल रहा है। ज्योति उम्र 30 वर्ष ने बताया कि नशा छोड़ने के बाद अब मुझे लग रहा है कि मैं एक अच्छा जी रहा हूं। मुझे अब समझ आ गया है कि जीवन क्या है वाकई बगैर नशे के जीवन बहुत ही सुंदर व सुखद है।

संजीव उम्र 21 वर्ष ने बताया कि मैंने नशामुक्त शिविर में प्रशिक्षण लिया जिसके द्वारा मेरी जीवन में सुधार आया। अमित उम्र 24 वर्ष ने बताया कि इस जीवन में मैं जो हासिल करना चाहता था वह नहीं कर पाया, किन्तु अब लगता है कि मैं सबकुछ हासिल कर सकता हूं।

अजयसिंह ने बताया कि कई बार नशे के पीछे परिवार के लोग जिम्मेदार होते हैं और हम नशे के आदि हो जाते है। किन्तु मुझे जिला विधिक सहायता अधिकारी का मार्गदर्शन मिला और मैंने नशे का त्याग कर दिया आज मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूं और नशा मुक्ति के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। शिविर में लाभांवित की संख्या 30 रही।

एक बेटी-एक वृक्ष अभियान के तहत रोपे पौधे

जागरण, सीहोर। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री आरएन चंद ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में एक बेटी-एक वृक्ष अभियान के तहत न्यायालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित कर ''एक बेटी-एक वृक्ष'' अभियान का शुभारंभ किया।

न्यायालय परिसर में बेटियो द्वारा भी पौधारोपण किया गया। इस अभियान के तहत संपूर्ण जिले के शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जनपद पंचायत, पोस्ट ऑफिस एवं अन्य शासकीय विभागों, पैरालीगल वालंटियर्स के समन्वय से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा अभियान चलाकर 5100 पौधे रोपे गए। पौधारोपण कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मुकेश कुमार दांगी, अपर जिला न्यायाधीश संजय कुमार शाही, अपर जिला न्यायाधीश अशोक भारद्वाज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिलाष जैन सहित समस्त न्यायाधीश, विधिक सहायता प्राधिकरण का स्टॉफ एवं पैरालीगल वालंटियर्स उपस्थित रहे।

पौधारोपण के साथ समय-समय पर उनका संरक्षण भी जरूरी

झाबुआ (नईदुनिया प्रतिनिधि)। प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ मोहम्मद सैय्यदुल अबरार के निर्देशन तथा समस्त न्यायाधीशगणों की उपस्थिति में सोमवार को जिला न्यायालय परिसर झाबुआ स्थित न्याय वाटिका में पंच जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर के संतुलित पर्यावरणीय विकास की अवधारणा अंतर्गत विधिक जागरूकता कार्यक्रम तथा पौधारोपण का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में प्रधान जिला न्यायाधीश मोहम्मद सैय्यदुल अबरार ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि आज पर्यावरण के असंतुलन से पूरा विश्व परेशान है। इसलिए पर्यावरण के संतुलन और संरक्षण की विशेष आवश्यकता है। उन्होंने वृक्षारोपण पर जोर देते हुए कहा कि प्रकृति की गोद में ही हम फलते-फूलते हैं। बिना वृक्षों के हम मानव जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए पौधारोपण जरूरी है साथ ही उनका संरक्षण भी होना चाहिए। इसी क्रम में विशेष न्यायाधीश महेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को वृक्ष, नदी, तालाब व पर्यावरण की रक्षा करें। अन्य प्राणियों के लिए दयाभाव रखे। उन्होंने कहा कि हम केवल अपने अधिकारों की बात करते हैं।

अपने कर्तव्यों का पालन भी करना जरूरी

लेकिन कर्तव्यों को पूरा करने में पीछे हट जाते हैं। हमे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपने कर्तव्यों का पालन भी करना है। कार्यक्रम में अपर जिला न्यायाधीश सचिव लीलाधर सोलंकी ने कहा कि कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अधिक से अधिक पौधारोपण किया जाना चाहिए, जो आगे चलकर वृक्ष बनेंगे हमें ऑक्सीजन के साथ स्वच्छ हवा भी देंगे। कार्यक्रम में न्यायालय परिसर झाबुआ में आये हुए। आमजनों व पक्षकारों को विधिक जानकारियां दी गई। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण व उसकी शुद्धता हेतु पौधारोपण को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया।

कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय हितेन्द्र कुमार मिश्रा, विशेष न्यायाधीश महेन्द्र सिंह तोमर, अपर जिला न्यायाधीश सचिव सोलंकी, अपर जिला न्यायाधीश संजय चौहान, भरत कुमार व्यास, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवीम खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट राजकुमार चौहान, हर्ष ठाकुर, प्रतिभा वास्कले, लवी माहेश्वरी ठाकुर, रवि तंवर, अम्न सुलिया तथा न्यायालय परिसर झाबुआ में आये हुए। आमजन व पक्षकार उपस्थित रहें।

पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण करते न्यायाधीश मोहम्मद सैय्यदुल अबरार। ● नईदुनिया

वृद्धाश्रम महेश्वर में विधिक साक्षरता शिविर का अयोजन

हम समय-समय पर आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे: मिश्र

महेश्वर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर प्रधान जिला न्यायाधीश अजय प्रकाश मिश्र की अध्यक्षता में शासकीय आनंद बसेरा वृद्धाश्रम महेश्वर में आयोजित किया गया । शिविर को संबोधित करते हुये अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रधान जिला न्यायाधीश अजय प्रकाश मिश्र द्वारा शिविर को संबोधित करते हुये कहा कि आपके मध्य उपस्थित होना एक पुनीत कार्य है एवं वरिष्ठ नागरिकता अधिनियम 2007 के अनुसार वरिष्ठजनों को किसी प्रकार से समस्या होने पर अधिनियम के अनुसार यदि अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह अपने अधिकारों का उपचार प्राप्त कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आपकी समस्या का निराकरण किया जा सकता है। यहां आप पीएलव्ही के माध्यम से एवं आवेदन करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। श्री मिश्र के द्वारा यह भी कहा गया कि आप आपस में अपने अनुभवों को साझा कर अपना समय व्यतीत कर सकते है तथा हम समय समय पर आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। शिविर को संबोधित करते हुये जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डलेश्वर विकासचंद्र मिश्र द्वारा संक्षिप्त में वरिष्ठ नागरिकता अधिनियम एवं विधिक सहायता के बारे में बताया एवं विधिक सहायता का टोल फ्री नम्बर 15100 एवं राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक हेल्प लाईन नम्बर, 14567 के बारे में भी बताया गया। शिविर में न्यायाधीश जितेन्द्र रावत जिला विधिक सहायता अधिकारी रविन दयाल आश्रम के प्रभारी जगदीश रसेरे पैरालीगल वालेन्टियर्स जीतू एमआरए दुर्गेश राजदीप वरिष्ठ नागरिक जन उपस्थित रहे । कार्यक्रम में सम्मान स्वरूप वरिष्ठ नागरिकों को फल वितरण किये गये एवं कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सहायता अधिकारी रविन दयाल के द्वारा किया गया।

स्वास्थ्य केन्द्र पाडल्या खुर्द में पदस्थ डॉ. जौया खान को सौंपा प्रशंसा पत्र

महेश्वर। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मी रानी पूर्व राज्य मंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष नंदकिशोर शर्मा युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष अक्षय खटीक ने स्वास्थ्य केन्द्र पाडल्या खुर्द में पदस्थ डॉ जौया खान को निरंतर स्वास्थ्य सेवा देने एवं उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रशंसा पत्र सौंपा है । प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मी रानी ने बताया कि विगत दिनों कई महिलाओं की नॉर्मल डिलेवरी कराई है । जिससे स्थानीय सहित आसपास के ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है ।

1172 व्यक्तियों ने संपर्क कर विधिक सलाह प्राप्त की

चलित लीगल एड क्लीनिक से आमजन की समस्याओं का हुआ समाधान

दीनबन्धु ■ राजगढ़

वैसे तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा विभिन्न स्थानों पर लीगल एड क्लीनिक स्थापित किये जाकर आमजन की विधिक समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, किन्तु ''जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़'' द्वारा न केवल जिले के विभिन्न स्थानों पर लीगल एड क्लीनिक की स्थापना की गई है बल्कि एक अनूठी पहल करते हुए जिले के हर गली, वार्ड, मोहल्ले , कॉलोनियों, ग्रामों, एवं प्रत्येक नुक्कड़ तक आम आदमी तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ''चलित लीगल एड क्लीनिक'' का संचालन किया जा रहा है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़ द्वारा संचालित चलित लीगल एड क्लीनिक जिले की ही नहीं वरन संपूर्ण मध्य प्रदेश की पहली तथा एकमात्र चलित लीगल एड क्लीनिक है ।

जिसमें कार्यालय द्वारा पैरालीगल वालेंटियर्स की ड्यूटी लगाई जाकर आमजन की समस्याएं सुन उन्हें विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान की जाती है । साथ ही, शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का भी प्रयास किया जाता है। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष अनिल कुमार भाटिया के कुशल मार्गदर्शन में एवं श्रीमती मीनल श्रीवास्तव, जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़ के नेतृत्व में दिनांक 24 दिसम्बर2021 से 30 दिसम्बर2021 तक चलित लीगल एड क्लीनिक सप्ताह मनाया जा रहा है । चलित लीगल एड क्लीनिक प्रथम दिवस जिला अस्पताल राजगढ़, द्वितीय दिवस बस स्टेण्ड ब्यावरा, तृतीय दिवस रेल्वे स्टेशन एवं मुख्य बाजार ब्यावरा, चतुर्थ दिवस ग्राम टिटोडी एवं ग्राम किशनपुरा, पंचम दिवस कलेक्टोरेट परिसर राजगढ़, छटे दिवस हाट बाजार राजगढ़ में चलित लीगल एड क्लीनिक स्थापित किया गया था जिसका समापन आज ग्राम करेडी में चलित लीगल एड क्लीनिक स्थापित कर किया गया, चलित लीगल एड क्लीनिक में पैरालीगल वालेंटियर्स की ड्यूटी लगाई जाकर जिले के हर गली, वार्ड, मोहल्ले , कॉलोनियों, बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन एवं तहसीलों में तथा प्रत्येक सार्वजनिक स्थानों पर लीगल एड क्लीनिक लगाये जाकर आमजन को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं से संबंधित पेम्फ्लेट वितरित कर उन्हें निःशुल्क विधिक सेवा योजना की जानकारी दी जा रही है । चलित लीगल एड क्लीनिक में नियुक्त पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा लीगल एड क्लीनिक में संपर्क करने वाले आमजनों से उनकी विधिक समस्याएं सुनकर उन्हें विधिक सलाह प्रदान कर उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है शासन की किसी योजना का लाभ यदि किसी व्यक्ति के पात्र होने के उपरांत भी नहीं मिल पाया है तो, उनकी समस्याओं की जानकारी पैरालीगल वालेंटियर्स आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेज सहित कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संबंधित विभागों को प्रेषित करने हेतु जमा कर रहे है ।

आज की स्थिति में कुल 96 आवेदन पत्र प्राप्त हुए है चलित लीगल एड क्लीनिक सप्ताह के दौरान कुल 1172 व्यक्तियों ने संपर्क कर विधिक सलाह प्राप्त की । श्रीमती मीनल श्रीवास्तव, जिला न्यायाधीश एवं सचिव द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के निराकरण करने हेतु विशेष रुचि लेकर उन आवेदन पत्रों को संबंधित विभागों को प्रेषित करवाया जा रहा है तथा निराकरण के लिये मॉनीटरिंग भी की जा रही है।

बालिका दिवस • जागरूकता कार्यक्रम व विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

अनेक नारियां आज समाज में महिलाओं की मजबूत छवि प्रस्तुत कर रही हैं: एडीजे

भास्कर संवाददाता | आष्टा

कन्या भ्रूण हत्या के लिए पीएनडीटी एक्ट 1996 के तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच पर पाबंदी हैं। ऐसे में अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रा सोनोग्राफी कराने वाले जोड़े या करने वाले डॉक्टर, लैब कर्मी को तीन से पांच साल सजा और 10 से 50 हजार जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इससे सभी को बचना चाहिए।

यह बातें तहसील विधिक सेवा समिति अध्यक्ष व प्रथम जिला न्यायाधीश सुरेश कुमार चौबे ने सोमवार को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक बेटी एक पेड़ अभियान चलाते हुए जागरूकता कार्यक्रम तथा पौधारोपण के अवसर पर न्यायालय प्रांगण में कहीं। उक्त आयोजन कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए किया गया। जिसमें न्यायाधीश श्री चौबे ने बालिकाओं को सशक्त किए जाने के उद्देश्य से कहा कि गांधीजी ने कहा था कि महिलाएं, पुरूषों से बेहतर सैनिक साबित हो सकती हैं। बस उनको मौका देने की जरूरत है। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, टैंसी थॉमस, अवनी चतुर्वेदी जैसी अनेक नारियां आज समाज में महिलाओं की मजबूत छवि प्रस्तुत कर रही हैं। अग्नि-5 मिसाइल के विकास के प्रमुख भूमिका निभाने वाली टैंसी थॉमस को मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है। कंचन सक्सेना द्वितीय जिला न्यायाधीश ने कहा कि महिलाओं की भूमिका को सुदृढ़ बनाने हेतु आवश्यक नीतियों का निर्माण किया गया है। रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि कर सरकार महिलाओं को इस क्षेत्र में भी भूमिका निभाने का मौका देना चाह रही है। महिलाओं की असीमित क्षमता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए जरूरी है कि इन्हें आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में रखा जाए ताकि देश के विकास के नए आयाम स्थापित कर सकें। विकास खंड शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह ठाकुर द्वारा देश में महिला व बालिकाओं की स्थिति और उनकी उन्नति पर प्रकाश डाला गया। शालिनी सारसिया बीएसी द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। इसके पश्चात न्यायालय परिसर में 25 पौधे लगाए गए। जिसमें बीआरसी अजब सिंह ठाकुर व शिक्षकों के 6 जोड़ों द्वारा में मनीष सारसिया, शालिनी सारसिया, मनोज श्रीवास्तव, भावना श्रीवास्तव, विजय हाटेकर, ममता हाटेकर, मोहनलाल मालवीय व रेखा मालवीय, बीएस बड़ोले, ज्योति द्वारा पौधारोपण किया गया।

बालिका दिवस पर सोमवार को न्यायालय प्रांगण में पौधारोपण किया गया

न्यायाधीश ने महिलाओं को दी उनके हित के कानूनों की जानकारी

नईदुनिया

आशा निकेतन वृद्धाश्रम खलबुजुर्ग में विधिक साक्षरता शिविर का अयोजन

महेश्वर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली मण्प्रण् राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डलेश्वर प्रधान जिला न्यायाधीश अजय प्रकाश मिश्र के मार्गदर्शन में आशा निकेतन वृद्धाश्रम खलबुजुर्ग में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया । शिविर को संबोधित करते हुये जिला न्यायाधीश एवं सचिव विकास चन्द्र मिश्र ने कहां की वरिष्ठ नागरिता अधिनियम के अंतर्गत वरिष्ठजनो को उनकी संपत्ति का अधिकार भरण पोषण का अधिकार एवं चिकित्सा आदि सुविधा प्राप्त करने का अधिकार हैं। विधिक सहायता हेतु वरिष्ठजनो को विधिक सहायता नियमानुसार प्राप्त करने का अधिकार हैं साथ ही उनसे मिलकर उनकी समस्याओं को जाना एवं वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया गया। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री रॉबिन दयालए आश्रम के प्रभारी श्री बजाजए पैरालीगल वालेन्टियर्स आकिल खान देवदत्त एक्कल दुर्गेश राजदीप एवं वरिष्ठ नागरिक जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सम्मान स्वरूप वरिष्ठ नागरिकों को फल वितरण किये गये।

वृद्धाश्रम पहुंचे न्यायाधीश ने वृद्धों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली

गुना | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं जिला न्यायाधीश राकेश कुमार शर्मा वरिष्ठ नागरिकों का हाल चाल जानने नानाखेड़ी स्थित अपना घर वृद्धाश्रम पहुंचे। अपना घर वृद्धाश्रम में पहुंचकर श्री शर्मा ने अपना घर वृद्धाश्रम में वरिष्ठ नागरिकों को सर्दी से बचाव लिए किए गए इंतजामों का जायजा लिया तथा वृद्धाश्रम के कक्ष व रसोईघर का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण उपरांत श्री शर्मा एवं उनकी पत्नी निशा शर्मा, विवेक शुक्ला, नविका ने सपरिवार वरिष्ठ नागरिकों को तिल गुड़ की मिठाई खिलाकर वरिष्ठ नागरिकों के साथ संक्रांति पर्व मनाया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा, अंचल गोस्वामी, संदीप जागा, केयरटेकर जा एलयेद खान तथा वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। सचिव श्री शर्मा ने समय-समय पर अपना घर वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली तथा वृद्धों को सर्दी से बचाव के लिए अलाव के लिए लकड़ियां भी मुख्य नगरपालिका अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।

बाल सम्प्रेषण गृह एवं श्री दादाजी वृद्धाश्रम में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न

खण्डवा। मंगलवार को श्री दादाजी वृद्धाश्रम रामनगर खण्डवा व बाल सम्प्रेषण गृह खण्डवा में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा के सचिव श्री अतलसिया द्वारा कहा कि माता/पिता भगवान की ओर से सबसे कीमती उपहार है और हमें अपने माता पिता को महत्व देना चाहिए। माता पिता के अलावा कोई नही है जो बिना किसी शर्त के सही मायने में हमारी देखभाल करते है। माता/पिता वह है जो जीवन के हर चरण में हमारा समर्थन करते है और हमें सही दिशा में ले जाते है किन्तु वर्तमान परिस्थिति व परिवेश में कई ऐसी घटनाएं देखी जा रही है जहां संतान माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे है। इस कारण कई माता पिता को अपनी वृद्धावस्था में कई प्रकार की शारीरिक व मानसिक प्रताडनाएं झेलना पड़ रही है। इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी चन्द्रेश मण्डलोई द्वारा कहा गया कि वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की प्रथा कमजोर होती जा रही है तथा इसी सोच के चलते कई वृद्धजन को घर से बेघर होकर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है किन्तु सरकार द्वारा उक्त स्थिति के निराकरण हेतु वृद्धजन की सुरक्षा व सम्मान हेतु कई कानून बनाये गये है, जिससे कि वृद्धजन का भरण पोषण, सम्मान व सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

मछलियों को दान व दीन जनों को कम्बल बांटे

मण्डलेश्वर । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश श्री अजय प्रकाश मिश्र एवं सचिव जिला न्यायाधीश श्री विकास चन्द्र मिश्र के मार्गदर्शन में पंचज कार्यक्रम के तहत जिला विधिक सहायता अधिकारी रॉबिन दयाल पैरालीगल वालेंटियर्स जोजु एम आर दुर्गेश राजदीप शिवराम माहेश्वरी ने नर्मदा तट रामघाट पहुंचकर मछलियों को चने खिलाये पश्चात असहाय व दीन जनों को ठंड से बचने के लिये कंबल वितरित किये ।

महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान

जागरण, नसरुल्लागंज। सोमवार को राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर नगर के राय साहब भंवर सिंह महाविद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान एक बेटी एक पेड़ के तहत पौधारोपण भी किया गया। आयोजित कार्यशाला के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं द्वितीय जिला न्यायाधीश वैभव सक्सेना ने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए किए गये विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुये बताया कि महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है, कार्यस्थल पर यदि महिलाओं के साथ कोई अभद्र व्यवहार या सेक्सुअल टिप्पणी होती है तो विशाखा गाईडलाईन अनुसार कार्यवाही की जाने का प्रावधान है। महिलाओं के साथ अपराध कारित होने महिला किसी भी थाने में जीरो पर अपराध पंजीबद्ध करा सकती है उसे संबंधित थाने तक जाने की जरूरत नही महिलाओं हेतु नि शुल्क कानूनी सहायता सलाह का प्रावधान किया गया। श्री सक्सेना ने यह भी बताया कि यदि किसी महिला के द्वारा अपराध किया जाता है तो उसे रात्रि के समय गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। एसडीएम डी.एस.तोमर ने शासन के द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के द्वारा महिलाओं को पुरूषों के समकक्ष खड़ा करने के भरपूर प्रयास किए गए है और हर वर्ग में महिलाओं की सहभागिता हो इसके लिए सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी का आरक्षण भी दिया गया है। महिला बाल विकास अधिकारी गिरीश चौहान ने शासन की योजना लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओं, प्रथम प्रसव पर राशि का भुगतान, बालिकाओं को कुपोषण मुक्ति अभियान जानकारी दी एवं कोई परेशानी होने पर चाईल्ड लाईन नम्बर 1098 महिला हेल्प लाईन नम्बर 1090 पर सूचना देने की बात कही। थाना प्रभारी कंचन ठाकुर ने बताया कि महिलाओं को अपने साथ होने वाले अपराध की शिकायत करना चाहिए। प्रत्येक थाने में उर्जा डेक्स संचालित किए गये है जिसमें महिला पुलिस अधिकारी रहती है। पेनल अधिवक्ता राजेश पाराशर ने प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण कराना व भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध की विस्तार से जानकारी देते हुये बताया कि ऐसा कृत्य करने वालों के खिलाफ 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है जो गैर जमानतीय है। कार्यक्रम में संचालक सुरेन्द्र सिंह भाटी के द्वारा सभी उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में न्यायाधीश सुश्री रेणु खेस के साथ छात्राएं मौजूद थी। इस दौरान एक बेटी एक पेड़ अभियान के तहत पौधारोपण कर लोगों को भी जागरूक किया गया। जिसमें महिला बाल विकास विभाग द्वारा संपूर्ण तहसील स्तर पर 840 पौधों का रोपण किया गया।

नगर के राय साहब भंवर सिंह महाविद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, 840 पौधे लगाए गए

भास्कर संवाददाता | नसरुल्लागंज

महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष खड़ा करने के भरपूर प्रयास

राष्ट्रीय बालिका दिवस पर किया पौधरोपण

बालिकाओं को शिक्षित कर आत्मरक्षा, स्काउट व एनसीसी से जोड़ें

वन स्टाप सेंटर में हुआ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

स्टार समाचार | रीवा

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार व जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी वार्ष्णेय के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा विपिन कुमार लवानिया के नेतृत्व में वन स्टाप सेंटर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विपिन कुमार लवानिया ने अपने उदबोधन में कहा कि वन स्टॉप सेंटर हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं हेतु एक ही स्थान पर अस्थाई आश्रय पुलिस सहायता, विधिक सहायता, चिकित्सा व परामर्श की सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। इतना ही नहीं समस्याग्रस्त महिलाओं एवं बालिकाओं की विधिक सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैरालीगल वांलेटियर्स की नियुक्ति वन स्टॉप सेंटर में की गई है। महिलाओं एवं बालिकाओं की विधिक सहायता हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा सदैव तत्पर है। इस अवसर पर श्री लवानिया ने घरेलू हिंसा अधिनियम एवं महिला अधिकारों के बारें में विस्तार से जानकारी दी। जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा ने पॉक्सो अधिनियम व महिलाओं से संबंधित विधियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महिलाओं के संबंध में शासन ने अनेक विधियां बनाई है। जिनके प्रचार-प्रसार व कानूनी सहायता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विशेष भूमिका है। इस अवसर पर नरेन्द्र सिंह, केपी शर्मा, क्षैतिज तिवारी, शिवानी द्विवेदी, योगेन्द्र सिंह व वन स्टॉप सेंटर के प्रशासक मनोज शुक्ला आदि उपस्थित थे।

न्याय वाटिका में किया पौधरोपण शिविर में दी विधिक जानकारी

सिटी भास्कर मंडला | प्रधान जिला न्यायाधीश आरएस शर्मा के निर्देशन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला डॉ प्रीति श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय परिसर न्याय वाटिका में न्यायाधीशगणों, अधिवक्तागणों एवं न्यायालयीन कर्मचारीगणों की उपस्थिति में पौधरोपण किया गया। प्रधान जिला न्यायाधीश आरएस शर्मा ने कहा कि कि वृक्ष लगाना ही हमारी जवाबदारी नहीं है अपितु उनका संरक्षण करना भी आवश्यक है जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। इस कोरोना महामारी के समय में ऑक्सीजन की आवश्यकता को भी हमने जाना है एवं कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ऑक्सीजन की पूर्ति एवं पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए हमे वृक्षों को अधिक से अधिक मात्रा में लगाये जाने एवं उनके संरक्षण के प्रयास किये जाने की अपील की।

कार्यक्रम में प्रधान जिला न्यायाधीश आरएस शर्मा, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय अवधेश कुमार सिंह, विशेष न्यायाधीश आरपी सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला डॉ प्रीति श्रीवास्तव, प्रथम जिला न्यायालधीश निरंजन कुमार पांचाल, द्वितीय जिला न्यायाधीश विशाल शर्मा, तृतीय जिला न्यायाधीश डीआर अहिरवार, चतुर्थ जिला न्यायाधीश जेबीएस राजपूत, पंचम जिला न्यायाधीश किशोर कुमार निनामा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुभाष सुनहरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विनोद कुमार चौधरी, न्यायिकमजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हर्षिता पिपरेवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना गोमे, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ रामेश्वर झारिया, अधिवक्तागण एवं न्यायालयीन कर्मचारीगणों की उपस्थित रहे।

विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं आर एस शर्मा प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडला के आदेशानुसार जिला न्यायाधीश एवं सचिव डॉ प्रीति श्रीवास्तव के मार्गदर्शन मे जिला विधिक सहायता अधिकारी विजय खोब्रागड़े द्वारा महाविद्यालयीन आदिवासी कन्या छात्रावास मंडला में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया ।

विधिक साक्षरता शिविर में घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण की दी जानकारी

विधिक साक्षरता शिविर में जानकारी देते विधिक सहायता। ● नईदुनिया

मंडला (नईदुनिया प्रतिनिधि)। ग्राम पंचायत मलारा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। जिसमें ग्रामीणों को विभिन्न नियम व जानकारियों से अवगत कराया गया। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं आरएस शर्मा प्रधान जिला न्यायाधीश,अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडला के आदेशानुसार जिला न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडला डा. प्रीति श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में जिला विधिक सहायता अधिकारी विजय कुमार खोब्रागढ़े के द्वारा सोमवार को ग्राम पंचायत मलारा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में गरीबी उन्मूलन स्कीम एवं आदिवासियों के अधिकार का संरक्षण एवं प्रवर्तन स्कीम 2015, महिला अधिकार, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के संबंध में जानकारी दी गई साथ ही निश्शुल्क विधिक सहायता योजना के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

महिलाओं को सशक्त बनाने शिक्षा की अहम भूमिका होती हैः न्यायाधीश

वर्तमान में सायबर अपराध काफी बढ़ रहा है, हमे ऐसे व्यक्तियों से भी सावधान रहना चाहिए

खंडवा ■ राज न्यूज नेटवर्क

माखन लाल चतुर्वेदी शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय खण्डवा में जागरूकता कार्यक्रम किया गया। उक्त कार्यक्रम में कालेज के अधिकारी/शिक्षकगण भी उपस्थित थें।

इस अवसर पर सचिव हरिओम अतलसिया द्वारा कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा की अहम भूमिका होती है इसके माध्यम से घर परिवार समाज तथा देश की सेवा करने का अवसर मिलता है ,उन्होनें कहा कि शिक्षित महिला समाज ओर परिवार के विकास में स्वंय निर्णय में सक्षम होती है तथा वह शिक्षा के आधार पर अपना व अपने परिवार एवं संतान का भविष्य अच्छी तरह से निर्धारित करने में सक्षम हो जाती हैं। इसलिए आज के समय में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण हैं साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि जिस परिवार में महिला शिक्षित होती है वह शिक्षा के महत्व को उतने ही अच्छे ढंग से समझती है तथा अपनी संतान व आने वाली पीढ़ी को भी अच्छी शिक्षा ग्रहण करने हेतु मार्ग प्रशस्त करती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है।

इस अवसर पर उनके द्वारा बताया गया कि वर्तमान में सायबर अपराध काफी बढ़ रहा है तथा सायबर अपराध के संबंध में हम आये दिन पेपर मीडिया आदि में देखते हैं इसलिए आज के समय में हमे ऐसे व्यक्तियों से भी सावधान रहना चाहिए तथा किसी भी प्रकार के झूठे प्रलोभन आदि में नही फसना चाहिए क्योंकि इसमें अपराध कारित करने वाला झूठे प्रलोभन आदि देकर ऑनलाईन माध्यम से काफी आर्थिक नुकसान समान्य व्यक्ति को पहुँचा देता हैं। साथ ही उनके द्वारा सायबर अपराध क्या है तथा कोन कोन से कृत्य इस अपराध के तहत आते है आदि की जानकारी दी गयी।

इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा के सचिव हरिओम अतलसिया द्वारा उपस्थित लोगों को पॉक्सों एक्ट, महिलाओं के अधिकार व नालसा की योजना आदि विभिन्न कानून की जानकारी दी गयी।

ऐसी कुरीतियां त्यागें जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ

■ पांढुर्णा जबलपुर एक्सप्रेस।

राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर ऑनलाइन विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 24 जनवरी को तहसील विधिक सेवा समिति एवं शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, समता कॉलेज पांढुरना संयुक्त तत्वाधान में बालिका दिवस के अवसर पर ऑनलाइन विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इसे संबोधित करते हुए न्यायाधीश प्रियांशु पांडे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पांढुर्णा ने बालिका दिवस मनाने के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संविधान द्वारा महिलाओं को विभिन्न अधिकार प्रदान किए गए समाज में ऐसी प्रथाओं और कुरीतियों का त्याग करना चाहिए जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। न्यायाधीश प्रियांशु पांडे द्वारा पाक्सो एक्ट, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, घरेलू हिंसा अधिनियम आईटी एक्ट 2001 के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान महेंद्र चौहान प्राचार्य समता कॉलेज पांढुरना एवं विजय ठवले प्राचार्य शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय भी सम्मिलित हुए।

गांधी पार्क में भी मनाया गया बालिका दिवस

बोरगांव में भारत सेवक समाज शिक्षा समिति ने परिवर्तन समाज विकास समिति के साथ मिलकर राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया। महात्मा गांधी पार्क के सामने कालेज की छात्राओं और महिलाओं की उपस्थिति में बालिका दिवस के विषय पर आधारित रंगोली उकेरी गई। बनाई गई रंगोलियों ... बचाओ बेटी पढ़ाओ, आजादी का अमृत महोत्सव, समाज एवं परिवार में बेटि... भूमिका इत्यादि पर प्रमुखता से प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर... विधायक एवं संस्था के आजीवन सदस्य श्रावता महाले ने कन्या भ्रूण हत्या के... लोगों को जागरूक करने हेतु अच्छे प्रसंगो के साथ उद्बोधन दिया। संस्था अध्यक्ष... मालवीय ने बताया कि यह कार्यक्रम देश के कोने-कोने में हो रहा है। यह बड़ा... एवं गौरवान्वित करने वाला पल है। सभी प्रतिभागियों को संस्था की तरफ से पुरस्... वितरित किया गया विशिष्ट अतिथि सुश्री ज्योत्सना ने आयोजन की प्रशंसा क... कहा कि प्रस्तुत कार्यक्रम बालिकाओं के प्रति समाज की सोच को बदलेंगे तथा... बालिकाओं को समाज मे आगे आने एवं मुख्य धारा से जुड़ने के लिए भी प्रेरित... कार्यक्रम में संस्था सदस्य, पदाधिकारी कॉलेज के प्राचार्य एवं सभी टीचर्स उपस्थि...

विधिक साक्षरता शिविर • न्यायाधीशों द्वारा किया गया लोगों को जागरूक

एसिड अटैक पूरे समाज के प्रति अपराध, तेजाब से सिर्फ चेहरा नहीं आत्मा भी जलने लगी हैः शर्मा

भास्कर संवाददाता | दतिया

प्ली-बारगेनिंग दांडिक मामलों का समझौते के आधार पर अंतिम निराकरण हेतु एक अनुबंध है। पुलिस द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र से उत्पन्न मामले में यह अनुबंध अभियुक्त मामले के अनुसंधानकर्ता अभियोजन एवं पीड़ित के मध्य होता है। यह बात शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया द्वारा कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला जेल, समर्पण नशा मुक्ति केन्द्र, वन स्टॉप सेन्टर दतिया में ऑनलाइन विधिक साक्षरता शिविर में अपर जिला न्यायाधीश मुकेश रावत ने कही।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दतिया हेमन्त सिंह ने जिला जेल में बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह योजना के अंतर्गत न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने के अधिकार तथा अपील न्यायालय में विधिक सहायता के माध्यम से अपील प्रस्तुत करने का अधिकार की जानकारी दी। अपर जिला न्यायाधीश अजय कांत पांडे ने विधिक सेवा योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम जनता के बीच विधिक प्रावधानों विभिन्न नीतियों कार्यक्रम एवं योजनाएं स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थों के विजय के साथ-साथ विद्यालय तथ महाविद्यालयों के बच्चों एवं जनसाधारण आदि में ड्रग दुरुपयोग के दुष्प्रभाव के विषय में जागरूकता फैलाना एवं ड्रग तस्करी एवं दुरुपयोग के पीड़ितों का आवश्यक विधि सेवा सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है। वन स्टॉप सेंटर में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में अपर जिला न्यायाधीश जीसी शर्मा द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि एसिड अटैक का अपराध पूरे समाज के प्रति अपराध है। एसिड अटैक के अपराध के कारण कई जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। हमारा समाज आज भी एसिड अटैक के अपराध से पीड़ित व्यक्तियों को सर उठाकर जीने की इजाजत नहीं देता है। तेजाब से सिर्फ चेहरा ही नहीं इंसान की आत्मा भी जलने लगती है। एसिड अटैक से पीड़ित व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु नालसा नई दिल्ली द्वारा नालसा एसिड अटैक से पीड़ित व्यक्तियों के विधिक सहायता हेतु योजना लागू की गई है। उक्त योजना का लाभ पीड़ितों तक पहुंचाने हेतु समय-समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाता है। विधिक साक्षरता शिविर में जेल अधीक्षक दिनेश इमेल, संजय भार्गव, संध्या श्रीवास्तव आदि शामिल रहे। साथ ही अनेक लोग मौजूद रहे।

भारतीयम विद्यापीठ में ऑनलाइन वेबीनार को संबोधित करते जिला एवं सत्र न्यायाधीश।

राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यक्रम

महिला सम्मान के विरूद्ध प्रथाओं का त्याग करें

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

पांढुर्ना. राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर तहसील विधिक सेवा समित द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय, समता कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान मे ऑनलाइन विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियांशु पांडे ने कहा कि सविधान ने महिलाओं को विभिन्न अधिकार प्रदान किए है। समाज को ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। जहां नारी पूजी जाती है वहां देवता वास करते हैं। इस मौके पर पॉस्को एक्ट, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम व घरेलू हिंसा अधिनियम के संबंध में जानकारी दी।

अमरवाड़ा @ पत्रिका. तहसील विधिक सेवा समिति अमरवाड़ा एवं शासकीय स्नातक महाविद्यालय महिला प्रकोष्ठ अमरवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर ऑनलाइन विधिक साक्षरता एवं जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट पलक राय ने राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य बताया व कहा कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है। उन्होंने बालकों के संरक्षण के कानूनों की जानकारी दी। कार्यक्रम में प्राध्यापक ज्योति सूर्यवंशी मौजूद थी।

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

M.P. State Legal Services Authority

574, South Civil Lines, Jabalpur - 482001

Website : mpslsa.gov.in email : mplsajab@nic.in Toll Free No. 15100